खण्ड-338, अंक-7
बुधवार, 19 वैशाख, शक संवत् 1901
(9 मई, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 338 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 9 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–286

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अनवार अहमद समदनी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायन, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हया लाल गुप्त, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजो प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर

जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रबीन कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बबरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिहारी लाल हन्स, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर महमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखात सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री

मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरण शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव दुबे, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम नरायन तिवारी, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री

संगम लाल, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यवीर सिंह श्री
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहनलाल पिपल)
सोहनवीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट:—श्रम मन्त्री, श्री क्रान्ति कुमार तथा स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री रामाधार पाण्डेय भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 9 मई, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मूल्य समर्थन योजना के अधीन गेहूं का निर्धारित समर्थन मूल्य

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर), श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर), श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं खरीद के लिए सरकार द्वारा क्या मूल्य निर्धारित किया है ? खरीद का लक्ष्य क्या है ? खरीद की तिथि क्या निर्धारित की गयी है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

चालू मारकेटिंग वर्ष के लिए सरकार द्वारा उचित औसत किस्म के गेहूं का खरीद मूल्य रु० 115 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है तथा खरीददारी विभिन्न शासकीय एजेन्सियों द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अधीन सीधे किसानों से की जा रही है । गहूं की खरीदारी, मूल्य समर्थन योजना के अधीन किए जाने के कारण उसका कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मूल्य समर्थन योजना के अधीन सीधे किसानों से ही गेहूं की खरीद की जा रही है और शासन की ओर से इस आशय के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं कि जब गेहूं केन्द्र पर किसान बेचने के लिए आयेगा, तो उसके लिए जोत बही दिखाना आवश्यक नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो निर्धारित केन्द्र हैं, उन पर नियुक्त अधिकारी यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह माल किसान ही लेकर आया है और वह बिचौलिया नहीं है ?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि वह जोत बही लाय, लेकिन अधिकारी यह देखेंगे कि वह किसान है कि नहीं। यदि किसान नहीं है, तो माल नहीं लिया जायेगा और कोई दूसरा गेहूं बेचेगा, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्रय केन्द्रों पर शासन की तरफ से खरीद के लिए बोरे पहुंच गये हैं कि नहीं ? दूसरा प्रश्न खरीद केन्द्रों पर हैन्डिलिंग के जो ठेकेदार रहते हैं उनको न रखकर विभाग की तरफ से खरीद की जा सकती है कि नहीं ? यह ठेकेदार 40 बोरों में 2 बोरे मिट्टी या जौ डाल देते हैं और विभाग से मिलकर वह यह करते हैं । इसलिए हैन्डिलिंग के ठेकेदारों की व्यवस्था को समाप्त करके शासन की तरफ से खरीददारी करने की आप व्यवस्था करेंगे कि नहीं ?

श्री मलिखान सिंह---

मान्यवर, इस समय इनको हटाना संभव नहीं है । हैन्डलिंग के ठेकेदार अपने साथ पल्लेदार आदि लाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम कुछ करते हैं, तो हमारा काम रुक जायेगा । इसलिए यह संभव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न में मंत्री जो ने कहा कि सरकारी कर्मचारी देखेंगे कि वह काश्तकार है कि नहीं । इसमें मंत्री जी ने एक जगह जानकारी दिया था कि बी० डी० ओ० लोग इस चीज को सुनिश्चित करेंगे, तो क्या बी० डी० ओ० के लिए यह संभव है कि वह अपने 3-4 केन्द्रों पर वह सशरीर उपस्थित रहेगा । दूसरे यदि कर्मचारी ट्रान्सफर होकर वहां पहुंच गया, तो उनको कौन सा पहचानने का आला दे दिया गया है कि वह जान जायेगा कि वह किसान है और बिचौलिया नहीं है ? इस बात को यदि स्पष्ट नहीं किया गया तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो काश्तकार से सीधे खरीदने की योजना है, वह नष्ट हो जायेगी और जो हम काश्तकारों को लाभ देना चाहते हैं, वह नहीं दे पायेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह---

अब अधिकारियों पर तो विश्वास करके ही शासन को चलना पड़ेगा । वैसे हमने अधिकारियों, कमिश्नर और हरएक सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि इन केन्द्रों का निरीक्षण अधिकारियों से करायें और उसके बाद भी कोई शिकायत हो, तो बतायें । किसान अपनी जोत बही लेकर आया कि नहीं, लाया या बीमार है, या पटवारी ने नहीं किया, तो इसको अधिकारी लोग देख लें कि यह वही किसान है कि नहीं और इसके बाद उसका गल्ला ले लें । दूसरे, देहातों में क्रय केन्द्र ज्यादा बढ़ गये हैं, देहातों में खरीदारी शहर का बनिया नहीं करने के लिए पहुंचेगा । वहां तो किसान ही जायेगा बढ़े हुए क्रय केन्द्रों पर । इसलिए इस समय और कोई व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उनके खाद्य विभाग द्वारा आगरा मण्डल के पांच जिलों को 30 लाख बोरे उपलब्ध कराने थे, जिसमें से केवल 1.27 लाख ही उपलब्ध कराये गये जिसके कारण विशेष रूप से आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में बोरों के न होने की वजह से खरीद रुक गयी है ?

श्री मलिखान सिंह---

मान्यवर, इस साल पिछले वर्ष से दूनी खरीद हुयी । पिछले साल इसी 8 तारीख को 1.27 लाख मैट्रिक टन की खरीद हुयी । इस समय 2.27 लाख मैट्रिक टन हो चुकी है, जो पिछले वर्ष से दुगनी है, तो जहां तक बोरों का सवाल है, ये बोरे पहले 28 लाख थे और हमने 51 लाख बोरे बांट भी दिये हैं । अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी होगी, तो उसको देखवा लेंगे और तद्नुसार व्यवस्था की जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

माान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि 115 रुपया प्रति क्विंटल सरकारी खरीद की कीमत रखी गया है और शायद एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने रखा है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कृपा करेंगे कि हमारी राज्य सरकार ने कोई तख्मीना लगाया है कि गेहूं कि लागत कीमत (कास्ट आफ प्रोडक्शन) क्या है राज्य सरकार ने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को कौन सी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में दी है ?

श्री मलिखान सिंह--

माननीय नेगी जी तो पुराने सस्दय हैं और गेहूं के ऊपर बहस भी हो चुकी है । यह केवल भारत सरकार के हाथ में है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई तखमीना लगाया है कि ऐक्चुअली कास्ट आफ प्रोडेक्शन गेहूं का क्या पड़ता है और उस पर भारत सरकार ने कोई कीमत दिलाई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह उससे नहीं उठता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

उठता है । जब प्राइस का सवाल आ गया, तो यह रिलीवेंट हो जाता है कि उसके-बारे में बतायें ।

श्री मलिखान सिंह--

वैसे तो इस सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष--

सूचना है कि आपके पास ?

श्री मलिखान सिंह--

इस समय कोई सूचना नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि 115 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है । तो जितना गेहूं है क्या वह सभी 115 रुपये के हिसाब से खरीदा जा रहा है या उसमें कोई ग्रेड भी हैं ? यदि हैं, तो ग्रेड का निर्धारण कौन करता है ? कोई एजन्ट है या कोई विशेषज्ञ है कौन करता हैं ? ए और बी का रेट क्या है ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, 'ए' ग्रेड का रेट 115 रु० है 'बी' ग्रेड का रेट 113 रु० है । गेहूं ज्यादा रिजेक्ट न हो, इसके लिये पिछली बार शासन की तरफ से जौ की मात्रा 4 परसेंट मानी गई थी, अब हमने 6 परसेंट तक कर दिया है जिससे किसान को किसी तरह से वहां से लौटाया न जा सके ।

श्री देव बहादुर सिंह--

हमने यह पूछा था कि 'ए' ग्रेड और 'बी' ग्रेड तय कौन करता है ? कोई विशेषज्ञ है ? मेरी यह जानकारी है कि कोई विशेषज्ञ नहीं है, जिसे चाहें 'ए' कर दें और जिसे चाहें 'बी' कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस काम के लिए जो कर्मचारी वहां तैनात हैं, वही इसको तय करते हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

जैसा कि वीरेन्द्र पति जी ने भी कहा, आज मेरे पास भी मथुरा जिले से 10 जगह से पत्र आए हैं और 3 तार भी आए हैं, मथुरा जिले के किसी भी क्रय केन्द्र पर बोरी बिलकुल नहीं हैं और न कोई खरीद हो रही है । अगर तत्काल कोई इंतजाम न करवाया गया, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी । मुझे यह भी सूचना मिली है कि 94 रु० से 100 रु० तक व्यापारी गेहूं खरीद रहे हैं । इसलिये क्या अतिशीघ्र आप मथुरा जिले और आगरा कमिश्नरी में बोरों की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

माननीय सदस्य ने सूचना दी है, सरकार व्यवस्था अवश्य करायगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, दो प्रश्न हैं । पहला, क्या मेरी सूचना को सही मानकर कि शासन की जो नीति है, उसमें बिचौलिये गड़बड़ी कर रहे हैं क्योंकि जोत बही का प्रतिबंध ढीला कर दिया है, मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि बिना जोत बही के खरीद नहीं होगी ? हर किसान के पास जोत वही है और वह लेखपाल के पास जा सकते है । दूसरा, गोरखपुर के एफ० सी० आई० में लोडिंग और अनलोडिंग का जो कान्ट्रैक्ट है, वह कुछ असामाजिक तत्वों को दे दिया गया है और और वे एफ० सी० आई० के कर्मचारियों से मिलकर किसानों को भगा देते हैं और फिर वही गेहूं व्यापारी लोग कम दाम पर खरीदते हैं, क्या मेरी सूचना को सही मानकर सरकार वहां लोडिंग और अनलोडिंग के काम से असामाजिक तत्वों को हटाकर दूसरे लोगों को लगायेगी ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य को मालूम है कि मैंने तो जैसे ही माननीय सदस्य ने मुझे सूचना दी, उस पर तुरन्त ऐक्शन लिया है और कल जैसे ही एक माननीय सदस्य ने गोंडा की सूचना दी, मैंने तुरन्त अपने फूड सेल के डिप्टी को उसी समय भेज दिया है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

जैसा अभी कहा गया कि बोरों की कमी है, अलीगढ़ में भी 17 लाख की डिमांड थी, 5 लाख बोरे पहुंचे और 5 लाख की तुरन्त आवश्यकता है । जब तक बोरे नहीं हैं, क्या केन्द्रीय राज्यमंत्री जी ने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि इसके लिए उनको 5 रुपये अधिक दिये जायेंगे ? क्या आप ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री मलिखान सिंह—

मेरी जानकारी में तो है नहीं है लेकिन आगे जब केन्द्रीय सरकार हमारे पास कुछ लिखकर भेजेगी तो हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि समर्थन मूल्य को निर्धारित करने के क्या मानक हैं ? दूसरे, क्या इन मानकों के अनुरूप आप उसी कीमत पर गेहूं खरीदने की व्यवस्था करेंगे ? तीसरे, क्या आपको जानकारी है कि फिरोजाबाद के एफ० सी० आई० गोदामों में 6 तारीख तक आपके यहां बैंक पासबुक नहीं थी और काश्तकारों को दो तारीख को खरीद करने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ था ? क्या वहां पर तुरन्त उचित व्यवस्था करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

बोरों का समर्थन मूल्य जिस प्रकार केन्द्र ने तय किया है उसे एग्रिकल्चरल विशेषज्ञों और पूरे देश के विशेषज्ञों ने तय किया है और एफ० सी० आई० द्वारा देर में पैसे की व्यवस्था करने की बात कही गयी है, तो उसे हम देख लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

समर्थन मूल्य तय करने के क्या मानक हैं, उसके बगैर प्रश्न का उत्तर साफ नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, तो उसका क्या परिणाम हुआ ? निलम्बित किया अथवा क्या ऐक्शन लिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न साफ नहीं है । कहां के कर्मचारियों के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

पिछले वर्ष सीतापुर जिले में तम्बोर कस्बे में क्रय केन्द्र खोला गया था । इस बार बेहटा किया गया है और फिर तम्बोर में कर दिया गया । लेकिन वहां गेहूं की खरीद जारी नहीं हुई है । बोरों का अभाव है, तो क्या वहां अविलम्ब बोरे भेजे जायेंगे और फौरन गेहूं की खरीद शुरू हो जायगी ?

श्री मलिखान सिंह—

बोरों की व्यवस्था तो होगी लेकिन सदन को यह बतला दूं कि इस साल बोरों की कमी का कारण कलकत्ता में हुई हड़ताल थी । हमारे यहां भारत सरकार को देर में लिखा गया और हरियाणा व पंजाब को नवम्बर में उसके अगेन्स्ट पंजाब तथा हरियाना से बोरे मिल गये लेकिन हमारा इंडेंट एक महीने देर से पहुंचा जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई और उसका हल तुरन्त किया जा रहा है ।

श्री मुख्तार अनीस—

बाढ़ के कारण वहां पर तुरन्त व्यवस्था का आश्वासन मंत्री महोदय से दिला दिया जाय ? बाढ़ के कारण काफी तबाही हो गयी है । माननीय मंत्री जी वहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए आज ही आदेश करेंगे कि वहां गेहूं का क्रय केन्द्र चालू किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

विशेष व्यवस्था वहां कर दी जाय, चूंकि बाढ़ से पीड़ित वह क्षेत्र है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर) —

क्या मंत्री जी बोरों के अभाव को ठीक करने के लिये खाद्यान्न योजना में खाली 5 लाख बोरों को नीलाम न करा कर क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीदने के लिये भेजेंगे । दूसरे काश्तकारों को पहचान-पत्र देने हेतु ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र जारी करने के लिये आदेश देंगे ? तीसरे मंत्री जी को जानकारी है कि 115 रुपये गेहूं बिचौलियों को साठगाँठ से क्रय केन्द्रों पर अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है और काश्तकारों का गेहूं 113 रुपये पर लिया जा रहा है ?

श्री मलिखान सिंह—

मैंने इसके लिये आदेश दे दिया है कि गेहूं की खरीद के लिये 5 लाख जो बोरे थे, उनको इस्तेमाल कर लिया जाय । दूसरा सवाल गुण निर्दिष्ट का है । अगर वह गेहूं 'ए' क्लास का होगा, तो उसकी कीमत 115 रुपये होगी और 'बी' क्लास का होगा तो 113 रुपये होगी ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस अभाग किसान का गेहूं कितना प्रतिशत 113 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा गया और कितना प्रतिशत 115 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा गया है ? क्या यह सत्य है कि 80 प्रतिशत गेहूं 113 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदा है और 20 प्रतिशत गेहूं 115 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपने सूचना दी है । प्रतिशत की सूचना उनके पास नहीं है । (श्री हिम्मत सिंह का नाम पुकारे जाने पर) । अब यह अन्तिम सवाल इस प्रश्न पर होगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी ने ऐसे आदेश भेजे हैं कि 2009 गेहूं को नम्बर 2 में ही लिया जावे ?

श्री लक्खी सिंह—

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया....।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय उनके पास नहीं है ।

श्री लक्खी सिंह—

मंत्री जी को यह विभाग क्यों दिया ?

श्री मलिखान सिंह—

जो प्रश्न माननीय हिम्मत सिंह जी ने किया है उसके सम्बन्ध में हमने कोई ऐसे आदेश नहीं दिये हैं । गुण निर्दिष्ट की सीमा में वह गेहूं आता होगा, तो वह भी उसी हिसाब से लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)—

एक प्रश्न पूछने का समय दे दें । मैं सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

सुझाव आप लिखकर दे दें ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कुछ लोगों को ऐसा आभास हो रहा है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि बोरों की सप्लाई एक महीने पहले से इन्डेन्ट देने पर भी नहीं हुई है । मान्यवर, 113 रुपये और 115 रुपये में गेहूं की खरीद की गई । क्या मंत्री जी को मालूम है कि 90, 95 रु० में गेहूं की खरीद न होने की वजह से बाजार में बोरे नहीं मिल रहे हैं लेकिन पुराने जो बोरे हैं, वह किसी भी कीमत पर पुरानी दुकान पर मिल सकते हैं और उनका प्रबन्ध कर सकते हैं । दूसरी बात यह है कि काश्तकार जितना भी गेहूं वहां पर ले आयेगा उस सारे गेहूं की खरीद क्या सरकार कर लेगी ?

श्री मलिखान सिंह—

माननीय पांडेय जी ने जो सुझाव दिया है उसके ऊपर विचार करेंगे ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मलिखान सिंह जैसे व्यक्ति जिनके प्रति मेरे दिल में बहुत बड़ा आदर है अगर वे ही इस तरह से कहेंगे कि हम विचार करेंगे, तब तो मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश को डूब ही जाना चाहिए । हम तो समझते थे कि उनके वहां पर जाने से शासनतंत्र एक हफ्ते में ही प्रभावकारी हो जायेगा । किन्तु यदि वे ही ऐसा कहेंगे, तो मैं उनसे कहूंगा कि वे शासन को छोड़ दें ।

श्री गंजी प्रसाद—

यदि गेहूं की कीमत कम है तो फैक्ट्रियों से बने हुये सामान को उसी अनुपात से वे दें... ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि आप मंत्री जी को अपना सुझाव लिखकर दे दें ।

आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली

**2--श्री देवबहादुर सिंह--

क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदेश में लागू करेगी ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी तथा यह कब से लागू की जायगी ?

श्री मलिखान सिंह---

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही लागू है । इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करायी जाती हैं ।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्पादन-वितरण योजना को लागू किये जाने के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही लागू है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ क्या समझते हैं और किस के माध्यम से वितरण करा रहे हैं जिसको वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली कह रहे हैं । उनका उत्तर है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्पाद - वितरण योजना को लागू किये जाने के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए इस प्रदेश में कोई पत्र या संस्तुति की है ? यदि हां, तो वह कब प्राप्त हुई और उस पर क्या-क्या विचार हुआ ? कौन सी तिथि से उसे लागू करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह---

मान्यवर, 5 जनवरी को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भारत सरकार ने यह विचार किया था और उसके बाद इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहली जुलाई से लागू करने का विचार है । उसकी रूपरेखा बन रही है । केन्द्र सरकार ने कुछ वस्तुओं को बेचने के लिए इन दूकानों की संस्तुति की थी उसमें प्रदेश सरकार ने भी कुछ और वस्तुये बेचने के लिए जोड़ी हैं । केन्द्र ने जो वस्तुयें दी हैं उनमें गेहूं, चावल, मोटा अनाज, स्टीम आयल, साधारण मोटा कपड़ा, मिट्टी का तेल और सफेद कोक इसके अलावा प्रदेश सरकार ने कुछ और चीजें बढ़ाने का सुझाव दिया है । केन्द्र के मंत्री श्री धारिया साहब को उसमें दालें, वनस्पति तेल, मसाले, साइकिल पार्टस, ट्यूब टायर, बेबी फूड, वाशिंग सोप, टायलट सोप, चाय, काफी, उत्तर पुस्तिकायें और अन्य लेखन-सामग्री, टार्च सैल, ट्रांजिस्टर सैल और दियासलाई आदि । प्रदेश सरकार ने कहा है कि यदि इनको लाभकारी बनाया जायेगा तभी यह दुकानें चलेंगी इसलिए इनको जोड़ दिया जाय क्योंकि केवल गल्ले से ये दुकानें चल नहीं सकती हैं । इसके बाद जो फाइनल तय होगा, वह लागू किया जायेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह---

मेरे अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब मंत्री जी ने दे दिया । केन्द्र की वितरण प्रणाली की रूपरेखा क्या है क्योंकि प्रदेश में पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है । मैं जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली

किसको कहते हैं जो व्यक्तिगत दूकानें हैं उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली मानते हैं या सहकारी विभाग के माध्यम से या जो उपभोक्ता भंडार हैं, उनको भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मानते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार की नीति क्या होगी इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए निजी दुकानदार जो हैं जिनको लाईसेंस दिया हुआ है उन्हीं के माध्यम से वितरण करायेंगे या सहकारिता विभाग के उपभोक्ता भंडार हैं उनके द्वारा वितरण करायेंगे ? दूसरा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुयें केन्द्र की है उसका वितरण किसके द्वारा करायेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, इस समय आवश्यक वस्तुओं के वितरण में निगम भी काम कर रहे हैं। सहकारी भंडार भी काम कर रहे हैं तथा निजी दुकानें भी खुली हुई हैं। इसके आगे जो विचार कर रहे हैं उसमें केन्द्र सरकार ने कहा है कि दो हजार यूनिट पर एक दुकान खोलेंगे। पहले चार हजार और 6 हजार में दुकानें होती थीं अब दो हजार यूनिट में खुलेंगी जिससे दुकानों की संख्या 50 हजार तक हो जायेगी। यह एक वृहद् योजना है जिस पर तुरन्त निर्णय नहीं लिया जा सकता इसलिए विचार कर जो आवश्यक कदम होंगे उन पर विचार किया जायेगा।

श्री ऊदल—

यह जो मंत्री जी ने बताया और जो विचारणीय प्रश्न है भारत सरकार के अन्तर्गत इसका अंतिम फैसला कब तक हो जाने की उम्मीद है ?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, मई के आखिरी सप्ताह में हर प्रदेश के उच्चस्तरीय व्यक्ति बैठेंगे और उसमें जो फैसला होगा, उसी के अनुसार होगा और वह मैं सदन को भी बताऊंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक जुलाई से जो नई वितरण प्रणाली लागू की जा रही है, उसमें जो दुकानदार नियुक्त किये जायेंगे, उनकी नियुक्ति का आधार क्या होगा और उनको कौन नियुक्त करेगा ?

श्री मलिखान सिंह—

यह अभी विचाराधीन है।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

हमारे प्रदेश में सीमेंट का अत्यधिक अभाव है, फिर भी शिकायतें आ रही हैं कि अधिकारियों द्वारा चोरी से उसे बेच दिया जाता है, तो क्या वह सीमेंट के कट्टों की कोई पहचान बनवाने की कृपा करेंगे, जिससे उसकी चोरी रुक सके ?

श्री उपाध्यक्ष—

सीमेंट वाला आगे आएगा, इसकी इजाजत नहीं है।

भारत सरकार द्वारा सीमेन्ट का आवंटन

**3—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय प्रति माह सीमेंट का कितना कोटा केन्द्र सरकार द्वारा एलाट किया गया है तथा प्रदेश में प्रतिमाह कितन सीमेंट की आवश्यकता है ? प्रदेश में सीमेंट के आभाव दूर करने हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सीमेंट की मांग की गयी है ? यदि हां, तो मांगी गयी सीमेंट की मात्रा कितनी और केन्द्र सरकार द्वारा उसकी आपूर्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री मजिखान सिंह—

भारत सरकार द्वारा सीमेंट का त्रैमासिक आंवंटन किया जाता है । प्रदेश का सामान्य त्रैमासिक कोटा 4,95,000 मी0 टन है । सन् 1979 से जनवरी–मार्च त्रमास के लिए बांढ़ सहायता कार्य हेतु 60,000 मी0 टन का अतिरिक्त आवंटन मिला था । प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने 1979 के अप्रैल–जून त्रैमास में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके प्रदेश का त्रैमासिक आवंटन 5,55,000 मी0 टन निर्धारित किया है । प्रदेश की सीमेंट की अनुमानित त्रैमासिक आवश्यकता 9 लाख मी0 टन आंकी गयी है जिसके आवंटन के लिए सतत प्रयास किया जाता रहा है । भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में सीमेंट उत्पादन में वृद्धि होने पर प्रदेश का कोटा बढ़ाया जा सकेगा । इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि भारत सरकार अपना आश्वासन कब तक पूरा कर सकेगी ।

लखनऊ विश्वविद्यालय की एम0 ए0 कक्षाओं में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के लिये अंको में छूट

**4—श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती) तथा श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एम0 ए0 कक्षाओं में प्रवेश के लिए गत वर्ष पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 5 अंक तक की छूट दी गयी है ? यदि हां, तो अब उसका अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

सत्र 1977–78 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एम0 ए0 कक्षाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत अंकों की छूट दी गई । पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश में छूट देने का कोई प्राविधान नहीं है । कथित छूट की सुविधा अभी भी दी जा रही है ।

श्री बाबूराम वर्मा

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जातियों के छात्र को विश्वविद्यालय में छूट न देने का क्या कारण है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल

माननीय, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 6 में निम्नवत् लिखा है—"विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, भले ही वे किसी वर्ग या मत के हों । किन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में अध्यादेशों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है ।

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्व–विद्यालय को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियां के छात्रों के प्रवेश

के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है ।" मान्यवर, इस नियम में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राविधान विश्वविद्यालय के माध्यम से किया गया है । तो जब तक ऐक्ट में कोई संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक यह संभव नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी को याद है कि जनता पार्टी ने काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को पूर्ण या लागू करने का निर्णय लिया था और उसमें स्पष्ट है कि इस प्रकार की भर्ती में 50 प्रतिशत से अधिक स्थान उन्हें मिलने चाहिए, तो उसके अनुसार मंत्री जी क्या उक्त अध्यादेश या विधेयक में संशोधन करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

विश्वविद्यालय अधिनियम अलग है और जिस पर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, वह दूसरी बात है । जब तक विश्वविद्यालय ऐक्ट में इस तरह का प्राविधान नहीं किया जाता है, यह सम्भव नहीं है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बी0 एड0, एम0 एड0 और एम0 बी0 ए0 में हरिजन छात्रों का आरक्षण नहीं है, तो क्या मंत्री जी इन क्लासों में आरक्षण का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

आरक्षण यहां पर भी नहीं है, केवल 10 प्रतिशत की प्राप्तांकों में छूट दी गई है । इसके आधार पर इनमें भी प्रवेश दिया जा रहा है । यदि इसमें किसी प्रकार का व्यवधान या रुकावट हो रही है तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को 10 प्रतिशत का छूट है । पिछड़े वर्ग की जातियों के साथ जब उनके समकक्ष हैं सुविधा देने के लिए यूनिवर्सिटी ऐक्ट में अमेंडमेंट लाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं जैसी इस समय विश्व विद्यालय संबंधी अनेकों प्रकार की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उनको ध्यान में रख हुए प्रवर समिति ने अधिनियम में परिवर्तन करने की बात कही है विधान परिषद् में और बिल आ रहा है । शीघ्र ही यहां आ जायगी । जैसी माननीय सदस्यों की राय होगी, उसका पालन किया जायगा ।

श्री राजमंगल पांडेय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट घोषणा करेंगे कि उच्च शिक्षा को भी वह ऐसा विवादस्पद बना देंगे, रिजर्वेशन और दस परसेंट उससे कम या उससे ज्यादा मार्क्स के आधार पर, उच्च शिक्षा के माध्यम से जो देश के तमाम प्रगतिशील विचारों को जो दुनिया में स्थापित कर सकते है क्या उसको भी रिजर्वेशन के माध्यम से, उसके स्तर को गिराने की भी उनकी नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उससे नहीं उठता ।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, यह नीति की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

गिराने की नीति क्या हो सकती है यह बा: स्वयं समझ सकते हैं ।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के वास्ते दस परसेंट मार्क्स के बारे में उन्होंने बताया । उसको एक्सटेन्ड करके क्या और लोगों के लिए भी कर देंगे या नहीं जब एक दफा नीति बन चुकी है उच्च शिक्षा को इस स्तर तक करेंगे, इसी लिए उच्च शिक्षा के प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स का ग्रेड भी बढ़ा दिया, यूजीसी के ताकि शिक्षा बढ़िया हो सके, उसका मतलब है कि स्तर ऊंचा हो उसकी नीचा करने के लिए कोई व्यक्ति प्रयत्नशील हो, तो मैं चाहूंगा कि उनकी शिक्षा नीति स्तर को बढ़ाने की है या घटाने की है, इस नीति के बारे में तो बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब वह विधेयक लायेंगे तब मालूम होगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो 10 प्रतिशत की छूट अनुसूचित जातियों के छात्रों को मिली है, क्या वह छूट किसी अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए लागू होगी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको स्वयं समझ लीजिये ।

श्री औसान सिंह (जिला इटावा) —

गत वर्ष भी छात्रों को पांच अंकों की छूट दी गयी थी, तो इस वर्ष यह छूट देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार को कोई कठिनाई नहीं है । विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत जो है वही कर सकती है । उसी से प्रवेश हुए हैं ।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

पारसाल पांच परसेंट की छूट दी गयी थी इस बात को जानते हुए कि उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से इतनी नकल हुई है, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हों, इन्टरमीडएट कालेज या डिग्री कालेज हों, बजाय पांच परसेंट के दस परसेंट डिडक्ट करने की भी योजना हो, तो कम से कम यह तो हो जायेगा कि यह शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[3 रे बुधवार के लिए स्थगित]

[बुधवार, 9 मई, 1979 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गेहूं क्रय केन्द्र सहकारी संघ, अकबरपुर द्वारा गेहूं के मूल्य का भुगतान

*1—श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि माह मई से जुलाई सन् 1978 के बीच गेहूं क्रय केन्द्र सहकारी संघ लिमिटेड, अकबरपुर, जनपद बाराबंकी के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को कुछ काश्यकारों ने गेहूं बेचा था जिनके पैसे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है जिससे किसानों में असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न दिये जाने का क्या कारण है उस धनराशि का भुगतान सरकार कब तक करा देगी ?

श्री मलिखान सिंह—

जी हां, माह मई से जुलाई, 1978 के बीच गेहूं क्रय केन्द्र सहकारी संघ, अकबरपुर, जनपद बाराबंकी पर काश्तकारों द्वारा बेचे गये गेहूं के मूल्य का भुगतान दिनांक 30 मार्च, 1979 को हो चुका है ।

छात्र आन्दोलन के कारण गोरखपुर नगर की शिक्षण संस्थाओं की बन्दी

*2—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 1978-79 में अगस्त, 1978 से फरवरी, 1979 तक छात्र-आन्दोलन के कारण गोरखपुर नगर की शिक्षण संस्थाओं को जिलाधिकारी, गोरखपुर अथवा जिला विद्यालय, निरीक्षक, गोरखपुर के आदेश से कितनी बार और कुल मिलाकर कितने दिनों के लिये बन्द किया गया ? इस बन्दी से अध्ययन में हुये व्यवधान के लिये तथा भविष्य में ऐसी परिस्थिति न आने देने के लिये क्या सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

छात्र आन्दोलन के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश से गोरखपुर नगर की शिक्षण संस्थायें केवल एक बार दिनांक 14-9-78 से 17-9 78 तक कुल 4 दिनों के लिये बन्द की गयी थीं । इस बन्दी से अध्ययन में कोई विशेष व्यवधान नहीं हुआ । भविष्य में ऐसी परिस्थिति न आने देने के लिये शासन प्रयत्नशील है ।

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

उत्पादन वितरण योजना के संबंध में दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

*4—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, सन् 1979 में दिल्ली में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर विचार करने के लिये मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने भी भाग लिया ? यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय लिये गये और ऐसे निर्णयों को उत्तर प्रदेश राज्य में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सरकार कौन-सा कदम उठा रही है ?

श्री मलिखान सिंह—

जी हां । इस सम्मेलन में "उत्पादन वितरण" योजना को 1 जुलाई, 1979 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

"उत्पादन वितरण" योजना को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सम्मेलन हुआ इस सम्मेलन में इस वितरण प्रणाली के साथ-साथ ही वस्तुओं की कीमतों को निश्चित करने का भी मार्ग दर्शक सिद्धांत तय हुआ था ? यदि हां, तो क्या है और वह क्या खरीददारी पर निश्चित हुआ या लागत पर ?

श्री मलिखान सिंह—

प्रश्न साफ कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न साफ कर दीजिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने पूछा कि इस सम्मेलन में जो वस्तुएं वितरित करेंगे उनका मार्गदर्शक सिद्धांत कीमतों के आधार पर तय हुआ था ? यदि हां, तो क्या था, और क्या वह लागत के अनुसार निश्चित हुआ या खरीदारी के अनुसार ?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, केवल इतना आया है, यह योजना लागू की जायगी और उसमें भारत सरकार की तरफ से आया है कि खाद्यानों में गेहूं, चावल और मोटे अनाज, प्रोसेस्ड एडिबिल आयल, साधारण मोटा कपड़ा, मिट्टी का तेल और कोयला (सापट कोक), चुने गये मैनुफैक्चर्ड आइटम्स, यह इतना केवल है । उसकी क्या कास्ट हो यह तो कम्पनियां तय करेंगी । उनके तय करने के बाद तय होगा ।

श्री मित्रसेन—

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में जो विगत सरकार ने कंट्रोल किया था, कंट्रोल हटाये जाने के बाद कौन सी ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनका दाम सरकार ने सुनिश्चित किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 859 पर) ।

श्री गोविन्द सिंह नगी--

अभी माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ मैनुफैक्चर्ड गुड्स को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बिकवाने का प्रस्ताव है । माननीय मंत्री जी बतायेंग कि जिन मैनुफैक्चर्ड गुड्स की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बिकवाने की सिफारिश कर रहे हैं, उनकी कीमतों का आधार क्या होगा ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, यह तो बाद में तय किया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि उनकी कीमतों का आधार क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बता दिया । अब आप बैठिये ।

*5--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*6--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*7--श्री बाबूलाल वर्मा--

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*8--श्री हरिचरन यादव--

[4थे बुधवार के लिये स्थगित] ।

*9--श्री विजयराज सिंह--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित] ।

*10--श्री शिवलाल मित्तल--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

हरदोई जिले के ट्यूबवेल डिवीजन के अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण

*11--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के ट्यूबवेल डिवीजन के एक अवर अभियन्ता का पिछले वर्ष में 5 बार स्थानान्तरण हुआ और वह अभी भी वहीं बना हुआ है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या मन्त्री जी अविलम्ब उसे वहां से हटाकर उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करेंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

जी नहीं, प्रश्नगत अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण आदेश पिछले वर्ष केवल एक बार (21-6-78) हुआ था जो विशेष परिस्थितियों में 30-6-79 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था ।

उक्त अवर अभियन्ता को अब कार्यमुक्त करके स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिनांक 5-5-79 को जारी कर दिए गए हैं । इन परिस्थितियों में उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला पूर्ति कार्यालय, बस्ती की गायब हुई परमिट बुक

*12—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के जिलापूर्ति कार्यालय से माह अप्रैल, मई, 1978 में कुछ परमिट बुकें गायब हो गयी थीं जिन पर फर्जी परमिटें बनाकर लोगों ने सीमेन्ट भी प्राप्त किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या परमिट बुक रखने वाले कार्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मलिखान सिंह---

अप्रैल, 1978 में जिला पूर्ति कार्यालय बस्ती से एक परमिट बुक गायब हुई थी जिसमें से 6 फर्जी परमिटें पकड़ी गयी जिनपर 120 बोरी सीमेन्ट प्राप्त किया गया था। परमिट बुक गायब होने तथा फर्जी परमिटों पर सीमेंट प्राप्त करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करादी गयी हैं। परमिट बुक रखने वाले कर्मचारी (प्रधान लिपिक) को निलम्बित करने के आदेश कर दिये गये थे परन्तु पिछले 10 मास से उनके गंभीर रूप से बीमार होने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हुई है। उनके ठीक हो जाने के उपरान्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

ग्राम पंचायत, गनेशपुर बहरामघाट, बाराबंकी में हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*13—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत गनेशपुर बहरामघाट, बाराबंकी में हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में अनेकों प्रार्थना-पत्र गत वर्ष शासन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

ग्राम पंचायत गनेशपुर बहरामघाट, बाराबंकी में हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में गत वर्ष कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या माननीय मंत्री जी को कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है। मेरी जानकारी में है कि उन्हें कई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और उनकी जाँच भी वहां के सम्बन्धित अधिकारियों ने की है और अपनी रिपोर्ट दी है, तो क्या माननीय मंत्री जी हमारी सूचना को सही मानकर फिर से जांच करायेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जो सन्दर्भित वर्ष 1978 है, उसमें कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि 1977 में एक पत्र प्राप्त हुआ था। अगर आप आज्ञा दें, तो मैं जांच की रिपोर्ट बता दूं। स्कूल खोलने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें हैं जैसे कि 10 किलोमीटर में कोई हाई स्कूल न हो, प्रवेशार्थियों की संख्या पर्याप्त हो, भूमि और भवन उपलब्ध हो और वहां पर आवागमन के साधन हों। गनेशपुर में कक्षा 8 तक शिक्षा उपलब्ध है उसके निकट 3 जूनियर हाई स्कूल हैं, उसमें प्रवेशार्थियों की संख्या न्यून है और भी शर्तें वह पूरी नहीं करता है। इसलिए वहां पर हाई स्कूल खोलने का औचित्य नहीं है।

कामता प्रसाद श्यामसुन्दर साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद में रसायन शास्त्र की कक्षा खोलने की मांग

*14--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

तृतीय सत्र 1978 के पहले बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 में डिग्री कालेजों में नये विषयों की कक्षायें खोलने की अनुमति देने में शासन की क्या नीति रही है और शासन द्वारा उस बारे में निर्धारित मानक में कौन-सी कमी थी जिसके फलस्वरूप कामता प्रसाद श्यामसुन्दर साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद को रसायन शास्त्र में कक्षायें खोलने की अनुमति नहीं मिली ? उक्त क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुये क्या सरकार निकट भविष्य में इसकी अनुमति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्षेत्रीय आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा प्राइवेट डिग्री कालेजों को नये विषयों/संकायों में अस्थायी सम्बद्धता हेतु क्लियरेन्स प्रदान की जाती है । वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस कालेज को उक्त सम्बद्धता हेतु क्लियरेन्स नहीं प्रदान की जा सकी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं सप्लीमेंटरी प्रश्न करने के पहले यह आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय दिलाने की कृपा करें । इस प्रश्न को मैंने पहले भी पूछा तो कहा गया था कि वित्तीय साधन नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन द्वारा निर्धारित मानक में कौन कमी थी, जिसके कारण कामता प्रसाद श्यामसुन्दर साकेत महाविद्यालय में रसायन शास्त्र की कक्षायें खोलने की अनुमति नहीं दी गयी ? दूसरा प्रश्न यह था कि उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार निकट भविष्य में इसकी अनुमति प्रदान करेगी, उसका भी कोई उत्तर मन्त्री जी ने नहीं दिया । पिछले वर्ष मान्यता देने के सम्बन्ध में पक्षपात बरता गया था । इसलिए मैं निश्चित जानकारी चाहता था, जो मुझे नहीं मिली । आप मुझे या तो मन्त्री जी से उत्तर स्पष्ट दिलवा दें या इसे स्थगित कर दें ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मैंने तो गत वर्ष की बात बतायी कि वित्तीय संसाधनों के कारण गत वर्ष सम्भव नहीं हो सका । अगले वर्ष के लिए मैं विचार करूंगा ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

पिछले वर्ष मान्यता देने के कौन से मानक थे और उन मानकों में इस डिग्री कालेज में कौन से मानक की कमी थी, जिसके कारण अनुमति नहीं दी गई ? या तो आप इसका उत्तर दिलवा दें या विशेषाधिकार भंग का प्रश्न स्वीकार करें ? उत्तर आने के बाद ही मैं सप्लीमेण्टरी पूछूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो उत्तर दिया गया है यह अपूर्ण मालूम होता है, इसलिए मैं इसे स्थगित करता हूं ।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह कि भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी ने जो मानक बनाये थे, क्या वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी उससे सहमत हैं या नहीं, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मानक के बारे में ही माननीय तिवारी जी ने भी प्रश्न किया था, मैंने उसे स्थगित कर दिया है ।

*15-20—[नियम 47(1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

विश्वविद्यालय की परीक्षा में शिक्षकों द्वारा निरीक्षण एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी शासनादेश

*21—श्री रवीन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को परीक्षा में निरीक्षण एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु 1978 से ही पारिश्रमिक देने को कहा गया था ? क्या बाद में इस आदेश को संशोधित कर दिया गया ? क्या इस संशोधन से परीक्षाफल निकलने में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संशोधित आदेश को शीघ्र वापस लेगी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

शासनादेश दिनांक 6-7-1978 तथा 11-8-1978 द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के अध्यापकों को व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षाओं के निरीक्षण हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ पारिश्रमिक अनुमन्य किया गया कि निरीक्षण कार्य केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से सम्बन्धित हो और उसमें नियमित परीक्षायें सम्मिलित न हों । सभी प्रकार की परीक्षाओं की परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया गया कि साधारणतः किसी अध्यापक से स्नातकोत्तर के परीक्षार्थियों की 300 उत्तर पुस्तिकायें अथवा स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षार्थियों की 150 उत्तर पुस्तिकाएं प्रति वर्ष या प्रति सेमिस्टर की परीक्षा से अधिक मूल्यांकन की अपेक्षा न की जायगी ।

जो हां, शासनादेश दिनांक 15-12-1978 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि चालू शैक्षिक सत्र 1978-79 की परीक्षाओं अथवा उसके बाद की परीक्षाओं के लिए ही पारिश्रमिक अनुमन्य होगा । शैक्षिक सत्र 1977-78 तथा उसके पूर्व की परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक देय नहीं होगा ।

किसी भी विश्वविद्यालय से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

शासनादेश दिनांक 7-2-1979 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शैक्षिक सत्र 1977-78 की जो परीक्षायें शैक्षिक सत्र 1978-79 तथा अनुवर्ती वर्षों में आयोजित होंगी, उनके लिए भी पारिश्रमिक देय होगा ।

*22—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*23—श्री हरिचरन यादव—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*24—श्री बाबू लाल वर्मा—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*25—श्री विजय राज सिंह—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज के वैकल्पिक अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

*26—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैकल्पिक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय), अध्यादेश, 1978 के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 के प्रतिकूल होने के आधार पर अवैध घोषित कर दिए जाने के फलस्वरूप वैकल्पिक अध्यापकों की नियुक्ति को कोई विशेष व्यवस्था सम्भव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिस समय माननीय, मैंने यह प्रश्न दिया था, उस समय मुझे यह जानकारी नहीं थी कि उच्च न्यायालय में संबन्धित अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया है। पर तत्कालीन माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम कोई रास्ता निकालेंगे, इनकी नियुक्ति के बारे में क्योंकि इन लोगों ने उस समय सरकार का सहयोग दिया जब कि माध्यमिक शिक्षक संघ हड़ताल पर थे, तो क्या सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया गया था, उसे माननीय मन्त्री जी पूरा करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

यह पहला अवसर रहा है जब कि माध्यमिक शिक्षक संघ ने बैकल्पिक शिक्षकों के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया और उसकी जो रिपोर्ट आई, उसके आधार पर कोई सम्भावना प्रतीत नहीं हुई । आर्टिकिल 14 और 16 भारत का जो संविधान है, उसमें यह प्राविजन दिया हुआ है । 14 में यह है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता में अथवा विधि में समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायगा । 16(1) में है कि राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी । मान्यवर, इन दोनों बातों का डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ, जिसके आधार पर निर्णय हुआ । हमने कानून विभाग की भी इसमें सहमति लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई सम्भावना नहीं हो पा रही है कि हम उनको कहीं नियुक्ति दे सकें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम वैकल्पिक अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे और अनेक बार ऐसी व्यवस्था भी की गई । सिंचाई विभाग में बिजली विभाग में समय-समय पर जब हड़ताल हुई है, उसमें हड़ताल के समय जो लोग काम किए, आगे उनको नियुक्ति में वरीयता दी गई, तो उस परम्परा को ध्यान में रखते हुए शासन इस नीति से अपनी सहमति प्रकट करते हुए कि इन वैकल्पिक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उसी प्रकार की वरीयता देने की कृपा करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

ये क्या चाहते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को उलट दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

इन्होंने यह कहा कि माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है, उसका पूरी तौर से ध्यान में रखते हुए यानी उसका अनुपालन करते हुए क्या सरकार उनको यह जो वैकल्पिक अध्यापक हैं, सेवा में रखने के ऊपर विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अन्य विभागों की नीति के अनुसार उनको सेवा में वरीयता मिलनी चाहिए।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, हाई कोर्ट के फैसले से अलग माननीय मन्त्री जी कोई आदेश कर सकते हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

उच्च न्यायालय के घोषणा करने के बाद विचार किया गया, लेकिन आज जो परम्परा बनी हुई है, हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज में नियुक्तियों के लिए वह मान्यवर, गुण विषयक के अनुसार नियुक्तियां हुआ करती हैं। एन०सी०सी०, खेल-कूद आदि को मिलाकर यह सब किया जाता है। इसलिए इसके लिए अलग से कोई वरीयता प्रदान करना अथवा गुण विषयक अंक प्रदान करना इस समय शासन के लिए सम्भव नहीं है।

*27-28--श्री राम सजीवन तथा श्री ऊबल--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

फैजाबाद जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*29--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्य मन्त्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 29 नवम्बर, 1977 का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच करके उस पर क्या कार्यवाही की गई और जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)--

जी हां। पत्र में उल्लिखित चार मार्गों में से केवल एक मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से हुआ है, जिसकी जांच कराई जा चुकी है। जांच आख्या के अनुसार लगाए गए आरोप असत्य पाए गए हैं। शेष तीन मार्गों एवं राजकीय पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कराया गया था। अतः उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सड़क पर जांच करने के लिए लखनऊ से जो इंजीनियर गए थे, उन्होंने मेरे सामने जब जांच की थी, तो उस समय

उन्होंने स्वीकार किया था कि इसमें भारी घोटाला हुआ है ? उसके बाद मान्यवर, दुबारा वह अकेले चले गए और फिर विभागीय दबाव में आकर रिपोर्ट बदल दी, जिसके सम्बन्ध में मैंने माननीय मन्त्री को चिट्ठी लिखी थी ? क्या इस बात पर विश्वास करके सारे मामले की जांच दूसरे अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ?

शारदा सहायक परियोजना के सम्बन्ध में चल रहे ठेकेदारों के मुकदमें

*30--श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना से सम्बन्धित 31 मई, 1978 तक कितने वाद ठेकेदारों और सरकार के बीच अदालत में चल रहे हैं और कितने की डिग्री अदालत ने दे दी है तथा जिन अधिकारियों के दोष के कारण यह वाद अदालत तक पहुंचे उनके खिलाफ कौन सी विभागीय कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

आरबीट्रेशन के मामलों को छोड़ कर 24 वाद न्यायालय में चल रहे हैं।

दो वादों में रु० 16,094·81 की डिग्री अदालत ने दी है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री अशर्फी लाल यादव--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

2--श्री अशर्फी लाल यादव--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

बाराबंकी जिले के सीनियर बेसिक विद्यालय, दरियाबाद के अध्यापक, श्री प्रेम नारायण मिश्रा की ज्येष्ठता सूची

3--श्री अशर्फी लाल यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित सीनियर बेसिक विद्यालयों में वर्ष 1970-71 से वर्ष 1977-78 तक कितने सहायक अध्यापकों को पदोन्नति की गयी ? और उनका आधार क्या था ? क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 की ज्येष्ठता सूची में सीनियर बेसिक विद्यालय, दरियाबाद, जनपद बाराबंकी के सहायक अध्यापक श्री प्रेम नारायन मिश्रा का नाम था ? यदि हां, तो क्या उन्हें पदोन्नति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

वर्ष 1970-71 से 1977-78 तक सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत 25 सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी गई। प्रोन्नति का आधार ज्येष्ठता थी।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

वर्ष 1970-71 की ज्येष्ठता क्रम सूची में श्री प्रेम नारायन मिश्र, सहायक अध्यापक, सीनियर बेसिक स्कूल, दरियाबाद का नाम था परन्तु उक्त सूची में प्रथम नियुक्ति की तिथि 2-8-51 दर्शाई गई है, जबकि श्री मिश्र उस समय अप्रशिक्षित थे। नियमानुसार प्रशिक्षित होने की तिथि से ज्येष्ठता जोड़ी जाती है। श्री मिश्र सेवारत प्रशिक्षण द्वारा वर्ष 1969 में प्रशिक्षित हुए हैं। अतः इनकी ज्येष्ठता प्रशिक्षित होने की तिथि से ही नियमानुसार जोड़ी जायेगी। वर्ष 1976 में एक दूसरी ज्येष्ठताक्रम सूची तैयार की गई, जिसमें से केवल 25 सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति दी गई है। इस सूची के अन्तर्गत उन्नति पाने वाले अंतिम सहायक अध्यापक की नियुक्ति तिथि 18-6-57 है। अभी श्री मिश्र का नम्बर बहुत पीछे है। इसलिये इन्हें प्रोन्नति नहीं दी जा सकी।

बाराबंकी जिले के ग्राम बरोलिया के श्री जगदीश प्रसाद वर्मा का गिराया गया मकान एवं मुआवजा

4--श्री अशर्फी लाल यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में बदोसराय-टिकैतनगर मार्ग के निर्माण में ग्राम बरोलिया, परगना बदोसराय, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के श्री जगदीश प्रसाद वर्मा का मकान सड़क में सन 1972 में पड़ गया था, किन्तु उस मकान का उनको मुआविजा नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री जगदीश प्रसाद का इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1978 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जी हां, श्री जगदीश प्रसाद वर्मा के भवन का कुछ भाग तत्कालीन जिला परिषद् की सड़क की भूमि पर पड़ता था जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग के निर्माण के समय तोड़ दिया गया था। उसका मुआविजा उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि उक्त भाग अनधिकृत रूप से जिला परिषद की भूमि पर था जिसका मुआविजा देय नहीं है।

माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 7-4-78 के साथ श्री वर्मा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-3-78 को प्राप्त हुआ था, परन्तु उपरोक्त कारण से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

बाराबंकी जिले में शारदा कैनाल की दरियाबाद शाखा में हुई खांदी से फसल को क्षति एवं मुआविजा का भुगतान

5--श्री अशर्फी लाल यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21/22 सितम्बर, 1977 की रात में बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत शारदा कैनाल दरियाबाद शाखा के कि० मी० 70-80 पर खांदी हो जाने से नहर के पानी से किसानों की फसल नष्ट हो गयी थी? यदि हां, तो नुकसान कितना हुआ और क्या उन किसानों को जिनकी फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी, मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां। उक्त खांदी से 5 एकड़ धान एवं 27 एकड़ अन्य खरीफ की फसल की क्षति हुई जिसके मुआवजा हेतु रुपया 11,637·97 की धनराशि को स्वीकृति दी जा चुकी है और यथाशीघ्र भुगतान के लिए कार्यवाही हो रही है।

बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट समूह के नलकूप को चालू किये जाने की मांग

6–श्री अशर्फी लाल यादव––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड दरियाबाद में स्थित नलकूप संख्या 55 अकबरपुर तथा 56 (परसा) की बोरिंग सन् 1976 में हुई थी, परन्तु उक्त दोनों नलकूप अब तक चालू नहीं हो सके ? यदि हां, तो उक्त नलकूप कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह––

बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत विकास खंड दरियाबाद में स्थित नलकूप संख्या 55 राम सनेही घाट समूह तथा 56 राम सनेही घाट समूह की बोरिंग क्रमशः मार्च, 1977 तथा मई, 1977 में हुई थी । इनके बी० एल० फार्म राज्य विद्युत परिषद को क्रमशः 12/77 तथा 3/78 में भेजे गये । राजकीय नलकूप संख्या 55 राम सनेही घाट समूह का विद्युतीकरण हो गया है तथा नलकूप संख्या 56 राम सनेही घाट समूह विद्युतीकरण होते ही चालू हो जावेगा ।

श्री लालमन सिंह, अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, पांडेपार, जिला गोरखपुर का स्थानान्तरण

7––श्री रवीन्द्र सिंह––

क्या सरकार बतायेगी कि लालमन सिंह, अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, पांडेपार, बिकास क्षेत्र कौड़ीराम, जिला गोरखपुर जुलाई, 1978 से पूर्व कितने वर्षों से इस विद्यालय पर कार्यरत हैं ? क्या यह इस गांव के निवासी हैं ? क्या वर्ष 1977–78 में इनके विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने सरकार को कई पत्र लिखे थे ? क्या वर्ष 1978 में अगस्त–सितम्बर में प्रदेश सरकार के आदेश से इनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या पुनः अक्तूबर, 1978 में स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? क्या 1978 के नवम्बर में शिक्षा मन्त्री व उप शिक्षा मन्त्री को प्रश्नकर्ता ने उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह––

श्री लालमन सिंह, अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, पाण्डेपार में जुलाई, 1978 के पूर्व 15 वर्षों से कार्यरत थे ।

वह उसी गांव के निवासी हैं ।

सचिवालय स्तर पर प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं है ।

इनके स्थानान्तरण के आदेश सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् ने दिये थे ।

जी हां ।

प्रशासकीय कारणों से स्थानान्तरण निरस्त किया गया । सचिवालय स्तर पर इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के मार्ग कौड़ीराम--गजपुर को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने की मांग

8---श्री रवीन्द्र सिंह---

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को गोरखपुर जिला परिषद की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में 6 नवम्बर, 1978 को कोई पत्र लिखा गया था? क्या गोरखपुर जिले के कौड़ीराम--गजपुर मार्ग के विषय में विशेष रूप से सूचना मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या सूचना दी गई और क्या अनुशंसा की गई ?

श्री त्रिलोक चन्द्र---

जी हां । जिला परिषद्, गोरखपुर के कौड़ीराम--गजपुर मार्ग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई थी :

उक्त मार्ग की लम्बाई 8 कि० मी० तथा चौड़ाई 3·66 मीटर है जिसमें से 4·50 कि० मीटर पेन्टेड तथा 3·50 कि० मी० वाटर बाउन्ड है । पेन्टेड सतह के लिए रु० 1·25 लाख प्रति कि० मी० की दर से तथा वाटर बाउण्ड सड़क के लिये 1·50 लाख रुपये प्रति कि० मी० की दर से आधुनिकीकरण की कुल लागत 10·88 लाख रुपये अनुमानित की गयी है । इस मार्ग के 4 कि० मी० में एक पुल और 5 कि० मी० में दो पुल हैं जो कमजोर एवं संकरे हैं । इनके पुन-निर्माण हेतु 5·00 लाख रुपये के व्यय होने की आशा है । इस प्रकार इस मार्ग पर तथा पुलों के पुनः निर्माण पर सम्भावित व्यय 15·88 लाख रुपये होने का अनुमान है । हस्तान्तरण के समय एक लाख रुपये की अलग से तुरन्त मरम्मत के लिये आवश्यकता होगी और वार्षिक मरम्मत पर लगभग 28,800 रुपये व्यय होंगे ।

मुख्य अभियन्ता ने अनुशंसा की है कि धनाभाव से कारण इस मार्ग को विभाग द्वारा लिया जाना उचित नहीं होगा ।

श्री विद्या प्रसाद श्रीवास्तव, लिपिक, शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, गोरखपुर का निलम्बन एवं बहाली

9---श्री रवीन्द्र सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के पूर्व शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में कार्यरत लिपिक विद्यालाल को नगर पालिका, गोरखपुर के प्रशासक ने गबन के आरोप में निलम्बित किया था ? क्या वर्ष 1978 में वर्तमान बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें बहाल कर दिया ? यदि हां, तो निलम्बित लिपिक के ऊपर क्या आरोप थे ? क्या इन आरोपों की जांच कराई गई और क्या तथ्य स्पष्ट हुआ ? यदि नहीं, तो बगैर जांच के कैसे बहाल कर दिया गया ?

श्री कैलाश नाथ सिंह---

जी हां । श्री विद्या प्रसाद श्रीवास्तव, लिपिक, शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, गोरखपुर को प्रभारी अधिकारी नगर पालिका, गोरखपुर ने अनियमित रूप से अनुपस्थित रहने तथा गबन के आरोप में दिनांक 25-7-69 को निलम्बित किया था ।

जी हां । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें दिनांक 27-11-78 को बहाल कर दिया गया है । कार्यालय से अनियमित रूप से अनुपस्थित रहने तथा सरकारी धन के गबन के आरोप थे ।

जी हां । आरोपों की जांच शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र, गोरखपुर से कराई गई । आरोप पूर्णरूप से सिद्ध नहीं हुए ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

10—श्री रवीन्द्र सिंह—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद् को विद्यालय के साज-सज्जा हेतु दिया गया अनुदान

11—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1978-79 में राज्य सरकार ने गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद् को विद्यालय की साज-सज्जा के लिए कितना अनुदान दिया था ? क्या सभी अनुदान वितरित कर दिये गये ? क्या स्टोर में कुछ सामान मौजूद है ? क्या सरकार कुछ विद्यालयों में जहां अनुदान मिला है की जांच कराकर इस बात की पुष्टि करेगी कि निर्धारित सामान वहां निश्चित रूप से भेजा गया ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

वर्ष 1978-79 में गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद् को विद्यालय की साज-सज्जा हेतु 2,99,212. रु0 की धनराशि दी गई । 2,98,193.10 रु6 की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है ।

जी हां ।

वितरित किये गये सामानों की जांच अधिकांश संख्या में क्षेत्रीय प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों द्वारा करा ली गई है जो कि उप विद्यालय निरीक्षक/अतिरिक्त विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित है ।

राजकीय जुबली इन्टर कालेज, गोरखपुर में अग्निकाण्ड एवं लिखाई गयी रिपोर्ट

12—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 11 जनवरी, 1979 को राजकीय जुबली इन्टर कालेज, गोरखपुर के पुस्तकालय में कुछ अराजक तत्वों द्वारा आग लगाई गई ? यदि हां, तो क्या वे विद्यालय के ही छात्र थे ? विद्यालय के प्राचार्य की ओर से क्या कोई रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई ? यदि हां, तो स्वयं प्राचार्य ने आग लगाने वालों के विरुद्ध क्या किया ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

राजकीय जुबिली इन्टर कालेज, गोरखपुर के पुस्तकालय में नहीं वरन् कालेज के कमरा नं० 12 में फर्नीचर में आग लगायी गई थी । इसमें बाहरी तत्व एवं विद्यालय के छात्र दोनों ही सम्मिलित थे । उप प्राचार्य, द्वितीय पाली, जो उस

दिन इंचार्ज प्राधानाचार्य भी थे, ने उसी दिन पुलिस में इसकी रिपोर्ट कर दी थी। इस काण्ड में भाग लेने वाले छात्रों के अभिभावकों को बुलवाया गया। कुछ छात्रों के अभिभावकों से छात्रों के अनुशासित रहने के लिए अनुबन्ध पत्र भरवाया गया। कुछ छात्रों को चेतावनी दी गई और एक छात्र को विद्यालय से निकाल दिया गया।

13—श्री शंकर सिंह—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

14—श्री बाबू लाल वर्मा—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

15—श्री रणजीत सिंह—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

वाराणसी जिले की माधोपुर—खमरिया सड़क का निर्माण

16—श्री बेचू राम (जिला वाराणसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के औराई निर्वाचन क्षेत्र में 1978 में स्वीकृत माधोसिंह खमरिया सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हां।

इस मार्ग के प्रथम दो कि० मी० भाग को पूरा कराने का लक्ष्य जून, 1979 है, तथा शेष 2.6 कि० मी० भाग को पूरा कराने का लक्ष्य मार्च, 1980 है, किन्तु यह बिटयूमिन (तारकोल) की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

17—बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नैनीताल जिले के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति का आधार

18—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूलों में चालीस विद्यार्थी पर एक अध्यापक की नियुक्ति करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो इस प्राविधान के अनुसार वर्तमान सत्र में जिला नैनीताल में कितने अध्यापकों की आवश्यकता है और कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान है :—

(1) 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक नियुक्त किया जाय और किसी स्कूल विशेष की छात्र संख्या को 40 से विभाजित करने के पश्चात् यदि उस स्कूल में शेष छात्रों की संख्या 20 से अधिक हो तो एक अतिरिक्त अध्यापक तैनात किया जाय; तथा

(2) एक अध्यापकीय प्राइमरी स्कूल में एक और अतिरिक्त सहायक अध्यापक तैनात किया जाय यदि उस स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षायें लगती है और छात्रों की संख्या 40 से अधिक है ।

वर्तमान शिक्षा सत्र में जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में 1906 अध्यापक और 8 नगर क्षेत्रों में 384 अध्यापक कार्यरत हैं और उक्त आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 200 अध्यापकों की और आवश्यकता है ।

बहराइच जिले में जल निकासी हेतु नालों पर निर्माण कार्य

19—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले में जल भराव की समस्या को हल करने के लिए जल निकासी नालियां निकालने हेतु पत्र संख्या 1436(अनु०)/78, दिनांक 19 सितम्बर, 1978, पत्र संख्या 1436/78, दिनांक 18/20 मई, 1978 तथा प्रकल्प प्राक्कलन सर्वेक्षण रिपोर्ट सं० 262/आ० लि०-37(दा)-77, दिनांक बहराइच, 20 जून, 1978 (जिलाधिकारी बहराइच) पत्रांक 470, दिनांक 12 जनवरी, 1978 खन्ड विकास अधिकारी, जरवल सर्वेक्षण रिपोर्ट पत्रांक 566/सि० खं० गो/वी-4/385 (जलभराव), दिनांक 7 फरवरी, 1978 अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खंड गोंडा की सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कितने कि० मी० की कौन-कौन सी नालियां अलग-अलग बनाई जायेंगी तथा कितनी धनराशि के परिव्यय का अनुमान है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जिन नालों पर निर्माण कार्य प्रगति में है उसकी सूची नीचे दी जा रही है :—

नाले का नाम	प्रस्तावित लम्बाई कि० मी०	अनुमानित लागत लाख रु०
जैसोरा ताल ड्रेन	14.89	3.09
सिंगही ताल ड्रेन	10.46	1.06
फुलवरिया ताल ड्रेन	10.16	1.90
भुजवन्डा ताल ड्रेन	8.05	2.39
गुलरिया ताल ड्रेन	10.00	4.90

अन्य नालों पर सर्वेक्षण तथा अन्य प्रारम्भिक कार्य पूरे हो जाने तथा उनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

20—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

मिर्जापुर जिले की कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण

21—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद में कनहर नामक सिंचाई की कोई योजना सरकार ने स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो कब कितनी लागत की और उसका लक्ष्य तथा कार्य सम्पादन का विवरण क्या है ? उक्त योजना पर दिसम्बर, सन् 1978 तक किन-किन कार्यों या वस्तुओं पर कितना-कितना रुपया कब-कब किस-किस रीति से हुआ व्यय तथा भुगतान किन-किन को किया गया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां, मिर्जापुर जनपद में स्थित कनहर सिंचाई परियोजना 27.75 करोड़ रुपये की दिसम्बर, 1978 में स्वीकृत की गई है । इस योजना पर कार्य मार्च, 1983 तक समाप्त करने का कार्यक्रम है तथा इससे 32080 हेक्टेयर वार्षिक सींच प्रस्तावित है । परियोजना पर विस्तृत सर्वेक्षण, भवनों तथा पहुंच सड़क का निर्माण, बिजली, मशीनों तथा पुर्जों के प्रबन्ध आदि पर कार्य प्रगति पर है ।

उक्त योजना पर दिसम्बर, 1978 तक कार्यवार व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 860 पर)

वाराणसी-भदोही मार्ग के निर्माण की जांच रिपोर्ट

22—श्री बेचू राम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में वाराणसी से भदोही सड़क के 1978 में स्वीकृत भाग का निर्माण प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हां । वाराणसी-भदोही मार्ग के 6 कि० मी० के पुनः निर्माण हेतु 1978 में स्वीकृत भाग पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

इस निर्माण कार्य को पूरा कराने का लक्ष्य जून, 1979 है, किन्तु यह बिट्यूमिन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

23—श्री बेचूराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने वर्ष 1978-79 में अपने वाराणसी के दौरे में वाराणसी-भदोही सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार की जाँच प्रश्नकर्ता द्वारा निवेदन किए जाने पर टेक्निकल सेल द्वारा कराए जाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जी हां ।

जांच रिपोर्ट अभी शासन के विचाराधीन है ।

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति में वर्क चार्ज कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा

24--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई अधिष्ठान में अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति हेतु चयन करते समय उन अभ्यर्थियों को जो कि सिंचाई जलकल अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्कचार्ज अथवा अप्रेन्टिस के रूप में नौकरी कर चुके हैं, प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति हेतु चयन में केवल सिंचाई विभाग के डिप्लोमाधारी कार्य प्रभारित कर्मचारियों एवं अप्रेन्टिस के रूप में अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारकों को उनके परीक्षा प्राप्तांकों में पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम् 10% अंक तक वेटेज दिया जाता है । अन्य विभागों तथा जलकल अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को सिंचाई विभाग का अनुभव नहीं होता और उन्हें उक्त लाभ शासनादेश दिनांक 7-2-1977 के अनुसार देय नहीं है ।

जूनियर हाई स्कूलों की परीक्षा प्रणाली बदलने की कथित रूप-रेखा

25--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जूनियर हाई स्कूलों की परीक्षाओं को संचालित करने हेतु किसी परिषद् के गठन तथा उनकी प्रणाली में बदल करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं का सेलेक्शन ग्रेड

26--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक (गैर सरकारी मान्यताप्राप्त) शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

राज्य निधि से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं, एल0 टी0 तथा सी0 टी0 वेतन-क्रम के शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है।

रूप-रेखा संलग्नक में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८६१ पर।)

मथुरा जिले के ड्रेनेज खण्ड द्वारा किया गया कार्य एवं भुगतान

27--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में ड्रेनेज डिवीजन प्रथम द्वारा वर्ष 1978-79 में कितनी धनराशि का कार्य कराकर भुगतान किया गया तथा 1979 फरवरी से 31 मार्च, 1979 तक कुल कितना भुगतान निर्माण कार्य में किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मथुरा जनपद के ड्रेनेज खण्ड प्रथम द्वारा वर्ष 1978-79 मे 18,27,000 रु0 की धनराशि का कार्य करवाकर भुगतान किया गया तथा वर्ष 1979 में माह फरवरी एवं मार्च में कुल 3,97,000 रु0 का भुगतान निर्माण कार्य पर किया गया।

प्राइमरी पाठशाला, बहादुरपुर, जिला मथुरा के अध्यापक श्री कन्हैया लाल के शिकायती-पत्र की जांच

28--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पा0, बहादुरपुर भूमि विकास खंड, सादाबाद, जिला मथुरा ने क्षेत्रीय एस0 डी0 आई0 के विरुद्ध रिश्वत लेकर वेतन भुगतान करने की शिकायत माह अप्रैल, 1978 में की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और जांच में किस-किस तिथि को किस-किस के बयान जांचकर्ता द्वारा लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां, उक्त पाठशाला के श्री कन्हैया लाल, सहायक अध्यापक ने शिकायत की थी, जिस पर उप विद्यालय निरीक्षक, मथुरा द्वारा जांच की गई। जांच अधिकारी द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के बयान उनके सम्मुख अंकित तिथियों को लिए गए :--

1--श्री मुहम्मद फारूक, एस0 डी0 आई0, सादाबाद	दिनांक 26-11-78
2--श्री रामाधीन, प्र0 अ0, प्रा0 पा0, बहादुरपुर भूप	दिनांक 4-2-79
3--श्री डोरी लाल, सहायक अध्यापक, प्रा0 पा0, बहादुरपुर भूप	दिनांक 8-4-79
4--श्री राम जी लाल, सहायक अध्यापक, प्रा0 पा0, बहादुरपुर भूप	दिनांक 11-4-79
5--श्री कन्हैया लाल, सहायक अध्यापक, प्रा0 पा0, बहादुरपुर भूप	दिनांक 24-4-79

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला पूर्ति कार्यालय, सीतापुर के पूर्ति निरीक्षक, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र को भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी

29--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला पूर्ति कार्यालय में पूर्ति निरीक्षक पद से वर्ष 1971 में अवकाश ग्रहण करने वाले ऐसे निरीक्षक कौन-कौन हैं जिन्हें भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी का धन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ? प्राप्त न होने का कारण क्या है तथा कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

श्री मलिखान सिंह--

वर्ष 1971 में जिलापूर्ति कार्यालय, सीतापुर से केवल पूर्ति निरीक्षक, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र सेवानिवृत्त हुए, जिन्हें अभी भविष्य निधि व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो सका है । श्री मिश्रा को ग्रेच्युटी के भुगतान के कागजात तैयार करके कोषागार में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उन्हें उसका शीघ्र ही भुगतान हो जायेगा । श्री मिश्रा ने भविष्य निधि के भुगतान से सम्बन्धित प्रपत्र अभी नहीं भरा है । उनसे प्रपत्र भराकर कागजात महालेखाकार को भेजे जायेंगे और महालेखाकार की स्वीकृति मिलते ही उन्हें भुगतान कर दिया जावेगा ।

न्याय पंचायत कजरौड़ी, जिला मथुरा के चीनी कोटे का निलम्बन

30--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के अन्तर्गत तहसील सादाबाद की न्याय पंचायत कजरौड़ी का नवम्बर, 1977 में चीनी का कोटा रद्द कर देने के बाद भी दिसम्बर, 1977 में चीनी विक्रेता को चीनी का कोटा दिया गया ? यदि हां, तो चीनी का कोटा किसकी संस्तुति पर दिया गया और जनता द्वारा यह शिकायत की गई थी कि चीनी का कोटा उठाकर ब्लैक में बेच दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मलिखान सिंह--

जिला मथुरा की तहसील सादाबाद की न्याय पंचायत कजरौड़ी का लेवी चीनी का कोटा परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 1977 द्वारा निलम्बित किया गया था । जिसकी सूचना भारतीय खाद्य निगम को भेज दी गई थी। कोटेदार को दिसम्बर, 1977 का कोटा नहीं दिया गया था । कोटेदारों को उनके कोटे के कार्ड बने हुए थे जिन पर प्रश्नगत कोटेदार दिसम्बर, 1977 का कोटा भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की चूक के कारण उठा लाया था । कोटेदार द्वारा दिसम्बर, 1977 की चीनी वितरण की पुष्टि न्याय पंचायत के सरपंच एवं 5 गांव सभाओं के प्रधानों द्वारा की गई है जिसके कारण चीनी की चोरबाजारी का आरोप सिद्ध नहीं होता और तदनुसार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

31--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

32--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

देहाती क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवन के नक्शे के आधार पर सीमेन्ट के आबंटन की मांग

33--श्री ऊदल--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी इमारतों के लिए सीमेन्ट लेने हेतु इस्टीमेट एवं नक्शा बनाकर मांग करने वालों के लिये अब तक कोई व्यवस्था नहीं है और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नक्शा और इस्टीमेट बनाकर सीमेन्ट की मांग करने वालों को प्रत्येक माह में सीमेन्ट दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वाराणसी जिले तथा अन्य जिलों में जो ब्लाक स्तर पर सीमेन्ट देने की व्यवस्था है उसी में से 5/10 बोरी किसी-किसी महीने में पूर्ति की जाती है ? क्या सरकार देहाती क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी व्यवस्था करेगी ?

श्री मलिखान सिंह--

ग्रामीण क्षेत्रों में एक भवन निर्माण के लिए नक्शा बनाने अथवा स्थानीय निकाय से उसे स्वीकृत कराने का नियम नहीं है । अतः ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी प्रार्थियों की मांग की जांच कराकर सीमेन्ट के परमिट देते हैं । सीमेन्ट की उपलब्धता मांग से कम होने के कारण प्रार्थियों की सत्यापित आवश्यकता किस्तों में परमिट जारी करके पूरे करने के आदेश हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से बड़े भवनों जैसे कोल्ड स्टोरेज, धर्मशाला के लिए सरकार द्वारा सीधा आवंटन किया जाता है । शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत नक्शों के आधार पर सत्यापित मांग की आपूर्ति मासिक किस्तों में दिए जाने के आदेश हैं । यहां भी सीमेन्ट की उपलब्धता के अनुसार मासिक किस्त की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है । वाराणसी तथा अन्य जिलों के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू है ।

34--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

35--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[2-5-79 को आतारांकित प्रश्न संख्या 18 द्वारा उत्तरित ।]

फैजाबाद जिले के निर्माण कार्यों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

36--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 28 जुलाई, 1978 का पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में की गई शिकायतों की जांच कराकर उस पर क्या कार्यवाही की गई और जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोकी चन्द्र--

जी हां, जांच कराई जा रही है ।

37--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

फैजाबाद जिले के कतिपय मार्गों का निर्माण

38--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

तृतीय सत्र 1978 के पहले बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में बाला पैकोली-सराय वीरसिंहपुर मार्ग, माया बाजार-महबूबगंज मार्ग तथा महरुआ-मयानी मार्ग में अभी कितना काम होना शेष है और उक्त सड़कें कब तक बनकर पूरी हो जायेंगी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

इन मार्गों पर निम्नलिखित काम होना शेष है :--

1--बाला पैकोली सरायवीर सिंहपुर मार्ग (लम्बाई 6·5 कि० मी०)

(1) मध्य सतह-एकत्रीकरण	2·50 कि० मी० ।
कुटाई	5·50 कि० मी० ।
(2) ऊपरी सतह एकत्रीकरण	3·50 कि० मी० ।
कुटाई	5·50 कि० मी० ।
(3) प्रथम सतह लेपन	6·50 कि० मी० ।
(4) द्वितीय ,	6·50 कि० मी० ।

2--माया बाजार महबूबगंज मार्ग (लम्बाई 12·048 कि० मी०)

(1) मध्य सतह कुटाई	1·00 कि० मी० ।
(2) ऊपरी सतह कुटाई	3·048 कि० मी० ।
(3) प्रथम सतह लेपन	12·048 कि० मी० ।
(4) द्वितीय सतह लेपन	12·048 कि० मी० ।

3--महरुआ-मयानी मार्ग (लम्बाई 7·1 कि० मी०)

(1) मध्य सतह एकत्रीकरण	0·10 कि० मी० ।
कुटाई	1·10 कि० मी० ।
(2) ऊपरी सतह एकत्रीकरण	2·6 कि० मी० ।
कुटाई	7·1 कि० मी० ।
(3) प्रथम सतह लेपन	7·1 कि० मी० ।

(गिट्टी का एकत्रीकरण हो रहा है)

इन मार्गों का निर्माण कार्य वांछित धन उपलब्ध होने पर मार्च, 1980 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

39--श्री रवीन्द्र सिंह--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

40--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, कासगंज, जिला एटा का कालातीत अनुदान

41--नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि कासगंज, एटा जिले के राजकीय कन्या इन्टर कालेज का किस-किस मद का कितना-कितना धन 31 मार्च, 1979 को कालातीत हो गया ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1979 को मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, आगरा को कोई टेलीग्राम अनुदान के भुगतान की व्यवस्था हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो उस अनुदान के कालातीत होने का कौन-कौन दोषी है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां, राजकीय कन्या इंटर कालेज, कासगंज (एटा) को स्वीकृत निम्न-लिखित अनुदान 31 मार्च, 1979 को कालातीत हो गया :--

मद	रु०
1--अतिरिक्त कार्यालय व्यय	4,585·00
2--अतिरिक्त बस अनुदान	9,000·00
3--अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के भ्रमणार्थ यात्रा भत्ता	300·00
4--कार्यालय यात्रा भत्ता	500·00
5--भवन मरम्मत	750·0
योग ..	15:135·00

माननीय सदस्य का तार दिनांक 30 मार्च, 1979 मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, आगरा को दिनांक 31 मार्च, 1979 को प्राप्त हुआ था । उक्त अनुदानों के कालातीत होने में लोक व्यक्ति दोषी है, इ की जांच करायी जा रही है ।

प्रदेश की सी० पी० एम० टी० परीक्षा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का आरक्षण न किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोती राम (जिला कानपुर) --

मान्यवर, उ० प्र० के प्रति वर्ष की भांति गत वर्ष सात मेडिकल कालेजों में भर्ती हेतु सी० पी० एम० टी० की परीक्षा ली गयी जिसकी कई श्रेणियों में सूची तैयार की गई । 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 2 प्रतिशत जनजाति, 12 प्रतिशत पिछड़ी जाति, एवं उत्तराखंड के निवासियों तथा सेना के हताहतों आदि के लिए अलग-अलग संरक्षण निर्धारित किया गया । अनुसूचित जनजाति के अलावा प्रत्येक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रेणी में छात्रों का अलग एवं छात्राओं का अलग कोटा निर्धारित किया गया। उसका आरक्षण शासन ने जो रखा है वह हमारी जानकारी के अनुसार दो एवं एक के अनुपात से रहा है। इसके पूर्व महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत का आरक्षण था। इस वर्ष सामान्य सूची में 10 प्रतिशत पिछड़ी जाति के 4 प्रतिशत उत्तराखंड आदि श्रेणियों में भी महिलाओं का आरक्षण इसी प्रकार किया गया किन्तु वह सब मिलाकर 20 प्रतिशत आरक्षण पूरा नहीं हो पाया। अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यह आरक्षण नहीं दिया गया जो अन्य वर्गों को दिया। यदि समान मापदण्ड से अन्य वर्गों की जाति अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यह आरक्षण दिया गया होता तो लगभग 50 छात्राओं का चयन होता। किन्तु हमारी जानकारी के अनुसार केवल 7 छात्रायें अनुसूचित जातियों की चुनी गयी हैं। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के छात्रायें विशेष रूप से एवं महिलायें सामान्य रूप से से मिलने वाली सुविधा से वंचित कर दी गयीं। जिससे इस वर्ग में काफी असंतोष एवं क्षोभ है। वास्तव में अनुसूचित जाति की छात्राओं को समस्त अधिकार से वंचित किया जाना असंवैधानिक भी है। सरकार के इस असमानता के बर्ताव से अनेक परिवार प्रभावित हुए हैं और उनके जायज एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है।

इस प्रकार प्रदेश में जनुसूचित जात में विशेषकर महिलाओं में सामान्य रूप से असन्तोष है। इस वर्ष की परीक्षा हेतु प्रार्थना पत्र मांगे गए हैं और यदि समय रहते निर्णय न लिया गया तो अनेक छात्राओं के अधिकारों का हनन हो जायेगा जिसकी क्षति पूर्ति शासन न कर सकेगा।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उपर्युक्त जाति की छात्राओं को छः प्रतिशत आरक्षण दें और यदि छात्राओं से यह स्थान न भर सके तो उसकी पूर्ति छात्रों से कर ली जये।

मथुरा जिले के महोली क्षेत्र के किसानों की भूमि का धारा 17 के अन्तर्गत नोटिस देकर जबरन अधिग्रहण करने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

मैं विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत मथुरा नगर के अनेक किसानों के प्रति आवास विकास परिषद् द्वारा किए जा रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उक्त परिषद द्वारा मथुरा के महोली क्षेत्र में किसानों की कई सौ एकड़ भूमि जिसमें उनकी खेती है, नलकूप और मकान हैं, धारा 17 के अन्तर्गत नोटिस देकर जबरन अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जा रही है और इस प्रकार उन्हें उजाड़ा जा रहा है और ऐसा तब किया जा रहा है जबकि नगर के आसपास अन्यत्र पर्याप्त खाली भूमि उपलब्ध है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

दूसरी दुखद बात यह है कि परिषद् द्वारा जिस जमीन को अब सन् 1979 में अधिग्रहण की जाने की कार्यवाही हो रही है उसका मुआविजा आगणन सन् 1973 की दर पर किया जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। न केवल इतना वरन परिषद् की इस विषय की अब तक की कार्यवाही से आशंका होती है कि किसानों को रुपए में दस पैसे भी नहीं मिल पावेंगे। कुछ समय पूर्व उद्योग और मंडी क्षेत्र के नाम पर अनेक-अनेक किसानों की भूमि इसी प्रकार अधिग्रहण कर ली गयी थी और वे कृषक बर्बाद होकर मुआवजे के लिए आर्तनाद कर रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है।

यह भी वक्तव्य है कि उपरोक्त जमीन को अधिग्रहण करने के पूर्व ही परिषद् ने उस पर प्लाट देने हेतु अधिसूचना प्रकाशित कर बड़ी धनराशि जनता से जमा करा ली है जो अनैतिक है।

मेरा शासन से अनुरोध है कि इस अधिग्रहण की कार्यवाही को तुरन्त रोककर सारे मामले की सम्यक जांच कराई जावे ताकि सम्बन्धित किसानों को इस अन्याय से मुक्ति मिले। साथ ही साथ परिषद् द्वारा अनैतिक रूप से जनता से रुपया जमा कराने के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करें।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम लोधौना व हुसैनपुर में भीषण अग्निकांड से क्षति तथा राहत की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण घटना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, 4 अप्रैल, 1979 को दिन के 4 बजे ग्राम लोधौनी, ब्लाक रामपुर मथुरा तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में भीषण अग्निकांड में लगभग 100 घर तथा उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी। एक गरीब व्यक्ति घर से बाहर न निकल सका अन्ततः उसी में बुरी तरह जलकर मर गया। कई बच्चे तथा महिलाएं जल गयीं जो आज भी मरणासन्न अवस्था में हैं। सैकड़ों बैल, गायें, भैंस, सुअर बकरी तथा मुर्गियां जलकर भस्म हो गयीं। इतना ही नहीं कई लाख की फसल जो खलिहान में लगी थी वह भी जलकर नष्ट हो गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर कई लाख की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी। सीतापुर से दमकल आने पर बहुत ही कठिनाई से आग बुझाई जा सकी। इस गांव के निवासियों को न खाने का ठिकाना है न रहने तथा पहनने के कपड़ों का। सभी व्यक्ति भूखों-प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं।

ऐसे ही दिनांक 4-4-79 को ग्राम हुसैनपुर मजरा मुंडेरा तहसील महमूदाबाद में भीषण अग्निकांड से एक हरिजन के दो बच्चे जलकर मर गए। महोदय, अये दिन किसी न किसी गांव में अग्निकांड की घटनायें हो रही हैं हर समय लोगों के मन में भय व्याप्त रहता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम लोधौनी व हुसेनपुर में भीषण अग्निकान्ड से क्षति तथा राहत की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

अतः हम अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण घटना की ओर आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि लोगों को भुखमरी तथा तबाही से बचाने के लिए अधिक से अधिक राहत सामग्री भेजने की कृपा करें। मृतकों को सान्त्वना हेतु कुछ विशेष राहत कार्य भेजने की कृपा करें। आये दिन अग्निकांडों को रोकने हेतु एक अग्निशामक यंत्र (फायर बिग्रेड) को महमूदाबाद तहसील मुख्यालय पर अवश्य रखवाने की कृपा करें।

बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम घरकुइयां में अग्निकांड से क्षति तथा सहायता की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत ग्राम घरकुइयां तथा बतोली चन्दा में भीषण अग्निकांड के कारण लाखों रुपयों की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी है। ग्राम घरकुइयां के 40 परिवार के लोगों की सारी सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी लगभग 5 करोड़ की भारी क्षति उठानी पड़ी है। उक्त अग्निकांड से पीड़ित 46 परिवार के लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है जिनकी दशा अत्यन्त ही दयनीय एवं शोचनीय हो गयी। खेद है कि अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं दी गयी है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रत्येक अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवार के लोगों को 1000 रु० राजकीय अनुदान देकर सहायता करें, गृह निर्माण के लिए आर्थिक सहायता तथा दीर्घकालीन ऋण वितरित करवाने की कृपा करें।

जनपद देवरिया की हाटा तहसील के ग्राम बरवाहरपुर में अग्निकांण्ड तथा सहायता की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय, मैं आपके माध्यम से जनपद देवरिया, तहसील हाटा के ग्राम बरवा हरपुर में हुई आगजनी के तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय, मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरवा हरपुर तहसील हाटा जनपद देवरिया में अकस्मात दो रोज पूर्व आग लग जाने से लगभग तीन सौ घर जलकर राख हो गये। आग में तीन आदमी जिन्दा जलकर मर गये तथा एक दर्जन झुलस कर मरणासन्न की दशा में हैं। दो दर्जन से अधिक पशु जल मरे। लगभग तीन सौ घरों के दो हजार से अधिक व्यक्तियों के समक्ष जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। खेद है कि इस दिल दहलाने वाली घटना पर अब तक जिले का कोई अधिकारी निरीक्षण तक नहीं किया है। इस घटना से लोगों में त्राहि-त्राहि मचा हुआ है, सरकार के तरफ से ध्यान न दिये जाने के कारण लोगों में काफी रोष एवं का वातावरण बनता जा रहा है।

[श्री बांके लाल]

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मांग करता हूं कि उपरोक्त क्षेत्र में लोगों के जीवन रक्षार्थ तथा सहातार्थ अविलम्ब व्यवस्था किया जाय । समस्त वसूलियां माफ की जायं । जले हुये मकानों को सरकार स्वयं बनवाने की व्यवस्था करे, तथा पीड़ित जनों को तत्काल सहायता तथा दवाइयां देने की व्यवस्था की जाय ।

दिनांक 8 मई, 1979 को प्रदेश के अधिकांश भागों में बिजली की आपूर्ति ठप्प हो जाने से जनजीवन अस्तव्यस्त होने के विषय को नियम 301 अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, दिनांक 8 मई, 1979 को प्रदेश के अधिकांश भागों में बिजली न होने की वजह से सर्वत्र जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और व्यापक रूप से कामकाज ठप्प हो गये यह जानकारी मिली है कि 8 मई को शाम के 7 बजे के बाद जनपद वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर एवं प्रदेश के राजधानी लखनऊ सहित अनेक नगरों में बिजली चली गयी जिसके फलस्वरूप सर्वत्र अंधकार छा गया और दैनिक जीवन पर अत्यन्त ही प्रतिकूल असर पड़ा है । बिजली के चले जाने की वजह से पानी की आपूर्ति भी ठप्प पड़ गयी और लोग पानी की तलाश में भटकते रहे लेकिन पानी उपलब्ध नहीं हो पाया । बिजली के न होने की वजह से न सिर्फ सर्वत्र काम काज ही रुक गया वरन् भीषण गर्मी के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था भी अवरुद्ध हो गयी थी ।

यह एक अत्यन्त ही लोक महत्व का प्रश्न है जिससे असंख्य नागरिक पीड़ित हुये लेकिन अभी तक यह निश्चित रूप से जानकारी नहीं मिल पायी कि इस बिजली की आपूर्ति ठप्प पड़ जाने का क्या कारण है । क्योंकि प्रदेश के अधिकांश भागों में एक साथ बिजली की आपूर्ति का ठप्प पड़ना किसी षड़यंत्र की ओर भी इशारा करता है । इस सम्बन्ध में करीब एक माह पूर्व सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल की बिजली आपूर्ति का एक समय पर ठप्प पड़ जाना एक जीता जागता उदाहरण है ।

अतः मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन द्वारा वक्तव्य की अपेक्षा है ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इतने बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर आज ही शासन द्वारा कोई वक्तव्य आना चाहिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका मैं स्वयं रात भर भुक्तभोगी रहा हूं । मान्यवर, बलरामपुर अस्पताल में भी बिजली और पंखा नहीं चल रहा था जिससे बीमार लोगों को बड़ी परेशानी हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न नियम 301 में उठाया गया है जिसके बारे में मैं समझता हूं कि सरकार इस पर बयान दे कि किस कारण प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों और लखनऊ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में भी 3-4 घंटे के लिये बिजली की जो कमी पड़ी है इसका विशेष कारण क्या है । इसलिये सरकार वक्तव्य दे ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

माननीय, जहां से बिजली गयी है वहां-वहां से सूचना मंगानी पड़ेगी । इसलिये इसमें थोड़ा समय लगेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

स्वस्थ्य मंत्री जी मालूम पड़ता है कि शायद विद्युत मंत्री को निकम्मा समझते हैं लेकिन कल शाम को ही विद्युत् मंत्री का बयान है । उनका एक सार्वजनिक रूप से बयान आ चुका है । इसलिय आज ही माननीय, आप वक्तव्य देने के लिये निर्देश दे क्योंकि हो सकता है कि रात में फिर बिजली चली जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

विद्युत् मंत्री, यदि सूचना एकत्र हो जाय तो आज ही वक्तव्य दे दें या जो जानकारी आज हो जाय वह आज दे दें और बाकी कल दे दें ।

श्री राधे श्याम शर्मा--

माननीय, यह अहम मसला है इसलिये अगर का सवाल नहीं है ।

माननीय, इसमें आज ही शाम तक बयान दिलवायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है आज शाम तक जो सूचना एकत्र हो जाय, उसके आधार पर आज बयान दे दें ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

माननीय, क्यों नहीं सूचना इकत्र कर सकते ? इनके पास वायरलेस है जरा सी देर में सूचना आ जाती है । कल के लिय छोड़ेंगे तो रात भर में कितनी तकलीफ हो जायेगी । बलरामपुर अस्पताल में हाहाकार मच गया था बिजली के न होने के कारण । पंखे नही चले और बड़ी परेशानियां हुयीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

शाम तक जितनी भी सूचना आ जाय, उसको दे दें ।]

बस्ती जिले की गोविन्द नगर चीनी मिल को स्थानान्तरित किये जाने के प्रयास के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)--

माननवर, बस्ती जनपद प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद है । इस जनपद में "दि बस्ती शूगर मिल्स लिमिटेड" और "गोविन्दनगर चीनी मिल"--दोनों एक ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[जगदम्बा प्रसाद सिंह]

मालिक "सारंग ग्रूप" की मिलें हैं । कई वर्षों से गोविन्द नगर चीनी मिल के मालिक अपने मिल को बन्द करना चाहते हैं लेकिन शासन ने ऐसा नहीं करने दिया था । इस वर्ष हमको पता लगा है कि गोविन्द नगर चीनी मिल हमारे जनपद से उखड़ कर गजरौला जिला मुरादाबाद में जा रही है और इसके लिये मिल मालिक ने गन्ना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया है । यदि चीनी मिल गोविन्द नगर टूट जाता है तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और लाखों किसान बुरी तरह से प्रभावित होंगे । बस्ती चीनी मिल की जितनी पेराई क्षमता है उसके अनुसार अभी तक वहां अपने सुरक्षित क्षेत्र का ही गन्ना नहीं पेर सकी है । गोविन्दनगर मिल के सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना पेर सकने का प्रश्न ही नहीं उठता है । बस्ती जनपद में जितनी मिलें हैं, उनकी पेराई क्षमता अपने सुरक्षित क्षेत्र के ही गन्ने को पेरने में कम पड़ जाती है । बस्ती चीनी मिल का मालिक अपने एक ही प्लान्ट से और एक ही खर्च में अधिकाधिक मुनाफाखोरी के लालच में बस्ती और गोविन्दनगर दोनों मिल का गन्ना पेरना चाहता है और इसके लिये गन्ना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी उसने नाजायज लाभ पहुंचाया है । ऐसी चर्चा आम जनता में है । यदि इसे रोका नहीं गया तो हमारे जनपद का पिछड़ापन और बढ़ेगा तथा किसान तबाह हो जायेंगे ।

इसलिये शासन को तत्काल आदेश जारी किये जांय कि गोविन्दनगर चीनी मिल को उखाड़ने की योजना सदैव के लिये समाप्त कर दें और यह चीनी मिल उसी स्थान पर कार्यरत रहे ।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मई, 1979 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 9 मई, 1979 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1979, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मई, 1979 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, दिनांक 5 मई 1979 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 मई, 1979 को वापस प्राप्त हो गया है ।

श्रम मंत्री, श्री क्रांति कुमार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर स्वीकृत अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्रम मंत्री, श्री क्रांति कुमार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर स्वीकृत अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैंने नियम 301 में सूचना दी थी। 3 मई को माननीय श्रम मन्त्री जी के विरुद्ध सूचना पढ़ी गयी थी और यह आरोप लगाया था कि कुछ अधिकारियों को इस मामले में दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो स्वीकार नहीं किया था ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, आपने आज्ञा नहीं दी थी इसलिये नहीं पढ़ा गया था। मेरा अभियोग लेकिन सही साबित हुआ। इस सम्बन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी स्वीकार कर लिया है। प्रशासन अधिकारियों से कुछ विशेष उत्तर दिलाना चाहता है लेकिन उसमें सफल न होने पर एक अधिकारी का ट्रान्सफर हो गया है। मान्यवर, प्रश्नों को प्रभावित करना उचित नहीं और माननीय इन्दिरा जी को भी इसीलिये दण्डित किया गया था कि उन्होंने प्रश्नों के उत्तर को प्रभावित करने की कोशिश की। मैं निश्चितरूप से जानकारी देना चाहता हूं कि इस मामले में जो मन्त्री जी के खिलाफ जांच अधिकारी हैं, उनको दबाया जा रहा है। तीन अधिकारियों का ट्रान्सफर भी हो गया है—गंगावल, राजमल और राम सरण मान्यवर, 3 एस0 पी0 इसमें थे, सबसे पहले रिजवी थे, उनका ट्रांसफर हुआ, दूसरे शुक्ला थे उन पर दबाव डाला गया और नहीं माने तो उनका ट्रांसफर हुआ, तीसरे आर0 वी0 श्रीवास्तव थे, वे बड़े प्रतिष्ठित और अच्छे व्यक्ति थे, उनका ट्रांसफर किया गया। इसमें एक नहीं कोआपरेटिव सेल के कई लोगों के मामले विचाराधीन हैं। मैं चाहूंगा कि अगर यही प्रक्रिया चलेगी तो हम कोई प्रश्न नहीं कर पायेंगे। मैं चाहूंगा कि हमें संरक्षण दिया जाना चाहिए और आप इस सम्बन्ध में शासन से स्पष्ट घोषणा करने को कहें कि किसी भी अधिकारी को प्रश्न का उत्तर देने या यहां सदन में कोई बात आने पर दंडित नहीं किया जाएगा, आप हमें संरक्षण दें कि हम जो प्रश्न सदन में करेंगे, उसके बहाने से किसी अफसर को दंडित नहीं किया जाएगा। अगर यह होगा तो उसका मतलब यह होगा कि या तो हम लोग प्रश्न ही नहीं करेंगे ताकि किसी निर्दोष का अहित न हो, और या तो उचित न्याय नहीं मिल सकेगा। मेरा यह कहना नहीं है कि रोजाना झूठे आरोप मंत्री मंडल के सदस्यों पर लगाये जायें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन की एक समिति इसकी जांच कर ले। अगर मैं गलत कहता हूं तो मैं सदन की सदस्यता का त्याग कर दूंगा। अगर समिति इस नतीजे पर आए कि बात सही है, तो मैं यह नहीं कहता कि मंत्री इस्तीफा दें लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित करें कि प्रश्न पूछे जाने पर अफसरों को दंडित नहीं किया जाएगा और उनके विरुद्ध जांच को प्रभावित नहीं किया जाएगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

श्री तोमर ने एक बहुत ही गम्भीर बात इस सदन के संज्ञान में ला दिया है और वह इस माने में बहुत ही गम्भीर है कि हम आपके माध्यम से जितने भी अल्पसूचित, तारांकित या अतारांकित प्रश्न पूछते हैं, तो आशा की जाती है कि निष्पक्ष रूप से उसका उत्तर देने में अधिकारी सहयोग करेंगे और उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करेंग . . .।

श्री उपाध्यक्ष---

आप यह बताइये कि माननीय सदस्य ने नियम 300 के अन्तर्गत यह जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, तो यह अौचित्य का प्रश्न किस प्रकार से बनता है ?

श्री देव बहादुर सिंह--

यह तोमर जी ने बहुत ही गम्भीर मसला सदन के सामने ला दिया है । हम आपकी तरफ देखते हैं कि आप कौन सा हमें संरक्षण देते हैं जिससे हम प्रश्न पूछ सकें और उसका उचित उत्तर मिल सके और उत्तर तैयार करने में किसी अधिकारी को दंडित न किया जाए । माननीय तोमर जी ने कहा है कि इस प्रकार के एक मामले में . . .।

एक सदस्य---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है, इस पर ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)---

मान्यवर, जरा नियम 300 देख लें "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । " जहां तक कार्य संचालन के सम्बन्ध में औचित्य की बात उठती, वह तो जायज था लेकिन इसमें कौन सी कार्य संचालन की बात निहित है, यह बात समझ में नहीं आती । किसी न किसी रूप में फिर उन्हीं आरोपों और प्रत्यारोपों को इस सदन के समक्ष उपस्थित किया जाना है । क्रान्ति कुमार जी ने भी, 301 में आपने अनुमति दी थी, उन्होंने उसी समय इसका स्पष्टीकरण दे दिया था । मैं स्पष्ट रूप से इस सदन को बताना चाहता हूं कि किसी भी अधिकारी का कोई ऐसा स्थानान्तरण करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । कोई जांच हो रही हो और उस जांच के कारण किसी अधिकारी का ट्रांसफर किया गया हो, ऐसी बात नहीं है । यह मामला सन् 1976 का है, किस प्रकार से औचित्य का मामला बनता है । इसके बारे में आपने उस दिन भी कहा था । ये सब बाते आ चुकी थी कि इस ढंग से इस सदन के समक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की श्रृंखला हमें नहीं डालनी चाहिए चाहे 301 में हो चाहे औचित्य का प्रश्न उठा कर यह चीज की गई हो । मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और इस औचित्य के प्रश्न को आप मान्यता न दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी के कथन का समर्थन करता हूं इसलिए कि माननीय तोमर जी ने जो सूचना दी है उसको गलत मानने का कोई सवाल नहीं है लेकिन जो सूचना उन्होंने दी है वह स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है । अगर किसी अधिकारी को टान्सफर इसलिए किया

गया कि उसके रहते सही जवाब आता और इसलिए उसका स्थानान्तरण कर दिया गया, और चूंकि पुलिस विभाग गृह मंत्री के संरक्षण में है और इस तरह से गृह मंत्री एक मंत्री को बचाने के लिए अगर किसी अधिकारी का स्थानान्तरण करते हैं ताकि सही स्थिति सदन के सामने न आ सके, मान्यवर यह सदन का अपमान है और निश्चित रूप से यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है । चूंकि जानकारी आपके संज्ञान में आ चुकी है, सारे तथ्य आपके संज्ञान में आ चुके हैं, इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि औचित्य के प्रश्न को तो अस्वीकार करें लेकिन विशेषाधिकार भंग का मामला बनता है । इस मामले की जांच करने के लिए चाहे इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें या हाउस की कमेटी बनायें कमेटी जांच करके अपनी रिपोर्ट दे जिस तरह से मुदगल के मामले में लोक सभा में हुआ, इंदिरा गांधी के बारे में हुआ, सुब्रामनियम स्वामी के बारे में राज्य सभा में हुआ, इस तरह की तमाम नजीरें आपके सामने हैं । विशेषाधिकार भंग के रूप में इसे स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तोमर ने नियम 300 में जो आपत्ति उठाई है इसे मैं अच्छी तरह देख चुका हूं । यह औचित्य का प्रश्न किसी प्रकार नहीं बनता । माननीय सदस्य इस तरह की शिकायतें कि अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है जैसा पहले भी उन्होंने नियम 301 में उनका नाम दिया है अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में ला सकते हैं । जैसा कि तिवारी जी ने कहा अगर बिशेषाधिकार भंग का मामला बनता हो तो इसकी सूचना हमको दे दीजिए लेकिन इसको मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं ।

मुख्य मंत्री तथा दैनिक 'तरुण भारत' के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, श्री बाबू लाल वर्मा ने माननीय मुख्य मंत्री तथा दैनिक "तरुण भारत" के विरुद्ध सदन के अवमान और विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दिनांक 7-5-1979 को दी है । उक्त सूचना दिनांक 26 अगस्त, 1678 को प्रश्न संख्या 3 नत्थी 'ख' (वस्तुतः नत्थी 'ग') के उत्तर में ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा बी० डी० ओ० तथा बी० ओ० पी० आर० डी० को निलम्बित करने तथा जिला विकास अधिकारी को स्थानान्तरित करने के आदेश उसी दिन रेडियोग्राम से भेजे जाने के सम्बन्ध में है । इस सम्बन्ध में माननीय श्री बाबूलाल वर्मा ने एक सूचना दिनांकित 25 अप्रैल 1979 को दी थी जो दिनांक 26 अप्रैल, 1979 को विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हुई थी । उसे दिनांक 2 मई, 1979 को मेरे द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार अग्राह्य किया गया था क्योंकि नियमानुसार सूचना दो प्रतियों में नहीं भेजी गयी थी और विषय भी विशेषाधिकार अवहेलना का नहीं बनता था । माननीय श्री वर्मा का यह कथन कि उन्होंने 2 प्रतियों में ही सूचना भिजवायी थी किन्तु इसमें मेरे सचिवालय में कुछ गड़बड़ी हुई है, सही नहीं है । बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार का कथन उचित नहीं है ।

[श्री उपाध्यक्ष---]

इसी विषय पर एक अन्य विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री हेम राज लोधी द्वारा भी दिया गया था, जिसको मैंने दिनांक 3 मई, 1979 को अग्राह्य करते हुए माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री को यह आदेश दिया था कि वे इसकी जांच कराये और सूचना दें। माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने जांच करा कर 14 मई, 1979 तक सूचना देने को कहा है। इसी विषय के सम्बन्ध में यह दोबारा माननीय श्री वर्मा ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है और उसमें मुख्य मंत्री के अतिरिक्त अब कुछ नयी बातों के आधार पर "तरुण भारत" समाचार--पत्र के विरुद्ध भी सदन के अवमान का प्रश्न उठाया है।

माननीय श्री वर्मा द्वारा दी गयी सूचना में कई घटनाओं का उल्लेख है जो 26 मार्च, 1979 और 13 अप्रैल, 1979 को होना बतायी गयी है। विषय अस्पष्ट है और इसे हाल ही में घटित किसी निश्चित विषय तक निबद्ध नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री वर्मा ने नियम 64 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष की व्यवस्थाओं के संकलन (1952 से 1967) के पृष्ठ 538 पर निर्णय संख्या 127 में की गयी अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित लेख्य एवं समाचार-पत्र को अपनी सूचना के साथ संलग्न भी नहीं किया है। इस प्रकार सूचना नियमानुसार नहीं है। वैसे भी जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यह प्रश्न दो बार पहले उठाया जा चुका है और निर्णीत हो चुका है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। मैंने एक पत्र ग्राम्य विकास मंत्री को लिखा है जिसका उत्तर उन्होंने 14 मई तक देने को कहा है। उसमें आपका बात का समाधान हो जायेगा।

श्री बाबू लाल वर्मा---

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

श्री बाबू लाल वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। जो कुछ माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसे नहीं लिखा जायगा। मैंने एक पत्र ग्राम विकास मंत्री को लिखा है जिसके लिये उन्होंने 14 मई तक की अवधि मांगी है। उनका उत्तर मिलने पर आपको

नोट---[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बात का समाधान हो जायगा । इस समय में इस पर निर्णय दे रहा हूं कि इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं बनता है । इस पर मैं नहीं समझता कि मैं कुछ सुनूं । मैंने आपको इजाजत नहीं दी है ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर मैंने आपको इजाजत नहीं दी है । यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है आप कृपया बैठें....अध्यक्षपीठ से कही गई बातों का आप पालन नहीं करना चाहते हैं....।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, आप खड़े हैं और माननीय सदस्य बोल रहे हैं....।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया सदन छोड़ें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, बैठ जाता हूं । किन्तु....।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इतने उच्छृंखल हैं, बड़ी गलत बात है । इस पर मैं आपको चेतावनी देता हूं ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मैं आपका आदर करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं निर्णय दे रहा हूं....।

श्री राज मंगल पान्डेय (जिला देवरिया)--

एक मिनट मान्यवर, सुन लें । निर्णय के बारे में ही है ।

श्री उपाध्यक्ष---

निर्णय के बारे में कैसे व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है....।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

माननीय बाबू लाल वर्मा बोल रहे हैं और उस पर आपने जो व्यवस्था दी, वह बिल्कुल सही है लेकिन मैं चाहता हूं कि उधर के जो लोग बैठे हुये हैं, माननीय कौशिक जी हैं जो बाबू लाल वर्मा जी को उकसा रहे हैं, हो सकता है । मैं पूछता हूं कि क्या वे उनके कन्डक्ट को सेन्सर करना चाहिए या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष -

माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए । इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी सब माननीय सदस्यों की है । यदि कोई माननीय सदस्य उच्छृंखलता करता है तो दूसरे माननीय सदस्यों को देखना चाहिए ।

कौल एवं शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार (अंग्रेजी संस्करण) के पृष्ठ 258 पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते समय सदस्य को अपने कथन के सन्दर्भ में समस्त आवश्यक साक्ष्य सदन के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए । उन्हें अनुवर्ती तिथि में अग्रेतर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए किसी ऐसे विषय पर विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जिस पर कि पहले निर्णय हो चुका हो, यद्यपि सदस्य के पास अपने तर्क के सन्दर्भ में नई सामग्री हो, लोक सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन 1967 के पृष्ठ 18 पर निर्णय संख्या 11 में भी यह बात कही गयी है कि एक बार सदन में किसी विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय हो जाने के बाद उसी सत्र में समान या उससे मिलते-जुलते प्रश्न या प्रश्नों को नहीं उठाया जा सकता ।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 314 में मेरे द्वारा निर्णय देने के बाद उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। माननीय श्री वर्मा की सूचना में मेरे द्वारा पहले लिये गये निर्णयों पर एक प्रकार से आपत्ति की गई है जो उचित नहीं है।

अतएव मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि माननीय हेमराज जी का जो विशेषाधिकार का प्रश्न आपने निरस्त किया था, ग्राम्य विकास मंत्री ने उस व्यक्ति के ट्रांसफर के आदेश दिये थे। क्या उन आदेशों का परिपालन हुआ है या नहीं ? मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपने कहा था कि 5 तारीख तक ग्राम्य विकास मंत्री उत्तर दे देंगे। मैं नम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उन्होंने 5 तारीख तक उत्तर दिया या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप आगे न पूछिये। आप तो हर मामले में कोई न कोई जिरह पैदा करते हैं। इसके बारे में 5 तारीख तक मैंने समय दिया था लेकिन उनके पास सूचना नहीं आयी थी, उन्होंने निवेदन किया था मैंने उसे स्वीकार कर लिया और 14 तारीख को अंतिम तिथि सूचना के लिए दी थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उन्नाव से टेलीफून में सूचना 10 मिनट में आ सकती है। आपके आदेशों का पालन मंत्रिगण किस तरह करते हैं। इसमें तो केवल यह जानकारी करनी थी कि बी० डी० ओ० के ट्रांसफर के आर्डर का एक्जीक्यूसन हुआ कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसको मैं देखूंगा, जो आपने उठाया है।

जिलाधिकारी, बहराइच के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री बाबू लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने 7 मई, 1979 को जिलाधिकारी, बहराइच के विरुद्ध सदन के अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी। माननीय सदस्य का कहना है कि दिनाँक 7 मई, 1979 की कार्य सूची की नत्थी "ग" के प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया कि जरवल रोड चीनी मिल में वर्ष 1977-78 के सीजन में रिसीवर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

द्वारा किये गये कथित अनियमित कार्यों, गबन व भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में उनको एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसकी जांच चीनी निगम द्वारा गठित एक तकनीकी जांच समिति द्वारा की जा रही है ।

माननीय सदस्य का कहना है कि जिलाधिकारी ने जो जांच रिपोर्ट भेजी है, उसमें तथ्यों को छिपाया है। माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार करते हुए शुगर कारपोरेशन की एक उप-समिति द्वारा जांच के आदेश दिये । माननीय श्री बाबू लाल वर्मा का कहना है कि इस प्रकार स्पष्ट हो गया है कि जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट फर्जी व शासन को गुमराह करने वाली थी । माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी ने सदन को गुमराह किया है ।

माननीय सदस्य की सूचना का मुख्य आधार उक्त तारांकित प्रश्न संख्या 3 और उसका उत्तर है किन्तु माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 की अपेक्षानुसार सम्बन्धित लेख्य मूल रूप में या उसकी प्रतिलिपि संलग्न नहीं की है । उक्त प्रश्न के उत्तर में कहीं भी जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है और न ही उक्त सूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी ने सदन को किस प्रकार गुमराह किया । सदन में जो उत्तर दिया जाता है या जो सूचना दी जाती है वह माननीय सम्बन्धित मंत्री द्वारा दी जाती है । भले ही उसका आधार अधिकारियों से प्राप्त सूचना हो किन्तु सदन में उसके लिए उत्तरदायित्व सम्बन्धित मंत्री का ही होता है और मंत्री ने अपने उत्तर में कहीं भी, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है जिलाधिकारी, बहराइच की किसी ऐसी जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया है । अतएव उपर्युक्त कारणों से इस सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास एक सूचना नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन की श्री सुन्दर लाल दीक्षित द्वारा प्राप्त हुई है जो प्रदेश के मंत्रिमंडल के एक मंत्री के दौरे के बारे में है । यह अनिश्चित है और आक्षेप है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक गंभीर मामला है इसलिए इसको जरूर स्वीकार कर लें । जैसा कि पहले परम्परा रही है अध्यक्ष जी थे वह प्रस्ताव को पढ़ कर सुनाते थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसके बारे में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गंभीर मामला है....।

श्री उपाध्यक्ष--

अब वितीय वर्ष 1979-80 पर चर्चा होगी ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा का नाम पुकारे जाने पर) ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता, यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं दीक्षित जी । आपने अपने को इधर काफी सुधार लिया था और बिना इजाजत के बोलना बंद कर दिया था ।

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मैं आपकी आज्ञा से बैठ रहा हूं, लेकिन परम्परा यह है कि कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव रहता है तो उसे सदन में पढ़कर सुनाया गया है । तो आप पूर्व परम्परा की भांति इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पढ़कर इसे माननीय सदन में सुना दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

विषय मैंने बता दिया है, अब नाम लेना और पढ़ना जरूरी नहीं है ।

1979-80 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1979-80 के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं । बजट सरकार की आर्थिक नीति का प्रतिविम्ब होता है । बजट किसी भी पार्टी के घोषणा-पत्र और सरकार की आर्थिक नीतियां का नमूना होता है । इसमें यह देखा जाता है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के अनुरूप चलती है या नहीं । प्रस्तुत बजट जनता पार्टी के घोषणा-पत्र और आर्थिक नीतियों के अनुरूप है । उसे जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप पूरी तरह से ढालने का प्रयास किया गया है, ताकि वह जनता की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतीक बन सके ।

जनता पार्टी की घोषणा के दो मूलभूत सिद्धान्त प्रजातन्त्र में सबकी भागी-दारी और ग्राम्य विकास था जिसको इसमें साकार करने का प्रयास किया गया

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†दिनांक 8 मई, 1979 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

है । जिससे उसमें हर गरीब को ऐसी भागीदारी मिले कि उसकी शोषण से मुक्ति हो सके और उसकी क्रय शक्ति बढ़ सके । इसमें ग्राम्य विकास और विकास खन्डों तक विकेन्द्रीकरण आदि की तरफ हमारी नीतियां जाती हैं, तथा खेती, उद्योग, श्रम और बरोजगारी की समस्या को हल करने का इसमें प्रयास किया गया है । बेरोजगार लोगों को काम मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने तीन धन्धों--खेती, सिंचाई और विद्युत पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत व्यय निर्धारित किया है । इससे प्रदेश में अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही उत्पादन बढ़ेगा । खेती बढ़ेगी, विद्युत उत्पादन बढ़ेगा और छोटे व मझोले उद्योग-धंधे यहां खोले जाएंगे । अबतक, तीस वर्षों से जो मुख्य चीजें उपेक्षित पड़ी थीं, उन पर इसमें पूरा ध्यान दिया गया है । यह बजट वास्तव में जनहितकारी है, जिससे प्रदेश की शक्ल अच्छी बन सकती है । डाक्टर राम मनोहर लोहिया की आर्थिक नीति थी, जिसे उन्होंने इन शब्दों में कहा है कि जबतक श्रमिक और किसान की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तबतक सही मायने में देश में गरीब आदमी को पनपने का अवसर नहीं मिलेगा। जिसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। तो मान्यवर, इस बजट के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री ने कृषकों को बढ़ाने का एक अच्छा अवसर दिया ह । इसलिए इस बजट में जो प्राविधान किये गये हैं उनके रहते निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की हालत अच्छी होगी ।

हमारे प्रदेश में पिछली दफा बाढ़ आयी थी । उस बाढ़ से हमारी 56 जिले प्रभावित हुए थे । मेरा जिला भी प्रभावित हुआ । मेरे क्षेत्र में 22 गांव प्रभावित हुए थे । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन गांवों में जमुना नदी की बाढ़ से 22 गाँवों की जमीन में 15-16 फीट मिट्टी बालू डाल दी गयी जिससे खेती बरबाद हो गयी, जितनी कुल जमीन उन क्षेत्रों में है जिसमें खेती होती है उसकी 60 फीसदी भूमि बालू से बरबाद हो गयी । और वह किसान हमेशा के लिए बरबाद हो गये हैं । इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में 60 प्रतिशत किसान बालू से बरबाद हो गये हैं । माननीय मंत्री जी वहां पर गये थे और उन्होंने उस हालत को देखा था । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन किसानों के खेत बालू से ढक गये हैं उनके पुनर्वास के लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करना चाहिए । हमारी सरकार ने इस ओर कोई भी कार्यवाही नहीं की है जिससे वहां के किसान पीड़ित हैं और उनकी जीविका का कोई साधन नहीं रह गया है । इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कई बार वार्ता भी की है इसी सिलसिले में मैंने एक प्रश्न भी किया था तो उसके उत्तर में जो जवाब आया उसको जो बहस है उसको मैं बता देना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि उस भूमि पर जायद की फसल पैदा हो सकती हैं।

मान्यवर, जिस मिट्टी में 15 फिट बालू हो जाये तो उस पर जायद की भी फसल नहीं पैदा हो सकती है । किसी अधिकारी ने वहां पर जाकर देखने की कोशिश नहीं की कि वस्तुस्थिति क्या है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी आगरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी । मैंने कुछ सिद्धान्त उनके समाने रखे जिससे कि बाढ़ की विभीषिका कम हो सके । मीटिंग में यह तय हुआ कि इन कार्यों को 30 जून तक पूरा कर लिया जाय । मान्यवर, 30 जून आने वाली है परन्तु कोई भी काम प्रारम्भ ही नहीं हुआ है तो वह 30 जून तक कैसे पूरा होगा । इस प्रकार से अगले साल आने वाली बाढ़ से बचने के लिए हम तैयार नहीं हैं । इस वर्ष भी किसानों की वही दशा होगी जो पिछले साल हुई थी ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां पर किसानों के पुनर्वासन के लिए कोई कुटीर उद्योग खोले जायं जिससे उनको अपनी आजीविका चलान का कोई साधन मिल सके । तो मान्यवर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है । माननीय वर्तमान उप मुख्य मंत्री जी वहां के एक गांव में गये थे, और वहां की स्थिति को देखा भी था, लेकिन वन विभाग ने उन किसानों को कोई जमीन उपलब्ध नहीं की है । जिलाधिकारी और कमिश्नर से मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मान्यवर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि राम गंगा परियोजना की जो स्कीम है जिसके अन्तर्गत समतलीकरण और भूमि कटाव रोकने का काम किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत फिरोजाबाद के क्षेत्र में भूमि समतलीकरण की योजना लागू की जाये । मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट भी किया है । फिरोजाबाद का दक्षिणी भाग बरबादी की कगार पर है । इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ न कार्यवाही सरकार द्वारा की जानी चाहिए । मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो भूमि वन विभाग ने ले ली है और जिस पर एक भी पेड़ नहीं है उसको किसानों में वितरित कर दिया जाना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके । इस पर कार्यवाही करने के लिए एक सर्वे दल वहां पर भेजा जाना चाहिए और वह अपनी रिपोर्ट दे जिससे इस समस्या से निबटा जा सके ।

एक बात और कहना चाहता हूं । फिरोजाबाद के उत्तरी भाग में शहर में जो एक नाला है यह नाला शहर के पश्चिम की तरफ बनना चाहिये क्योंकि इससे बाढ़ के समय शहर में बहुत नुकसान होता है । नाले के पास के मोहल्लों की बरबादी रोकने के लिये इस नाले को बनवाना जरूरी है और इसे शहर की पश्चिमी तरफ टापा नाले में सी० एल० जैन कालिज के पास जाकर गिरना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बजट विशेष रूप से स्वागत योग्य है ऐसे बजट की प्रतीक्षा इस प्रदेश के राज्य कर्मचारी स्वायत्त शासन के कर्मचारी तथा अध्यापक लोग कर रहे थे जिनके लिये वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की गयी है तथा अन्य सुविधायें प्रदान की गयी हैं । यह बजट निश्चय ही स्वागत योग्य है ।

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये एक कमेटी गठित की गयी है जो अपने सुझाव देगी । मैं कानपुर नगर महापालिका की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । चुंगी की चोरी किस प्रकार होती है उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं । चुंगी कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिल कर एक रास्ता निकाला है ट्रान्सिट पास बनाने का । कोई ट्रक अगर कानपुर नगर में आता है और वह उसकी सीमा पार कर बाहर जाता है तो वह लोग उससे 3 रुपये लेकर एक ट्रान्सिट पास दे देते हैं । उस पर समय लिखा रहता है कि वह उतने समय के अन्दर नगर की सीमा को क्रास करेगा । लेकिन मान्यवर, यह 3 रुपये देकर ट्रान्सपोर्टर या जिसका माल होता है और वह माल, वह ट्रक कानपुर नगर की सीमा के अन्दर ही उतार दिया जाता है । इसमें मान्यवर, जो ट्रकों पर माल लदा होता है, उसमें 300 रुपये से लेकर 1 हजार रुपये तक की चुंगी बनती है और वह ट्रान्सपोर्टर से, चुंगी के अधिकारी सौदा कर लेते हैं कि अगर 1 हजार की चुंगी बनती है, अगर वह 500 रुपये चुंगी अधिकारी को दे दे, तो वह इस चुंगी से बच जाते हैं । तो इस प्रकार से ५ हजार रुपये प्रति चौकी, प्रति दिन बचाया जाता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबूराम शुक्ल]

मान्यवर, कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, जिसको जांच करा ली जाय, तो मेरा जो आरोप है, वह सत्य माना जायगा। 12 सितम्बर, 1978 को ट्रक नं० एम० पी० डब्लू० 8921 फर्जी बहती नं० 1286/13 है पास हुई थी, इस पर 103 कुंटल टिन प्लेटें लदी हुई थी, जिसमें 810 रुपये चुंगी बनती थी, उसका आधा रुपया चुंगी अधिकारी ने ले लिया और 3 रुपये का ट्रांजिट पास बना दिया। पी० ई० यू० नं० 1404 इसका फर्जी बहती नं० 1232/16 है, तारीख 30 अगस्त, 78 को जा रही थी, जिसको वहां पर जो चेकिंग का स्क्वाड था, उसने भी देखा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस तरह से 4 अक्तूबर, 1978 को गंगा घाट बैरियार पर 43 कुंटल से लदी हुई एक फर्जी बहती बना कर वह पास कर दी गयी। इस प्रकार मान्यवर, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। लगभग 25 ऐसे उदाहरण कानपुर नगर महापालिका में पड़े हुए हैं जिसमें चुंगी की चोरी हुई है। इस प्रकार से वहां पर 1 करोड़ रुपये की चोरी वार्षिक हो रही है। इसके अधिकारी आई० ए० एस० हैं उसके यहां 30 हजार रुपये माहवार पहुंच जाता है।

कानपुर नगर महापालिका ने अक्तूबर, 78 से लेकर फरवरी, 79 तक केवल ५ महीने के अन्दर 25 हजार बोरी सीमेंट खर्च की, लेकिन किसी प्रकार से यह खर्च को, उसका ब्योरा दिया हुआ है। एक नगर महापालिका का डिग्री कालेज का बाथ रूम बनाने के लिये 200 बोरी सीमेंट खर्च किया गया इसी प्रकार एक महापालिका का अस्पताल है, इनको छतें बनाने के लिए 400 बोरी सीमेंट का खर्च दिखाया। 200 बोरी इस तरह से जो गली होती हैं, उसकी मरम्मत के लिए खर्च की। इस प्रकार से 10 हजार बोरी सीमेंट खर्च की। इसमें से 10 हजार या 5 हजार बोरी सीमेंट खर्च हुई होगी, बाकी सारी की सारी सीमेंट ब्लैक में बेची गयी और यह अखबारों में भी छापा है। कानपुर में दैनिक आज में छपा हुआ था। लेकिन मान्यवर, आज तक इसकी कोई जांच नहीं करवाई गयी। इसके अतिरिक्त मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि नगर-पालिका में अनेक ऐसे भ्रष्टाचार हैं, जिन भ्रष्टाचार की ओर शासन का ध्यान समय-समय पर मैंने भी आकृष्ट किया, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्वायत्त शासन मंत्री ने घोषणा कर दी है कि नगर महापालिका के और स्वायत शासी संस्थाओं के चुनाव 24 जून को होंगे। जून का महीना ऐसा महीना है जिस महीने में चुनाव करना उचित नहीं रहेगा, सम्भव नहीं होगा, इतनी गर्मी रहती है। दूसरी बात मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि शासन ने तय किया है कि जो नगर प्रमुख हैं और जो अध्यक्ष हैं, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। सीधे मतदाता इनका चुनाव करेंगे।

मैं कानपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां 9 लाख मतदाताओं की कान्स्टीट्युएंसी बनती है। शासन ने शायद यह सोचा होगा कि जब सदस्य चुने जाते हैं तो सदस्यों को जो बड़े-बड़े लोग, पूंजीपति लोग नगर प्रमुख चुने जाते हैं तो मैं कहता हूं कि क्या 9 लाख की कान्स्टीट्युएन्सी में कोई साधारण आदमी नगर प्रमुख हो सकता है। सितम्बर या नवम्बर महीने में नगर पालिकाओं के चुनाव कराये जायें और इस पर पुनर्विचार किया जाये। इन सब बातों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । दूसरे वित्त मंत्री द्वारा जो 1979–80 का बजट पेश किया गया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि वे एक सामाजिक व्यक्ति हैं, डाक्टर लोहिया के चेले हैं । उन्होंने गरीबों को देखते हुए बजट पेश किया है ।

मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान कुछ अपने जिले की ओर आकृष्ट करना आवश्यक समझता हूं । अभी तक हमारे जिले शाहजहांपुर को 30 वर्षों से जो योजना चल रही है, उपेक्षित रखा गया है । मान्यवर, जलालाबाद और तिलहर तहसील ऐसी हैं जहां बहुत बड़ी बाढ़ आया करती है लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि वहां बाढ़ के इलाकों के लिए पुलों का निर्माण किया जाने । तो पूरे का पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त होने के कारण उसका सम्पर्क बाढ़ में शहर से अलग हो जाता है और 3–3 दिन शहर आने के लिए लग जाते हैं । इसलिए वहां पुलों के निर्माण किये जायें । वहां जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनके आवास की व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिए ।

नगर के अन्दर साढ़े सोलाह हजार बुनकर हैं । जो कालीनों का काम करते हैं और वे कालीन बहुत मशहूर होते हैं लेकिन किसी भी सरकार ने उन बुनकरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई बात नहीं सोची । न सूत का प्रबन्ध है, न रंग का कोई प्रबन्ध और न डिजाइन का कोई प्रबन्ध है । कालीन का जो कार्य है वह बहुत बड़ा कार्य है । मैं आप का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि उन बुनकरों की ओर सरकार ध्यान दे ।

श्रीमन्, पुवांया इस जिले की एक ऐसी तहसील है जो अन्न के क्षेत्र में सबसे बड़ा भंडार क्षेत्र है । माननीय, हमारे क्षेत्र में 2 चीजें ज्यादा पैदा होती हैं । गेहूं और गन्ना । माननीय, मैंने पहले भी कहा था कि गन्ने के लिये किसान सहकारी चीनी मिल लगायी जाय ताकि किसान के गन्ने की खपत हो सके और जो उसके गन्ने को कम कीमत पर खरीदकर, गरीब का शोषण किया जाता है उससे वह गरीब किसान बचाया जा सके । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में चीनी मिल के साथ साथ आटा या मैदा की मिल लगायी जाय क्योंकि वहां गेहूं ज्यादा पैदा होता है । एक चीज की ओर मैं परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । हमारे चुनाव क्षेत्र में और पूरे जिले में खास तौर से कम से कम 25 नयी बसों की व्यवस्था शीघ्र करायी जाय, यदि सरकारी बसों की व्यवस्था न हो सके तो अनुबंधित बसों की व्यवस्था करें । मैं खासतौर से कौशिक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, वह इस समय यहां नहीं हैं । पिछली सरकार ने 30 वर्षों से गांधी जी के नाम को दुहाई दी लेकिन नशाबन्दी के काम को पूरा नहीं किया । मैं माननीय कौशिक जी और वर्तमान सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने यह सराहनीय कार्य किया और 19 जिलों में शराब बंदी किया उसमें हमारा जिला भी शामिल किया है । आज हरिजनों और महिलाओं की स्थिति अच्छी हुयी है । 70 प्रतिशत महिलायें जो अपमानित होती थी उनका स्तर सुधरा है । यह अन्तयंत सराहनीय कार्य इस सरकार ने किया है ।

इसी के साथ–साथ मैं अपने चुनाव क्षेत्र में खुटार डाक बंगले के बारे में कहना चाहता हूं । खुटार का डाक बंगला जिला परिषद के अधीन है । यह डाक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सूरज प्रसाद]

बंगला खाली पड़ा है । इसको सरकार ले ले और इसमें महिला अस्पताल बनाने की बात करे जिससे वहां के लोगों को लाभ मिल सके ।

मैं आप का ध्यान आज जो नग्न चित्र महिलाओं के, नौजवान युवतियों के, अश्लील चित्र छापे जाते हैं उस ओर दिलाना चाहता हूं । मैं सूचना विभाग से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वह जो महिलाओं के चित्र छपते हैं उनको रोके । नग्न चित्रों और अश्लील चित्रों को छपवाया न जाय यह मेरा सुझाव है । बीड़ी के पैकेटों और अन्य तमाम चीजों में नग्न चित्र आते हैं मैं इन चित्रों पर पाबन्दी लगाने की मांग करता हूं । मान्यवर, मेरे जिले शाहजहांपुर में शस्त्रों के लाइसेन्स बन्द कर दिये गये हैं । मेरा सुझाव है कि जिनके पास 12, 20 शस्त्र हैं उनकी संख्या कम की जाय और उनके पास केवल 2 शस्त्र रख जायें । जिन गांवों में डकैती पड़ गयी है और शस्त्र नहीं हैं वहां शस्त्रों के लिये लाइसेन्स दिया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं और आपने मुझको समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, इस माननीय सदन के इतिहास में मैं समझता हूं कि यह पहला मौका है जबकि बजट के ऊपर चर्चा के समय माननीय मुख्य मन्त्री, वित्त मन्त्री और दूसरे मन्त्री तथा वित्त सचिव और दूसरे सचिव यहां मौजूद नहीं हैं । यह मेरी पहली आपत्ति है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय नेता कम्युनिस्ट ने जो आपत्ति उठायी है उस ओर शासन को ध्यान देना चाहिये । श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी बजट पर चर्चा के समय अधिकांश सचिवों को गैलरी में बैठना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट स्तर या राज्य मंत्रियों को यहां रहना चाहिये ।

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

ठीक है ।

श्री अदल---

मान्यवर, इस माननीय सदन के इतिहास में 1952 से आप और मैं भी 1957 से देख रहा हूं कि इतना लम्बा चौड़ा बजट भाषण जिसमें न कोई नीति है और न कोई सिद्धान्त । तो यह नीतिविहीन और सिद्धान्तविहीन बजट है । इसलिये कैबिनेट के आकार को देखते हुये इसका साइज बहुत लम्बा चौड़ा तैयार किया गया है । मान्यवर, बजट भाषण के प्रथम पृष्ठ पर आप देखेंगे कि वित्त मन्त्री कहते हैं कि बजट सरकार की आर्थिक सामाजिक एवं वित्तीय नीतियों का एक वार्षिक दर्पण है यह बात सही है । उसी में नीचे देखोगे लिखा है कि सारी प्रजातांत्रिक इकाइयों में चुनाव कराये जायेंगे ताकि जन-नेतृत्व नये उत्साह और उमंग से जन कल्याण के उत्तरदायित्व को संभाल लें । श्रीमन्, जब से यह सरकार बनी है तब से गांव सभाओं, ब्लाकों, स्वायत्त सेवी संस्थाओं, जिला परिषदों सभी प्रजातांत्रिक इकाइयों को इस सरकार ने भंग कर रखा है । माननीय वर्मा जी सहमत होंगे इसके लिये

कि पिछले दो वर्षों में दसियों बार वायदे किये गये, स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री रामाधार पांडेय का बयान मैंने पढ़ा है जो इलाहाबाद से छपा है कि अगर हम 24 जून तक चुनाव नहीं करा देंगे तो मन्त्री पद से इस्तीफा दे देंगे। कल पेपर में पढ़ा है कि श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने श्री बनारसी दास से यह आग्रह किया है कि यह जो डाइरेक्ट चुनाव प्रमुखों का आप कराने वाले हैं यह ठीक नहीं है। तो अब तैयारी शुरू हो गयी है प्रजातांत्रिक इकाइयों के चुनाव के बारे में और सितम्बर-अक्तूबर तक चुनाव करने के सुझाव दिये गये हैं। मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं के चुनाव सितम्बर, अक्तूबर में शायद हो जांय लेकिन 24 जून को नहीं होंगे इसलिये यह चुनाव टलने वाला है। यह मैं चार्ज इस सरकार पर लगाता हूं।

मान्यवर, आप इस बजट में देखेंगे कि कृषि में किसानों के लिये कहा गया है कि हम बहुत खर्च कर रहे हैं। किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये, यह सरकार जो अपने को दावा करती है कि किसानों की सरकार है, यह सरकार दावा करती है कि प्रदेश की बेकारी और बेरोजगारी को हम उत्पादन बढ़ा कर पूरा करेंगे। तो यह अच्छी बात है। लेकिन उत्पादन प्रकृति की बजह से रेकार्ड तोड़ उत्पादन किसानों ने किया किन्तु उनको मिला क्या ? मैं यह प्रश्न सत्ता पक्ष के ही माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। गन्ने की जो दुर्दशा पिछले दो वर्षों से हो रही है, और गन्ने के किसानों की जो हालत है उससे सभी माननीय सदस्य चिन्तित हैं। उनको न तो उचित मूल्य मिल रहा है और न गन्ने की पेराई ठीक से हो रही है। गन्ने के मिल मालिकों पर जो बकाया है, न उसको दिलवाने का ठीक से प्रयास किया जा रहा है। दूसरे इस साल जो 10 रुपया प्रति क्विन्टल के अलावा इस सरकार ने देने का वायदा किया है। उसको भी अभी तक ठीक से नहीं दिया जा रहा है श्रीमन्, फर्रुखाबाद वालों ने गन्ने के किसानों की क्या दुर्दशा की है, उससे सभी माननीय सदस्य चिन्तित हैं।

आलू का रिकार्ड तोड़ उत्पादन वित्त मन्त्री जी ने लिख दिया। लेकिन पिछले साल भी आलू की दुर्दशा हुई और इस साल जो दुर्दशा हो रही है आलू की उसका बयान नहीं कर सकता। श्रीमन्, फर्रुखाबाद में किसानों ने आलू इसलिये नहीं खोदवाया क्योंकि आलू खोदने की लागत आलू की कीमत से ज्यादा है। सरकार ने कहा कि आलू बाहर भेजेंगे। लेकिन क्या व्यवस्था उसके लिये की गयी ? यही हालत मूंगफली, लूट, पटसन और जितनी भी चीजें किसान पैदा करता है उनकी उपज की कीमतों के बारे में है और दूसरी तरफ उद्योगपतियों के द्वारा जो चीजें तैयार होती हैं उनकी हालत और दाम देखें--मैं पूंछना चाहता हूं कि आज चीनी का क्या भाव है, डालडे का क्या भाव है। जो चीजें उनके द्वारा तैयार होती हैं, उनके भाव आसमान छू रहे हैं। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 33 प्रति-शत कीमतें बढ़ गयी हैं। सरकार ने कौन सा कारगर कदम इसके लिये उठाया इसकी बजट में कोई चर्चा नहीं।

अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, डाक्टर लोहिया का नाम लिया। लेकिन डाक्टर लोहिया ने दाम बांधो नीति के लिये कितनी बार अन्दोलन किया, कितनी बार सत्याग्रह किया, कितनी बार जेल गये ? क्या उस दाम बांधो नीति को आप कारगर कर पायें ? मैं कहता हूं कि बिलकुल नहीं लागू किया जा रहा है उस नीति को दाम बांधो नीति से क्या होगा ? आज जरूरत है कि औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन के मूल्यों में समानता हो ताकि किसान को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके और उपभोक्ता जिन चीजों का इस्तेमाल करता है, उसको भी सही कीमत पर सामान उपलब्ध हो सके। आज यह देश और प्रदेश

[श्री ऊदली--

के लिये विचारणीय विषय है । मैं इस प्रश्न को आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं ।

दूसरा प्रश्न, मान्यवर, जो सदन के सामने रखना चाहता हूं वह है शान्ति व्यवस्था का प्रश्न । इस प्रदेश में शांति व्यवस्था की जो हालत है, वह कितनी खराब है । अब इसका उदाहरण इसी से दिया जा सकता है कि इस माननीय सदन के भूतपूर्व और प्रेजेंट 3/4 विधायकों का हत्या हो गयी । 70/80 माननीय विधायक सैंडो लेकर चलते हैं और कितने लोग लाइन में लगें हैं, वह सरकार के पास और माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास रिपोर्ट होगी । श्रीमन्, आये दिन बसें, ट्रक और रेलगाड़ियां लूटी जा रही हैं । दिन दहाड़े हत्यायें हो रही हैं । भले आदमियों का आज चलना मुश्किल हो गया है । रात को निकलना मुश्किल है और शान्ति व्यवस्था के बारे में कोई चिन्ता न व्यक्त करके और उसके बारे में कोई कारगर कदम न उठाना । मैं समझता हूं सरकार के लिये और प्रदेश की जनता के लिये चिन्ता का विषय है ।

श्रीमन्, कहा गया कि बहुमुखी विकास कर रहे हैं । जितने विभाग हैं, इस बजट को अगर आप देखें तो सभी विभागों में करोड़ों करोड़ों रुपये की कमी इस बजट में की गई है पिछले वर्ष के मुकाबले । मैं जानना चाहता हूं कि आज की आवश्यकताओं को देखते हुये अगर बजट में कमी की जाएगी तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो, उसमें कामने हो वाला नहीं है । लघु सिंचाई में, शिक्षा में, पशुधन में, दुग्धशाला, ग्राम निकास, हरिजन कल्याण और समाज कल्याण विभाग जिसको बहुत दुहाई दी जाती है, सभी विभागों में कटौतियां की गई हैं और इस बजट की मुख्य रूपरेखा यही है कि इसमें योजनाओं पर कम व्यय किया जा रहा है और मेन्टीनेंस का इसका खर्चा बहुत बड़ा है, यही इस बजट की विशेषता है । मेंटीनेंस पर जब खर्च बढ़ेगा तब प्रदेश का विकास सही माने में ठीक से नहीं हो सकेगा । इसलिये यह भी प्रश्न विचारणीय है कि क्या सरकार अब इस रास्ते पर चलने वाली है कि बजट का ज्यादा हिस्सा मेन्टीनेंस पर खर्च हो और कम हिस्सा योजनाओं पर या विकास के कार्यक्रमों पर खर्च हो ? इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला है ।

मैं इस बजट की आलोचना इसलिये करता हूं कि पिछले वर्ष में जब बजट पेश होता था माननीय शर्मा जी और परिवहन मन्त्री माननीय मालवीय जी जब इस तरफ थे, तब हम लोग इस बात की आलोचना किया करते थे कि योजनाओं पर जो खर्च है वह मार्च तक पूरा नहीं होता । आखिरी मार्च में अगर आप देखेंगे तो करोड़ों रुपया निकाल कर पी० एल० ओ० में और पर्सनल खाते में जमा किया जाता है, क्यों ? क्या इस प्रथा को, इस बजट के सिस्टम को आज बदलने की जरूरत है या नहीं है ? जो फाइनेंशियल हैन्डबुक है, जो हमारे वित्तीय नियम हैं, जो पुराने अंग्रेजी के जमाने के हैं, क्या उनमें परिवर्तन करने की जरूरत है कि नहीं । परिवर्तन की तो एक बात है, मैं तो नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल का जो बजट था उसमें सिंचाई विभाग ने 30-40 करोड़, मेरा तो ख्याल है कि 60 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया । इसी प्रकार से और विभागों ने भी नहीं खर्च किया और उसके बाद विडम्बना यह है कि सरकार 3-3, 4-4 सप्लीमेन्टरी बजट लेती रही है । क्या तुक है, कौन सा औचित्य है । मैं जानना चाहता हूं सरकार से । जब मूल बजट का रुपया सरेन्डर किया जाता है तो कौन औचित्य है कि सरकार 3-4-4 सप्लीमेन्टरी

बजट पेश करती है और करोड़ों रुपया हर साल बजट का लैप्स हो जाता है ? इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है । श्रीमन्, मैं आपसे जानना चाहता हूं और मुख्य रूप से राधेश्याम शर्मा जी से, कभी भी इस प्रदेश के इतिहास में ऐसा मैंने नहीं देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर को 20,000 रु० साज–सज्जा के लिए दिया जाए । भ्रष्ट सरकार जिसको आप कहते हैं, नारायण दत्त की सरकार, तानाशाही की, कांग्रेस की सरकार, उसमें ऐसा नहीं हुआ । दस हजार रुपया डिप्टी मिनिस्टर के लिए अलग है । यह शान–शौकत की बातें हैं । आप तो उसमें सुधार करने के लिए आये हैं । जनता ने आपको वोट दिया है जिसका जिक्र माननीय वित्त मन्त्री जी कहते हैं "जनता ने अपनी सार्वभौम शक्ति का उपयोग करते हुए जनता पार्टी को अपना समर्थन प्रदान किया है ।" समर्थन इसलिए प्रदान किया है कि आप अपने ही असीम सुख–सुविधा की ओर ध्यान दें । यह सिद्धान्त की बात है कि अगर आपने अपने ही सुख–सुविधा की ओर ध्यान दिया तो यह जो अटूट निष्ठा है, यह ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी । करंजिया का अखबार अबकी बार मैंने देखा, 'जनता पार्टी गन्दे नाले में' यह उसकी हेडिंग है । जब कि पहले यह अखबार जनता पार्टी का समर्थन करता रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो अटूट विश्वास जनता ने दिया, अब जाकर जनता के अन्दर देखिये कि अब कितना विश्वास रह गया है । जो विश्वास कांग्रेस के 32 साल के शासन में हट गया, वह आपके दो साल के शासन में, मैं सेंट–परसेंट तो नहीं कहता, लेकिन आप देखें कि उसमें कुछ परसेंट डाउन हो गया है कि नहीं ? यह विचारणीय प्रश्न जानता पार्टी की सरकार के लिए मैं छोड़ता हूं और विचार करने का आग्रह करता हूं ।

इसी तरह आप देखें, हम लोग बड़ी आलोचना किया करते थे, आज कितने निगम बने हुए हैं ? एक क्षेत्रीय डेवलपमेंट एरिया बना हुआ है । गंडक, रामगंगा और शारदा सहायक, इनके जो चेयरमैन लोग है, वे जब बैठते हैं तो अपनी ही मीटिंग में अपने लिए 2–2, 4–4 हजार रुपये किराये का बंगला पास करा लेते हैं और आप उनका कुछ कर नहीं पाते क्योंकि एम० पी० और एम० एल० ए० लोग उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं । 40–50 निगम बने हुए हैं, यह सफेद हाथी जिनको आपने पाल रखा हैं, इनको किस तरह से खत्म किया जा सकता है । मैं बोर्ड आफ रेवेन्यू की बात पूछता हूं । मैंने एक दिन अखबार में किसी मन्त्री का बयान पढ़ा कि 40 हजार से ज्यादा मुकदमें बोर्ड आफ रेवेन्यू के विचाराधीन हैं जिनका फैसला नहीं हो पाया । इसलिये इनको खत्म करने के लिए विचार किया जा रहा है । इनको आप कब तक खत्म करेंगे ? जब आप खत्म हो जायेंगे तब विचार करेंगे ? भविष्य के लिये कुछ कर दिखाने की इच्छा और हैसियत है या नहीं है ? यह आलोचना की बात नहीं है, यह आपके और जनता के हित की बात है, इस पर आप विचार करें ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । मंडलीय विकास निगम तिवारी जी ने बना दिये एक–एक करोड़ रुपया दे दिया और उनका सेक्रेट्री बना दिया उप विकास आयुक्त को । क्या मंडलीय विकास निगमों ने कुछ काम किया है । हमने एक जगह देखा कि कमिश्नर अपने दफ्तर को सोफासेट आदि से खूब सजाता है । इसके अलावा किसी भी विकास कार्य को मंडलीय विकास निगम ने नहीं किया है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इन प्रश्नों के ऊपर विचार करे।

पर्यावरण की क्या हालत है । पर्यावरण की जितनी दुर्दशा आज है, उतनी कभी नहीं थी । इसका अन्दाज आप इससे लगा लीजिये कि उस निगम को

[श्री ऊदल]

प्राइवेट बसों के लिए अनुबंध करना पड़ा क्योंकि उसकी हालत खराब थी और वह प्रगति नहीं कर रहा था और उससे जनता की समस्या का हल नहीं हो पा रहा था। प्राइवेट बस वालों का किराया कम है मैं उदाहरण के लिए दो तीन जगहों का जिक्र करना चाहता हूं। बनारस में पिंडा तक प्राइवेट बसों का किराया डेढ़ रुपया और परिवहन निगम के बसों का किराया 1.75 पैसा, जौनपुर से मछलीशहर तक प्राइवेट बसों का किराया डेढ़ रुपये से कम और परिवहन निगम की बसों का किराया सवा दो रुपया। कौन यात्री आज की इस महंगाई में प्राइवेट बसों को छोड़ कर परिवहन निगम की बसों पर चलेगा। यह एक सवाल है। दूसरा सवाल परिवहन निगम की बसें रास्ते में खड़ी रहती हैं, सुख सुविधा का ध्यान नहीं देते, यात्री धूप में खड़े रहते हैं। परिवहन निगम की तरफ से लिखा है कि 25 फीसदी किराया बढ़ेगा। मन्त्री जी का बयान मैंने पढ़ा कि नहीं बढ़ेगा। बिना किराया बढ़ाये नहीं होगा, बढ़ाना पड़ेगा। परिवहन निगम के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में यह सरकार खर्च बढ़ा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार है, वह दूर नहीं हो सकता। इसके लिए परिवहन विभाग है जिसके परिवहन आयुक्त अलग हैं। उस विभाग में चोरी, मैं तो कहता हूं कि आर० टी० ओ० का दफ्तर, परिवहन विभाग, सारा चोर है। करोड़ों रुपयों की हर साल चोरी सरकार की करता है, यात्री टैक्स की चोरी, प्राइवेट बसों के मालिकों की चोरी करके स्वयं बांट लेते हैं। रायलिटी में चोरी करता है, बसों से एक सार्टिफिकेट ले लेता है कि बसें कारखाने में तीन महीने खड़ी रहीं और रुपया आधा परिवहन विभाग और आधा प्राइवेट बस मालिक ले लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस रोग को दूर कर दे तो करोड़ों रुपये की आमदनी इस सरकार को हो सकती है।

यही हालत बिक्री कर के बारे में है। मैं अभी बनारस गया। श्रीमन वहां पर बीसीयों बोर्ड हमने देखी। लिखा था "वादा निभाओ"। हमारे बिक्री कर के जो व्यापारी हैं। जो बड़े परेशान हो रहे हैं उन्होंने इस प्रकार के बोर्ड लगा रखे हैं। वित्त मन्त्री जी ने साफ कह दिया है कि बिक्री कर समाप्त होने वाला नहीं है।

इसलिए श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि प्रशासनिक ढांचे को ठीक करे। प्रशासनिक सुधार की इसमें बात कही गयी है। प्रशासनिक सुधार क्या है। प्रशासनिक सुधार होना चाहिये, श्रीमन्, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि नियोजन के युग में प्रशासनिक सुधार करने की आवश्यकता है कि नहीं है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का माध्यम क्या होगा इस देश के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, देश भक्ति लोगों में जागृत करने के लिए, प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है कि नहीं। अगर इस तरह से हम प्रशासनिक सुधार नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है।

प्रशासनिक सुधार के लिए हमने एक विभाग खोल दिया है। मैं कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि के० के० दास साहब हमारे यहां एक सीनियर आई० सी० एस० अधिकारी थे। पूरे सचिवालय की जांच करने के लिए और उसकी इफिसियन्शी बढ़ाने के लिए उनको नियुक्त किया गया। हमारे अधिकारी लोग भी इस बात को सुन लें और अन्य लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि के० के० दास साहब की रिपोर्ट को पढ़ लें। श्रीमन्, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला और जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी हमारे सचिवालय

के कर्मचारी, कोई अधिकारी, एक-दो फाइल से ज्यादा एक दिन में निस्तारण नहीं करता । यदि यही रफ्तार रही तो दूसरी तरफ हम अधिकारियों को बढ़ाते जा रहे हैं, कर्मचारियों को बढ़ा रहे हैं । आज श्रीमन् आप देख रहे हैं हर जिले में 6 अतिरिक्त जिलाधीश हैं । एक जिलाधीश और 6 अतिरिक्त जिलाधीश । उसके बाद भी हमारी हालत चाहे प्रशासनिक हो, चाहे शांति व्यवस्था की हो, विकास हो, सब खटाई में पड़ी है । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो कमेटियां हैं और ज्यादा उन का निर्माण न करें, जो पुरानी संस्तुतियां हैं, के० के० दास साहब की तथा दूसरे आयोगों की चाहे शिक्षा के बारे में, योजनाओं के बारे में, इन सब संस्तुतियों को माननीय सदस्य और इस सरकार के सदस्य, अध्ययन करें तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश को आगे ले जाने में इन से बहुत सहायता मिल सकेगी ।

श्रीमन् यह बजट नीरस है, दिशाहीन है, इस में प्रदेश को आगे ले जाने की कोई क्षमता नहीं है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए मैं श्रीमन् आप की आज्ञा से कहना चाहता हूं कि इस दिशाहीन बजट का हम समर्थन करने में असमर्थ हैं ।

श्री खान मोहम्मद आरिफ खां (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली से ले कर यहां तक जो बजट पेश हुये हैं उसकी बजह से जो नाउम्मीदी की लहर जनता में दौड़ गयी है उसको शायर की जबान में इस तरीके से कहा जा सकता है :—

फुटपाथ, कारखानें, मिलें, भट्टियां,
गिरते हुये दरख्त, सुलगते हुए मकान, ।
बुझते हुए यकीन, भड़कते हुये गुस्सां,
इन सब से उठ रहा है बगावत का फिर धुआं ।
शोलों के पैकरों से लिपटने की देर है,
आतश फिसां पहाड़ के फटने की देर है ।

(इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठात, श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए ।)

हमारा जो ढांचा है उसमें अगर हम गौर करें तो किसी मुल्क की माशी और आर्थिक बुनियादी कौम के करेक्टर पर कायम होती है और अगर किसी कौम का करेक्टर खत्म हो जाय, उसमें जायज और नाजायज की तमीज खत्म हो जाय तो वह कौम और मुल्क माशी व आर्थिक दुर्दशा में मुब्तिला हो जायगा और हर फर्द जायज व नाजायज तरीके से पैसा वसूल करने लगेगा । हम असली इलाज न करके ऊपरी इलाज कर रहे ह । हम मंहगाई पर पाबन्दी नहीं लगाते, तनख्वाहें बढ़ती हैं । नतीजा यह है कि रोज-बरोज महंगाई बढ़ती जाती है । इस वक्त जो हालात हैं उन पर आप गौर फरमायें । आपने वायदा किया था गरीबी मिटाने का । बुनकरों की मिसाल ले लीजिए । आज बुनकरों की हालत क्या है ?

[श्री खान मोहम्द आतिफ खां---]

पिछली सरकार के मुतालिक आपने कहा कि वह सरकार फिरकापरस्त थी, उसमें आर० एस० एस० के लोग थे लिहाजा वह बुनकरों को फायदा नहीं पहुंचा सके। बुनकरों में अकसरियत मुसलमानों की है लेकिन जो नई हुकूमत बनी उसमें बुनकरों के हाथ से रोजी ही छीन ली गई है। जनता धोती वह बनाते थे उसको तकरीबन खत्म कर दिया गया है। कंट्रोल का कपड़ा सरकारी मिलें बनायेंगी, बुनकर नहीं बनायेंगे। अंग्रेज के जमाने में जोश मलीहाबादी ने कहा था :

"दस्तकारों के अंगूठे काटते फिरते थे तुम,
सर्द लाशों से गढ़े काटते फिरते थे तुम।
सनअते हिन्दुस्तां पर मौत थी छाई हुई,
मौत भी कैसी तुम्हारे हाथ की लाई हुई।"

इसी तरह दूसरे बहुत से मसले हैं। उर्दू के मसले को ले लीजिए। बजट में आपने कोई गुंजायश नहीं रखी। आपकी पालिसी पिछली कांग्रेसी सरकार से अलग नहीं है। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उर्दू के बारे में कहते हैं कि कक्षा 6 से 8 तक उर्दू पढ़ाई जायगी और एजूकेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इस पर कोई विचार कैबिनेट में नहीं हुआ है। हमारे दूसरे मंत्री जी जो बिजली मंत्री हैं उनके बारे में कहा जा सकता है खतरनाक हैं इसलिए कि उन्होंने भी उर्दू के पढ़ाए जाने की बात कही है :

"मत छेड़िए हमें कि खतरनाक हैं बहुत,
देखी सिफत है आपने बिजली के तार में।"

इस तरह की हालत पूरे मुल्क में पैदा करके आप मायनारिटी में अदम-तहफुज का जज्बा पैदा कर रहे हैं। ला एंड आर्डर की हालत खराब होती जा रही है और उसका नतीजा यह है आज पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में उसके मनाजिर नजर आ रहे हैं बल्कि पूरा मुल्क उसकी गिरफ्त में आ गया है। अगर आप इस मुल्क को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, बेहतर इंसान नहीं बनायेंगे तब तक यहां की माशी तथा आर्थिक हालत भी बेहतर नहीं हो सकती। एक और मसला है। नये उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि कारपोरेशन पर जो आर० एस० एस० के लोग काबिज थे उनको खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश हैंडलूम कारपोरेशन का मैं भी चेयरमैन था। मैं भी आर० एस० एस० का आदमी करार पाया गया और इसलिए मैं भी वहां से हटा दिया गया। लेकिन असलियत यह है कि बैकवर्ड क्लास के नाम पर 21 मुसलिम बिरादरियों को बैकवर्ड में आपने रखा। मेरे हिसाब से हैंडलूम कारपोरेशन में बुनकर बैकवर्ड में आते हैं उनकी गिनती उसमें नहीं की गई। एक खास गिरोह है उसे आप बैकवर्ड समझते हैं। चूंकि मैंने 30, 35 बुनकरों को कारपोरेशन में मुलाजमत दिलाई उसका नतीजा था कि मुझे कारपोरेशन से हटा दिया गया। इस जमीन पर 10 हजार वर्ष से लोग ब्राह्मणों के पैर छूते रहे हैं, उसकी वजह यह थी कि उनके पास जब ताकत थी तो उन्होंने सबको जिन्दा रहने का हक दिया। आज आपने ऐसी सूरत पैदा कर दी है कि आदमी का जिक्र क्या सड़क पर भैंस भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह हालात आज हो गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप इस तरह से पट्टेबाजी करके सोसलिज्म और सेक्यलरिज्म के नाम

पर मुल्क में हालात पैदा करवा रहे हैं और कहते हैं कि हम उन पालिसियों पर अमल करेंगे । हमारे मंत्री जो जिन्होंने बजट पेश किया है वे भी एक पुराने सोशलिस्ट हैं । कैसे आप सोशलिस्ट हैं । आप चाहते हैं कि मजदूरों को कुछ न मिले, अध्यापकों को कुछ न मिले, सरकारी कर्मचारियों को कुछ न मिले । आपने बजट में एक बात कह दी कि हम सरकारी कर्मचारियों को सेन्टर के बराबर एलाउन्स दे देंगे । एलाउन्स देकर कब तक काम चलाते रहेंगे । क्यों आप महंगाई पर काबू नहीं पा सकते हैं । यह बजट जो पेश किया गया है वह उसी प्रकार है :

तमन्नाओं में उलझाया गया हूं,
खिलौने देके बहकाया गया हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे एक ऐसा बजट पेश करें जिससे अवाम की भलाई हो सके और हम उसकी ताईद कर सकें ।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं यह सच्चे अर्थों में एक समाजवादी बजट है.....।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

समाजवाद की परिभाषा बता दें और तब इसे कसौटी पर रखें, तो मालूम हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

जब आपको बोलने का अवसर मिले, तब आप बोलें ।

श्री राम द्विवेदी—

मान्यवर, जो कौतूहल माननीय सदस्यों में दिखायी पड़ रहा है उससे आभास होता है कि हमारा यह बजट परिवर्तन और प्रगति का प्रतीक है । जो संकल्प हमने लिया था 1977 में कि सत्ता के परिवर्तन के साथ हम व्यवस्था में भी तबदीली करेंगे, हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम हैं, जिनको लेकर जनता पार्टी शासन में आयी है उनको पूरी तरह से पालन करने की कोशिश की जा रही है ।

मान्यवर, आज सदन में तरह-तरह के सवाल उठाये जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि कल मैं माननीय तिवारी जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वे इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे पूंजीवाद के पोषक रहे हैं । लेकिन हमारे बजट में जो कार्यक्रम दिए गए हैं वे ऐसे हैं कि जो लोग सदियों से पिछड़े हुए थे उनको उठाने की बात कही गई है । हमने गांधीवादी सिद्धान्त को माना है और उन्हीं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के किसी कोने में चले जायं, यह देखने को मिलेगा कि तमाम लोगों की तरफ जिनकी ओर 30 साल में ध्यान नहीं गया है जो गरीबी की रेखा के नीचे थे जिनके बच्चों के लिए दवा का कोई प्रबंध नहीं था, जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे उनके लिए अंत्योदय कार्यक्रम के अंदर इस बजट में कितनी बड़ी धनराशि का प्राविधान उनकी जिन्दगी को उठाने के लिए किया गया है । मैं समझता हूं कि पिछले 30 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ । आज तरह–तरह के सवाल उठाए जा

[श्री श्रीराम द्विवेदी]

रहे हैं ला एण्ड आर्डर के सिलसिले में शांति और व्यवस्था के सिलसिले में। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार स्वच्छ प्रशासन देने के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। इसमें तरह-तरह की जो गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था संविधान की मर्यादाओं के तहत यह सरकार नहीं चला सकती है। उन्होंने संकल्प लिया है कि आंदोलन खड़े किए जायं। मैं आंदोलन के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन आज तरह-तरह के आंदोलन हो रहे हैं जो जनतांत्रिक मान्यताओं और संवैधानिक परम्पराओं के तहत नहीं हैं।

मान्यवर, आज आप देख रहे हैं, हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है जब तक देश में कृषि का समुचित विकास नहीं होता, जब तक उसको प्राथमिकता नहीं दी जायेगी, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जायेगी तब तक देश का विकास सम्भव नहीं है और इसी दिशा में हमारी सरकार ने जो वित्तीय व्यवस्था की है उसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि हम खेती को पूरी तरह से विकसित करें। मैं इस सिलसिले में केवल यह संकेत करना चाहता हूं कि पिछले 30 साल के कांग्रेस के शासन में हम पी० एल० 480 का सड़ा अनाज खाते थे जिससे हमारे देश के लोगों की और बच्चों की तंदुरुस्ती में गिरावट आ गई थी। आज जनता सरकार ने, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, गेहूं को बाहर भेजने का प्रबंध किया है और तमाम अनाज के उत्पादन में हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। यह कोई मामूली बात नहीं है।

माननीय ऊदल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई थी मैं उसका समर्थन करता हूं। खेती और कारखाने में उत्पादित वस्तुओं के दामों में कोई संतुलन सरकार को कायम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आय, वेतन और कामों के सिलसिले में भी हमारी एक निश्चित नीति होनी चाहिए जिससे हमारे देश में जो असंतुलन की स्थिति हो रही है जो थोड़ा बहुत असंतुलन देखने को मिल रहा है वह समाप्त हो सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक अहम बात जिसके बारे में जनता सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था वह बिक्री कर के बारे में है। हमारे देश और प्रदेश में अप्रत्यक्ष करों का बोझ काफी है उसको उठाने की बात थी। मान्यवर, दुनिया की सरकारें दो तरह के कर लगाती हैं कुछ तो सीधे कर जो दिखाई पड़ते हैं और कुछ इन्डायरेक्ट टैक्स। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों का बोझ इतना बढ़ गया है कि हमारे देश के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को कठिनाई हो गई है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं तमाम माननीय मंत्रियों से और दिल्ली सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ता जा रहा है इसको घटाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। बिक्री कर के सिलसिले में संकल्प लिया था कि इसको हटाया जायेगा और इसके लिए उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिक्रीकर से सारे देश में एक दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ हमारे यहां जो कर प्रणाली है उसके बारे में भी विचार करना चाहिए क्योंकि भारी मात्रा में करों की चोरी इस देश में हो रही है दुनियां में किसी देश में इतनी चोरी करों की नहीं होती। आज तरह-तरह की स्मगलिंग हो रही है जिसको सफेदपोश और चोर बाजारी करने वाले तथ

भ्रष्टाचारी इस देश में करा रहें हैं जिसका वह जाल फैलाये हैं। इससे निपटने के लिए मौजूदा पुलिस सक्षम नहीं है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिए अलग से पुलिस दस्ते का इंतजाम करना चाहिए। जो उन सफेदपोश चोरों का मुकाबला करे और घोर व्याप्त जमाखोरी, चोरबाजारी और तस्करी को समाप्त कर उसका अन्त कर सके।

शिक्षा के ऊपर तमाम बातें कही गई हैं, एक बुनियादी सवाल हमारे सामने है, जो उन्होंने 15 करोड़ रुपये को शिक्षा कर के रूप म प्राप्ति का प्राविधान किया है, यह मेरी समझ में नहीं आता। उसके स्थान पर उन्होंने यह कहा होता कि हाई स्कूल तक प्रत्यक छात्र को मुफ्त शिक्षा देंगे, तो इसका औचित्य प्रतीत होता। क्योंकि संविधान में भी कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए हम मुफ्त तालीम की व्यवस्था करेंगे। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस 15 करोड़ के बदले में हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाय।

हमारे स्वास्थ्य में, कांग्रेस राज्य के पी0 एल0 480 के गेहूं खाने से जो गिरावट आई है, स्वास्थ्य मंत्री ने फैजाबाद में कहा था कि हम सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में मुरादाबाद में उन्होंने कोई योजना लागू भी की है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसी वित्तीय वर्ष से इसे पूरे प्रदेश में लागू करने पर विचार करे और लाखों करोड़ों लोगों की दवाई और स्वास्थ्य रक्षा की समुचित व्यवस्था इसके द्वारा करे। हमारे यहां बहुत से ऐसे अस्पताल हैं, जहां पर डाक्टर या अन्य स्टाफ की कमी है या बिलकुल नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में डाक्टरों और स्टाफ की वृद्धि करके जनता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाय।

हमारा फैजाबाद मंडल सभी दृष्टियों से अन्य मंडलों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। तमाम मंडलों में मेडिकल कालेजों की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां पर मेडिकल कालेज स्थापना की मांग एक लम्बे अर्से से होने के बावजूद आज तक उसे पूरा नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में उसकी स्थापना की जाय। हमारे सुन्दर लाल जी भी मेडिकल कालेज से सम्बन्धित हैं, उनके अपने क्षेत्र के भी हैजा पीड़ित लोगों को उससे लाभ मिलेगा।

सरकार ने सम्पर्क मार्गों के निर्माण में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां की हैं, वह भी सराहनीय है। पिछले साल, मंडी समितियों के जरिये जिन सड़कों का निर्माण किया गया है, उस पर खड़ंजा लगवा कर, पक्का करने का प्रयास भी होना चाहिए। पी0 डब्ल्यू 0 डी0 की जो लिंक रोड्स हैं और निर्मित होने से छोटे-छोटे टुकड़ों में रह गई हैं, उनको भी पूरा करने का काम होना चाहिए। मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह प्रदेश की बागडोर को मजबूती से और कुशलतापूर्वक सम्भालें, जिससे प्रदेश के 10 करोड़ पिछड़े इंसानों को भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले में आने का अवसर मिल सके। हमें लगता है कि हमारे मंत्री लोग दिल्ली से रुपया लाने में कोताही कर गए ढिलाई थोड़ी कर गये। प्रदेश की गरीबी और पिछड़ेपन का चित्र वहां पर ठीक से खींचा होता तो मैं समझता हूं कि केन्द्र से और अधिक रुपया मिल जाता और हमें यह 50 करोड़ रुपया उनसे अवश्य मिल जाता।

विद्युत् मंत्री ने जो एक परसेंट की बिजली में वृद्धि की है जो यह एक प्रतिशत बढ़ोत्तरी का, बजट में प्राविधान है, इसको वापस लेंगे। इससे किसानों को

[श्री श्रीराम द्विवेदी---]

खेती करने में राहत मिलेगी । इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से 1978-79 के बजट का समर्थन करते हुए अपने कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं । जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को हमेशा बढ़ाने की बात कही है । इस बात की स्पष्ट घोषणा किया था कि यह सरकार किसानों की सरकार है और किसानों की सरकार मानते हुए भी किसानों को राहत देने के लिए कोई भी कार्य इस बजट से नहीं किया है । तत्कालीन सरकार, कांग्रेस हुकूमत में जितनी कीमत बढ़ायी गयी कृषि यंत्रों की उसमें इस सरकार ने कमी नहीं की । जो ट्रैक्टर काश्तकारों के खेत जोतने में काम आता है और जिससे वह अपना सामान ढोता है, आठ साल पहले जिस ट्रैक्टर की कीमत 20 हजार थी, जिसका दाम 48,000 रु० हो गया है कम नहीं कि ा, अनुशासनहीनता के नाम पर जो सरकार चली गयी, आज वह ट्रैक्टर 50 हजार का हो गया । सरकार का कहना है कि कृषि यंत्रों पर कोई टैक्स नहीं लगायेंगे, काश्तकारों को मुक्त करेंगे, केवल एक कोरे कागज पर सदन में भाषण देने के अलावा पब्लिक के बीच में चलने की क्षमता सरकार में नहीं है । अगर पब्लिक के बीच में, पार्टी के जरिए चुनाव हो जाय तो शायद किसी क्षेत्र से एक भी चुनकर नहीं आयेगा । आप देख लें रबड़ का दाम जिससे एक टायर गाड़ी का पहिया बनता है, केन्द्रीय सरकार ने जो बजट में बढ़ाया उसके बावजूद एक पहिए की कीमत तीन गुना, सवा पांच सौ रुपया हो गयी ।

हमारे दिधे जी जिस दिन बजट पेश करने आये थे जिस वी आई पी पर्स में वह लेकर आये थे, शायद उनको मुफ्त मिल गयी होगी, रैक्सीन की बनती है, 35 का दाम 75 हो गया, 105 हो गया । हर लोग दुख प्रकट कर रहे हैं, श्री राज नरेश यादव बेचारे को हटाकर अफसोस कर रहे हैं । जो मंत्रि परिषद् के भ्रष्ट लोग थे उनको हटाने के लिए हटाया गया था किन्तु उसमें सब भ्रष्ट हो ह और चरित्रवान व्यक्ति को हटाकर हमलोग अफसोस कर रहे हैं । सिवा ट्रांसफर में पैसा लेने, अपने विभाग के अधिकारियों की न्यायपूर्ण मांग की उपेक्षा करके, अपना मनमाना काम करेंगे, किसी अधिकारी को डिसमिस कर देंगे, किसी अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे । मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों को विवेकशून्य काम है । इसीलिए अधिकारी हावी हुए हैं । किसी को न न्याय मिल रहा है, न राहत मिल रही है । वेद और पुराण में चार वर्ण और चार युग थे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग । कलयुग बिना अवतारी युग है । अवतारी युगों में प्रशासक तीन होते थे ब्रह्मा, विष्णु-महेश । अगर कोई गलती करते थे तो उसका विकल्प देने के लिए, उसका निस्तारण करने के लिए नारायण पैदा होते थे और निस्तारण करते थे । यह कलयुग अवतारी युग नहीं है । कलयुग में अधिकारी प्रशासन में तीन हैं । लेकिन सरकार चार जातियों से 50 जातियाँ बढ़ाकर वर्ग संघर्ष करा रही है । इस युग में तीन प्रशासक हैं, पी० एम०, सी० एम० और डी० एम० । तीनों का विकल्प क्या है ? कलयुगी नारायण जो नारायण की भांति सीधे प्रदेश को उल्टा करते रहे हैं । [× × ×]

श्री अधिष्ठाता---

जो सदस्य यहां पर नहीं हैं, उनका नाम न लें । यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

नोट :---[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

आप कहते हैं तो निकाल दें। मान्यवर, चाहे बजट हो या विधयक हो वह पास करवा लिया जाता है। अगर विधेयक में दोष ज्यादा हों या बजट में दोष के आधार पर तो उनको पास नहीं किया जाना चाहिए और अगर उनमें गुण हैं तो उनको पास किया जाना चाहिये। आप हां और न के रूप में उनको पास करवा देते हैं। हम उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा को आधार मानकर किसी विधेयक को पास किया जाना चाहिए। जहां तक सिंचाई और विद्युत् की बात है, इन विभागों में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। जितना भ्रष्टाचार विद्युत् विभाग में है उतना और किसी विभाग में नहीं है। एक पैसा की बढ़ोत्तरी की गई है, जनता उसको देने में समर्थ है, लेकिन उसको बिल के सिलसिले में 14 बार जिले पर आना पड़ता है। इस समय जो प्रथा चल रही है उसका मैं विरोध करता हूं। कृषि यन्त्रों पर टैक्स लगाया गया है, यह टैक्स नहीं लगना चाहिए। उत्पादन के समय न तो बीज मिलता है और न खाद मिलती है। इसी प्रकार से आज क्रय केन्द्रों पर गेहूं भरने के लिए बोरों का अभाव है। शासन कहता है कि अनुशासन नहीं है मैं कहता हूं कि देश में शासन ही नहीं है तो अनुशासन कैसे हो।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

आप मुझे 2 मिनट और दे दें जिससे मैं अपनी बात समाप्त कर सकूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मान्यवर, एक योजना अन्त्योदय की है। इस में किसानों को गाय व भैंस खरीदने लिए 2500 रुपये देने की व्यवस्था है, लेकिन जो सम्बन्धित बैंक हैं वह 1200 रु० से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। इससे ज्यादा वह देने के लिए तैयार नहीं है। यही शासन की राजाज्ञा का अनुपालन है। भूमि सर्वेक्षण का जितना काम हुआ है उसमें 50 फीसदी रुपया नीचे से ऊपर तक के कर्मचारी और अधिकारी खा जाते ह। जब कि गूल से सिंचाई विभाग का सिंचाई क्षेत्र बढ़ता है आमदनी बढ़ती है तो जनता से गूल निर्माण खर्च नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें कृपया, आप का समय समाप्त।

श्री रामआसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के आरम्भ में कहा है कि बजट सरकार की आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय नीतियों का एक वार्षिक दर्पण है। आर्थिक, सामाजिक और वितीय नीति सरकार की आंख, कान और नाक होते हैं। यदि दर्पण डिफेक्टिव है तो उसमें हो सकता है कि नाक कटी हुई दिखाई दे, कान उलटे दिखायी दें और आंखें 4 दिखायी दें। माननीय वित्त मंत्री

[श्री राम आसरे वर्मा]

जी ने यह भी कहा है कि जनता ने जनता पार्टी को समर्थन दिया। यह बड़ी गलतफहमी है, आज से नहीं, उसी दिन से जब से यह सरकार इस कुर्सी पर आकर बैठी है। जनता ने जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त नहीं किया, वरन 30 साल की भ्रष्ट कांग्रेसी सरकार को ठोकर दी। उसके सामने कोई और विकल्प नहीं था इसलिये आपको उसने मौका दिया। जनता ने आपको यह मौका दिया है कि आप विश्वास उसका पाय। मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार से जनता ने उस पिछले 30 साल के शासन से निजात पायी, उसी प्रकार से वह आपसे भी निजात पाने के लिये निर्णय ले।

मान्यवर, यह सरकार विकेन्द्रीयकरण की बड़ी बात करती है। मगर पिछले दो वर्षों में इस ओर इस सरकार ने क्या किया? आपने उसका कोई लेखाजोखा इस बजट में नहीं दिया। चाहे आपका बजट का सवाल हो, चाहे कोई विधेयक का सवाल हो, चाहे अन्य कोई उद्घोषणा शासन की ओर से हो इस सरकार के मंत्रियों ने कुछ शब्द अपने घरों में मढ़ लिये हैं जैसे समाजवाद, क्रान्तिकारी परिवर्तन, प्रजातंत्र, आदि, और हर समय उन्हीं शब्दों का प्रयोग यह सरकार करती है। जहां जो शब्द ठीक समझा, उसका इस्तेमाल कर लिया। यदि आप इन शब्दों के साथ इस सरकार की बातों को जोड़ें तो वह जुड़ती नहीं हैं। प्रदेश की जनता यह नहीं देख पाती कि बजट में विकास की मदों पर, जनता की समस्याओं से संबंधित मदों पर कितना पैसा शासन ने आवंटित किया है।

यह मौका आप नहीं देते। बजट आने का सवाल हुआ, जनता ने भी सोचना शुरू किया कि कितना टैक्स हमारे ऊपर लादा जायेगा। हमारे बजट के पहले जब केन्द्र का बजट आया तो एक बड़ा अच्छा कारटून अखबारों में निकला और वह कारटून यह था कि एक व्यक्ति अन्डरवियर पहने एक तरफ खड़ा हुआ है और हमारे दिधे साहब को दूसरी तरफ जाते दिखाया गया है, लेकिन घूम कर उसकी तरफ देख रहे हैं। उसके नीचे लिखा हुआ था कि "प्रदेश के बजट बहादुरों देखना यह है कि आप बनियान देते हैं या अंडरवियर भी उतरवाते हैं"। दिधे साहब की नजर अंडर वियर पर थी।

मान्यवर, अब आप देखें कि इस बजट के माध्यम से जो 85 करोड़ के करीब टैक्स वसूल करने के लिये संसाधन जुटाने की बात कही गई, सारे संसाधन ऐसे हैं, जिनका सीधा संबंध जनता के ऊपर पड़ता है। सारी जनता उन टैक्सों से प्रभावित हुई है, चाहे अल्कोहल के ऊपर आप टैक्स लगायें। सबसे ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल होम्योपैथिक दवाओं में होता है। मनोरंजन टैक्स आप ले रहे हैं, उससे भी जनता कहीं अलग नहीं है। आपने संसाधनों के साथ एक नया संसाधन तैयार किया। शिक्षा उपकर लगाने की बात कही गयी है। यह एक नया कर है। यह कैसे लगाया जायगा? शिक्षा के नाम पर नये टैक्स का ईजाद करते हैं। मैं समझता हूं कि इस शासन के लिए निहायत शर्म की बात है। मान्यवर, शासन को अधिकार है कि वह टैक्स लगायें। लेकिन उस शासन को यह अधिकार नहीं रह जाता है जो खर्च कम करने की दिशा में न सोचें, जो नाजायज पैसा खर्च किया जाता है, उसको कम करने के लिए न सोचें। जो शासन खर्च में कमी करने की बात सोचता है, उसी को यह अधिकार होता है कि वह टैक्स की भी बात सोचे। लेकिन आपने इस दिशा में बात नहीं सोची।

देखिये तमाम आपके विभाग हैं, पैसा आपने सब में बढ़ा दिया और कहने के लिए समाजवाद और क्रांतिकारिता, जनवादिता सब कुछ यहां पर आ गया, किसान, मजदूर और साधारण जनता। अगर समाजवाद की रीढ़ भी जनता के कोई हिस्से होते हैं, तो किसान, मजदूर और साधारण जनता। इनको आपने क्या दिया ? कहते तो आप हैं कि किसान उत्पादन बढ़ायें और आप किसानों को प्रोत्साहन दें। आपने सड़कों पर गन्ने में आग लगवायी किसान मजबूर हो गया है आलू के खेतों को जोतने के लिए। आगे पता नहीं कौन सी बात आप किसानों के सामने लेकर जायंगे कि किसान यह चीज पैदा करें।

गेहूं का संकट सामने आने वाला है। माननीय खादय मंत्री जी 2 दिन से यहां पर बयान दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई संकट किसान के सामने गेहूं को लेकर है ही नहीं गेहूं की कीमत 115 रु० किसानों के लिए नहीं है बल्कि व्यापारियों के लिए है, जो किसान से गेहूं खरीदते हैं। किसान जब गेहूं लेकर जाता है तो बोरे नहीं होते हैं लेकिन व्यापारियों के घरों पर बोरे पहले भेज दिये जाते हैं।

इस बजट में ऐसा लग रहा है, मान्यवर, मंत्री जी समाजवादी हैं और उसका आधार मजदूर है, उसके बारे में इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन समाजवाद की बात कई माननीय सदस्यों ने की है। आपने ऐलान किया कि इण्डस्ट्रियल कोड बनायेंगे लेकिन उसका कोई संकेत इसमें नहीं है खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई संकेत नहीं दिया है लेकिन आप हैं समाजवादी, बजट है क्रान्तिकारी। तो मान्यवर, इन शब्दों को आप बदनाम न कीजिये। शासन आपको मुबारक रहे लेकिन इन शब्दों को आप बदनाम न करें।

जितना पैसा विकास के लिए दिया जायेगा उसका 60 फीसदी अन्त्योदय को दिया जायेगा। अन्त्योदय के नाम पर अधिकारियों की जेबों को भरने के लिए आपने रास्ता खोल दिया है। 5 हजार की मदद दी जायेगी। पहले कहा गया था आधा माफ कर दिया जायेगा और आधे पर 4 फीसदी ब्याज लगाया जायेगा। आपने अपने इस बजट में बड़ी होशियारी के साथ कह दिया इन परिवारों को उपर्युक्त कार्य के लिए 5 हजार ऋण केवल 4 प्रतिशत की दर पर दिया जाता है, तो जो अनुदान दिया जाता था वह समाप्त हो गया। जो मतलब मैंने लगाया है वह है उदय होने के पहले ही जो अस्त हो जाये, जिसका अन्त हो जाये वह अन्त्योदय है। यह आपने अपने व्यवहार में दिखाया है। अन्त्योदय के नाम पर एक साधारण गरीब जनता के गले में फंदा डाल दिया। सम्पर्क मार्गों को आप देखिय। जो गेहूं आप दे रहे हैं इनके बनाने पर, उसका उपयोग हो रहा है ? आपका ब्रिज कारपोरेशन बिल्कुल कागजी काम करता है। पुल नहीं बन रहे हैं, नतीजा क्या होगा, बरसात आने वाली है। जो कमाई उसमे लगी है सम्पर्क मार्गों पर, वह सब बेकार हो जायगी उनको पक्का करने की दिशा में आपने नहीं सोचा। कह दिया कि सम्पर्क मार्ग इतने किलोमीटर बन गये हैं। मैं विशेषकर अपने क्षेत्र की बात करता हूं। शायद ही कोई मार्ग पूरा हुआ हो।

मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में देखें। होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथिक अस्पताल खोलेंगे। अंग्रेजों के जमाने में जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सब जगह आयुर्वेद को बढ़ाने कि घोषणायें हो रही थीं, 1921 में प्रस्ताव पेश किया गया था। 1947 के बाद से उसकी उपेक्षा ही उपेक्षा देखनी पड़ी है। अब भी उसको उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।

[श्री राम आसरे वर्मा—]

मान्यवर, फार्मेसिस्ट आज कई सालों से हड़ताल कर रहे हैं उनकी बड़ी वाजिब मांगें हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपके दो मिनट और रह गय हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मुझे 25 मिनट चाहिये । अभी नहीं हुये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा आप बोलिये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

फार्मेसिस्ट हड़ताल पर हैं । शासन की मर्यादा होती है कि मंत्री बदल सकते हैं लेकिन अगर किसी मंत्री ने किसी तरह का आश्वासन दिया है तो उसके आगे आने वाले मंत्री या शासन का दायित्व हो जाता है कि उन मर्यादाओं को पूरा करें और वादों को पूरा करे ।

मान्यवर, आप देखें 16 नवम्बर, 77 को स्वास्थ्य मंत्री ने एक काफ्रेंस में जिसमें फार्मेसिस्ट कर्मचारी थे और अधिकारी थे, उसमें तय हुआ था कि 280–460 का वेतनमान, 20 परसेंट सेलेक्शन ग्रेड, चीफ फार्मेसिस्ट के 70–80 पद, सेवाओं का प्रांतीयकरण, फार्मेसिस्ट की सेवा नियमावली, कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण, फार्मेसिस्टों की आचार संहिता के अनुसार बनाये जायं । फार्मेसिस्ट संस्थानों को शीघ्र मान्यता दिलाकर चलाया जायगा । अप्रशिक्षित व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायगा, आदि आदि चीजें थीं । लेकिन मंत्री बदल गये और सब चीजें हवा हो गयीं । आप देखें फार्मेसिस्टों की मांगें कितनी जायज हैं । आप अगर उनकी मांगें मान लेते हैं तो जो डिस्टिल वाटर 15 पैसे का है वह 2 पैसे का मिल सकता है । 15 रु० की ग्लूकोज की बोतल ढाई रुपये की पड़ सकती है । करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है । परिवार कल्याण कर्मचारी 15 20 वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन उनको स्थायी नहीं किया गया है । यह बड़े दुख की बात है कि स्वास्थ्य कर्मचारी 20 वर्ष के बाद भी स्थायी नहीं हैं । आप कहते हैं कि केन्द्र की योजना है लेकिन अपने प्रशासन में रखना चाहते हैं आप फैसला कीजिये अपने पास रखिये या उनके पास रखें उनको स्थायी किया जाना चाहिये ।

शिक्षा के क्षेत्र में आप स्कूल खोलते चले जा रहे हैं लेकिन जो पुराने स्कूलों की इमारतें हैं उनका कोई जिक्र नहीं है । अब आप नैतिक शिक्षा चालू करने जा रहे हैं । हमको लगने लगा है कि मंत्री जी पुराने जमाने की शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं । लड़कों को पेड़ों के नीचे बैठाया जायगा और शिक्षा दी जायगी । नैतिक शिक्षा आप किताबों से देना चाहते हैं । आप वह परिस्थितियां नहीं पैदा करना चाहते हैं जिससे लोगों के अंदर नैतिकता पैदा हो आप कहते हैं कि छात्र उदंड हो रहे हैं । लेकिन यह शासन का दायित्व है कि अगर छात्र उदंड हो रहे हैं तो यह परिस्थितियां पैदा होने की जिम्मेदारी शासन की है । मान्यवर, सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग है, आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता के ऊपर किसी तरह का बोझ डालने की

जरुरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इन विभागों में काम करने वाले अधिकारियों की हैसियत का लेखा जोखा लेगें । उनको पूरे जीवन में तन्खवाह से जितना पैसा मिल सकता है उसको अलग निकाल दें और फिर आप देखें कि उनके पास कितनी संपत्ति इकठ्ठा हो गई है, वह कहां से आयी है । जनता के खून पसीने की कमाई उनके घरों में भरी पड़ी है । ईमानदार अधिकारी भी हो सकते हैं लेकिन अगर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कई सालों तक आपको टैक्स लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी । एक हजार रुपया वेतन पाने वाला कर्मचारी 5 हजार रुपये टी० ए० पाता है । तो आप एक नियम बना दें कि जहां गाड़ियां जा सकती हैं, वहां तक वह गाड़ियों से जायं तो इससे करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है ।

मान्यवर, हथकरघा के ऊपर टैक्स लगा दिया । हमारे यहां बुनकर रहते हैं, मैं खान मोहम्मद आतिफ साहब का शुक्रगुजार हूं कि जब वह अध्यक्ष थे तो उन्होंने हमारे यहां बुनकरों का दर्द समझा और ऐसा प्राविधान किया कि जो इस समय आलू खाते थे, वह रोटी खाने लगे । लेकिन आज उनकी फिर वही दशा होने वाली है । आगरा का जूता विदेशों में जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो 7 प्रतिशत सेल टैक्स लगता था, उसको माफ कर दिया, किन्तु उसके स्थान पर परचेज टैक्स 9 फीसदी लगा दिया । इसलिए चाहे हथकरघा उद्योग हो या जूते का उद्योग उस पर टैक्स लगायें तो वह जन साधारण के दर्द को बढ़ाने वाली बात है । इसलिए यदि जन साधारण के दर्द को बढ़ाना ही आपका समाजवाद है, तो यह जनता पार्टी के शासन के लिए मुबारक हो ।

मान्यवर, आपने पिछड़े वर्ग और हरिजनों को पिछले वर्ष सुधारने की बात कही थी, तो अभी एक सदस्य बोल रहे थे तो कह रहे थे कि जब मुख्य मन्त्री राम नरेश यादव जी थे तो इन लोगों के दिमाग बढ़ गए । तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है । लेकिन इस वर्ष पिछड़ी जाति और अनुसूचित वर्ग के बारे में इस बार 5 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई । तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष यह इजाफा हुआ है । मान्यवर, पिछले साल जगह–जगह छात्र–वृत्तियां दी गयीं थीं, लेकिन इस भ्रष्ट प्रशासन ने अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को उससे वंचित रखा । इसलिए यह आपके सहानुभूति के झूठे आंसू पिछड़ी जातियों को बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बना पायेंगे ।

मान्यवर, उर्दू के बारे में हर शासन ने कस्में खाई, किन्तु किया कुछ नहीं । लेकिन आपने छठी दर्जे तक उर्दू को प्रोत्साहन देने की जो बात कही है, वह अच्छी बात है । किन्तु इसे आठवीं कक्षा तक करना चाहिए । मान्यवर, श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो बजट का विश्लेषण किया वह अच्छा है, लेकिन उनको शिकायत यह है कि जनता पार्टी का शासन उनकी सलाह और उनके पिछले कारनामों से सहमति क्यों नहीं व्यक्त करता । तो इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि कुछ बातें तो उनकी मानकर यह शासन वैसे ही चल रहा है, लेकिन उनकी सारी बातें मानकर चले तो ऐसी सलाह कम से कम तिवारी जी उनको न दें तो अच्छा है । तिवारी जी [× ×] एक के पीछे लगे थे। [× ×] अब कहते हैं कि आर० एस० एस० से लड़ने के लिए [×] सांठ–गांठ करनी पड़े तो हम तैयार हैं और तिवारी जी कहते हैं कि मौजूदा शासन को गिराने के लिए आर० एस० एस० से सहयोग लेना कोई बुरी बात नहीं है । [× ×]

नोट—[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

नाम किसी का न लें और जो नाम लिए जायं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा--

तो यह विरोधी बातें उनको कहां ले जायेंगी पता नहीं है । तिवारी जी कहते हैं कि जनता शासन से लड़ने के लिए तैयार हैं, इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है । लेकिन मेरी यह कामना है कि जनता पार्टी का शासन रहे, किन्तु अपने को सुधार कर रहे। ताकि दूसरे लोग जिन्होंने 30 साल तक इस प्रदेश की धरती पर लूट और जुल्म का राज्य कायम किया है, वह वापस आने का स्वप्न न देखने पायें । और अगर उनको वह देखने का मौका मिला तो मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आपके शासन का बहुत बड़ा विश्वासघात होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट (जिला इटावा)---

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर कहने का मौका दिया ।

श्री अधिष्ठाता--

इसके कहने की कोई जरूरत नहीं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट---

लेकिन, मान्यवर, वह तो मेरा फर्ज है और मैं उसके लिए आभारी हूं ।

अब मैं मान्यवर, बजट पर आता हूं । उसके बारे में तो यही कहना है कि--

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो काटा तो कतराए खूं न निकला ।

बड़ी चर्चा थी वित्त मन्त्री जी के बजट के बारे में और खासकर तब जब तीसरी बार माननीय वित्त मन्त्री जी बजट भाषण प्रस्तुत करेंगे, तो लोगों को आशा थी कि उसमें अवश्य ही कुछ ऐसी बाते होंगी कि जो बाहर गांव में अब जनता पार्टी के बारे में विरोध की भाषा में कहना प्रारम्भ कर दिया है, उसमें कुछ तो राहत मिलेगी और जब हम ट्रेन में, बसेस में सफर करते हैं (और श्रीमन् आप भी उसी वातावरण में रहते हैं,) तो ट्रेन और बसेस में जो नान-वेजीटेरियन गालियां जनता पार्टी के मन्त्रियों को ही नहीं, बल्कि सदस्यों को भी जो दी जाती हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ तो मुंह खोलकर कह सकेंगे कि अमुक काम अच्छा हुआ । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत से अच्छे काम गत वर्ष किए । उसमें एक लिंक रोड की भी चर्चा हुई । सम्पर्क मार्ग के काम के लिए जनता पार्टी की सरकार की तारीफ की गई और हम लोग आह्लादित होकर कहते कि हम जनता पार्टी के सदस्य हैं और जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर लिंक रोड का काम किया ।

अब जैसे वर्मा जी ने कहा कि इस काम में गेहूं और दूसरी चीजों का दुरुपयोग हुआ, वह दूसरी बात है । वह प्रशासनिक इनएफीशियेंसी की बात कही जा सकती है । लेकिन जो सम्पर्क मार्ग के काम को प्राथमिकता के आधार पर किया था, यदि इस वर्ष उनको पक्का न कराया गया तो बरसात में उनका सम्बन्ध नदियों से हो जायेगा और सारी मिट्टी नदियों में चली जायेगी । तो इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए । शायद इस बात को माननीय मन्त्री जी ने अभी मन में रखा हो और बाद में करना चाहते हों, लेकिन इसकी बजट में चर्चा नहीं की गई । तो जो योजना नं० 4 के अन्तर्गत कच्ची सड़कों का काम है, उसको योजना नं० 3 और 2 में लायें, लेकिन उसको करने के लिए आपने कोई आश्वासन बजट भाषण में नहीं दिया ।

यही हाल मन्डी समिति की सड़कों का है । आपने निर्देश दिया था मन्डी समिति की सड़कों का पैसा वे देतीं थीं कार्यान्वित ब्लाक करते थे और करवाता उसको पी० डब्लू० डी० था । आपने कह दिया कि मन्डी समितियां पी० डब्लू० डी० को पैसा ट्रान्सफर कर दें । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद ऐसा जनपद है कि मन्डी समितियों को निर्देश होने के बावजूद भी कि पैसा पी० डब्लू० डी० को दे दिया जाय और यह उनकी जिम्मेदारी हो जाय, मन्डी समितियों ने पैसा स्थानान्तरित नहीं किया पी० डब्लू० डी० को । मैं किसी पर लांछन नहीं लगाता, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कुछ 2/4 मन्डियों का पैसा तो चला गया, लेकिन बाद वालों के लिए कर दिया कि कोई आवश्यकता नहीं, पी० डब्लू० डी० को ट्रान्सफर करने की । मतलब यह कि यह दूसरे क्षेत्रों में काम न हो जाए । तो मैं कह सकता हूं कि इटावा में एम० एल० एज० के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है बल्कि अधिकारियों से कहा जा रहा है कि अमुक-अमुक काम इनके नहीं किए जायेंगे । मैं चार्ज करना चाहता हूं इस सरकार को जितना एम० एल० एज० को जलील करने का काम इस सरकार द्वारा हो रहा है, शायद उतना पहले कभी न हुआ ।

मान्यवर, मैं चर्चा करना चाहता हूं, नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने की जब वह मुख्य मन्त्री थे । माननीय वित्त मन्त्री जी सुन लें, हिन्दुस्तान की धरती में शायद ही कोई ऐसा स्थान रहा हो, जहां पर पांच नदियां मिलती हों, हमारे जनपद इटावा में पांच नदियों का संगम है । पंजाब का नाम पांच नदियों के नाम पर है, लेकिन वहां पर पांच नदियां एक जगह पर नहीं मिलती । आप जानते हैं कि किसी चीज के निकलने का उतना महत्व नहीं होता जितना कि मिलने का होता है । मैं माननीय सदन और जनता पार्टी से जिसमें पांच घटक आकर एक जगह मिलते हैं, कहना चाहता हूं कि इन पांच नदियों के संगम पर जिसे पंचनदा कहा जाता है नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने, केबिनेट ने, सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया था कि बांध बनाया जाएगा । इसकी कुछ विशेषतायें थी । एक तो यह कि वह इलाका बीहड़ इलाका है, मान सिंह, लाखन सिंह का इलाका है, बदनाम इलाका है चम्बल और उसकी रिवाइन्स का नाम सब जानते हैं, उसको आबाद करने के लिए पंचनदा पर बांध बनाने की स्वीकृति शासन ने दी । दूसरी विशेषता यह थी कि हर वर्ष वह इलाका पानी में डूब जाता है करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान होता है । पंचनदा पर बांध बनाने से बुन्देलखंड की धरती में जो और जिले हैं इटावा, फतेहगढ़ पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले हैं, उनको भी लाभ होगा, क्योंकि इससे फीडर कैनाल निकलेंगी और उसका पानी उन जिलों के जो कैनाल्स हैं, उनमें भी जाएगा । दुर्भाग्य है कि जो केबिनेट ने निर्णय लिया था, वह ड्राप कर दिया गया, उस पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया ।

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट---]

कहते हैं कि एडवान्स सर्वे हो रही है और राक्स नहीं मिल रही है लेकिन मेरा चार्ज यह है, इस सरकार पर कि वहां पर हैवी मशीनों से ड्रिलिंग नहीं की गयी। जब वहां पर डिवीजन नहीं खोले जायेंगे, सर्किल नहीं खोले जायेंगे, ड्रिलिंग नहीं की जायेगी, तो राक्स कैसे मिल जायेगी। मुझे तो लगता है कि वह इस बात के कहने के लिए तैयार हैं कि यह योजना फिजोबिल नहीं है। मेरा दावा है कि वहां पर इस प्रकार की कोई एडवान्स सर्वे का कार्य नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और वहां पर सर्किल और डिवीजन खोले और इस योजना को शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित कराये।

इस देश की धरती पर प्लानिंग ने जन्म लिया अलबर्ट मायर के समय से जब प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू थे। पंडित नेहरू ने उनसे कहा कि आप पन्डित गोविन्द बल्लभ पंत जी के पास जाइये। पंडित पंत उस समय इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे। अलबर्ट मायर ने पंडित पंत से बातचीत की और इटावा की धरती को प्लानिंग के लिए चुना। इटावा की धरती को अलबर्ट मायर ने प्लानिंग के लिए उपयुक्त समझा। इटावा में प्लानिंग के नाम पर क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। वहां की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। सरकार की एक अग्रगामी विकास परियोजना, अजीतमल है, उसके विकास के लिए बजट का भी ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अग्रगामी विकास परियोजना जिसे हम द्रुतगामी योजना भी नहीं मानते, से भी कोई विकास इस जनपद में नहीं हुआ। मैं तो इसे मृतगामी योजना कहता हूं और प्रदेश तथा मुल्क के अन्दर जिस प्लानिंग ने जन्म लिया उस पायलट प्रोजेक्ट को विशेष प्रगति व गति प्रदान करने की कृपा करें, चूंकि इसकी चर्चा पूरे बजट में नहीं है।

आपने कहा था कि बिक्रीकर को समाप्त करेंगे। उसके लिए सलाहकार समिति बनाई थी। उसकी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। न पूरे तरीके से एबोलिश करते तो सिम्पलिफिकेशन ही कर दें, वह भी नहीं किया। इस सबके पीछे एक ही कारण है जब तक ये बेईमान मन्त्री मौजूद है तब तक प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन नहीं मिलेगा। इसी तरह आप देखें, इस प्रदेश में कोने-कोने से एक से एक छंटे हुए जीव जन्तु मंत्रि मन्डल में लाकर बिठा दिए गए हैं। कोई एग्रो डकार गया तो कोई मर्डरर है और जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, वह एक दो विभाग पहले पी गए और अब प्रदेश भर को पी जायेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात वहां भी पहुंचा दें, कृपा कर इस प्रदेश को बचाइए। हम लोग तो प्रतिक्रिया वादी हैं। प्रतिक्रियावादी से कोई लाभ हो नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का जो प्रगतिशील तत्व है, क्या यही प्रगतिशीलता का नमूना है। आलू और गन्ना क्या पद्मपत सिंघानिया, टाटा व बिरला के कारखाने में पैदा होता है। मिट्टी के तेल को इसलिए महंगा कर दिया, क्योंकि उसे डीजल में मिलाया जाता था। पानी भी दूध में मिलाया जाता है तो पानी के दाम भी बढ़ा दीजिए। अगर इस अदूरदर्शिता से काम होगा तो शासन और सरकार का कोई भी भला होने वाला नहीं है। जरा इस शेर पर गौर फरमायें--

'बखिया हुई तो और भी चादर उधड़ गई,

बंधन खुले तो जिस्म की रग-रग जकड़ गई।'

आज हालत यह है कि कोई राहत नहीं मिल रही है। हकीकत को जरा आप देखें। चुनाव आ रहे हैं। टेस्ट कर लीजिएगा। जनता में आज असंतोष है।

जिस जनता ने मोटी–मोटी फूलों की मालायें पहनाई थीं, अब जो मन्त्री हैं, उनके सम्मान में वह उनको मोटी–मोटी जूतों की माला पहनायेगी और हम लोगों के हिस्से में जिस अनुपात से फूल–पाती आती थी, उसी अनुपात में एक आध लात जूता आयेगा । इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हुं, इस मजबूरी के साथ कि––

'न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर
जब किसी नामेहरबां को मेहरबां कहना ही पड़ता है
हमारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटीं
उसी को अब फरोसे अंजुमन कहना ही पड़ता है
यह दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से
यहां पत्थर को भी लालेगिरां कहना ही पड़ता है ।'

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)––

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । यहां न्याय मन्त्री बैठे हुए हैं । आपके प्रदेश में एडवोकेट जनरल का कार्यालय है । मैं इस सम्बन्ध में दो बातें अर्ज करना चाहता हूं । एडवोकेट जनरल हमारे प्रदेश के फौजदारी तथा दीवानी दोनों के मामलों को देखते हैं और विशेष मुकदमों में वह बहस भी करते हैं । पिछले 10 साल से हम उनको देखते आ रहे हैं । हमारे सामने हिंडालको का केस आया, शिक्षक संघ की हड़ताल का मामला आया, फिर प्राहीबीशन का केस आया और आरक्षण का केस आया । दो साल के अन्दर ये सभी केसेज आये । एडवोकेट जनरल का कर्त्तव्य होता है कि विशेष मुकदमों में वह अदालत के सामने बहस करें, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा राज्य स्तर पर किन विशेष मुकदमों में उन्होंने बहस की ? हम देखते हैं कि विशेष मुकदमों में बहस करने के लिए सौलिसिटर जनरल को भी बुलाया जाता है । विशेष लायर्स बाहर से भी बुलाये जाते हैं । हम कहते हैं कि आपके एडवोकेट जनरल क्या करते हैं । प्रायः हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसे केसेज आते हैं, उनमें हमारी सरकार की हार होती है । इसका कारण यह है कि हमारे एडवोकेट जनरल जो हैं, वे पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं । जितनी कानूनी सूझ–बूझ उनमें होनी चाहिये, उतनी उनमें नहीं है । सोलिस्टर जनरल जब देहली से इलाहाबाद आते हैं तो 3,300 रु० लेते हैं और 3,000 रु० उसकी तनख्वाह है । इसके अतिरिक्त जब वे किसी केस में बहस भी नहीं करते हैं, तब भी उन्हें 1,100 रु० मिलते हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो लायर्स एजेन्सी है, वह सरकार का साथ नहीं दे रही है । मैं इसके लिए प्रमाण–देने के लिए तैयार हूं । मैं उदाहरण देना चाहता हूं । अभी आरक्षण का केस हुआ । उसमें आपकी सरकारी मशीनरी ने ही सरकार का साथ नहीं दिया । चीफ स्टैंडिंग काउन्सिल ने वे आंकड़े दिए जो काउन्टर एफिडेविट में नहीं देना चाहिये था । उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट को अनेक्सर भी नहीं बनाया । बात यह है कि हमारे एडवोकेट जनरल सरकारी प्रेक्टिस में विश्वास नहीं करते, प्राइवेट प्रेक्टिस में विश्वास करते हैं । अक्सर यह देखा गया है कि जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं वे अपने लिए अन्य मुकदमों का प्रबन्ध करके जूनियर्स लायर्स के द्वारा करवाते रहते है । मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं । कोर्ट में उनके जूनियर हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ एक केस में बहस कर रहे थे । वहां एडवोकेट जनरल भी बैठे हुये थे । उसमें जूनियर लायर्स

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

अच्छी तरह से बहस नहीं कर पा रहे थे । अदालत ने जब स्पष्टीकरण मांगा तो एडवोकेट जनरल समझे कि वे प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं, उस रूप में वे खड़े हो गए और स्वयं स्पष्टीकरण देने लगे । तो इस तरह से आज हालत हो रही है अदालत ने तुरन्त कहा कि आप सरकार के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं । इस सम्बन्ध में न्याय मन्त्री को विशेष रूप से देखना चाहिए । इस तरह की बातें करना अनुचित है ।

इसके अलावा जो समय-समय पर स्थान सरकारी नौकरियों में खाली होते हैं, उनकी नियुक्तियां मनमाने ढंग से कर दी जाया करती हैं । जब एक स्थान आज खाली होता है तो दूसरे दिन ही उसमें नियुक्ति हो जाती है । कभी-कभी तो उसी दिन शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़े वर्ग के उत्थान में विश्वास ही नहीं करते हैं । एक समय इन एडवोकेट जनरल ने कहा था और लिखा भी था कि सरकारी नौकरियों में इनका रिप्रेजेन्टेशन उचित नहीं होगा । इस सम्बन्ध में राकेश सिंह, एम० पी० एक प्रतिनिधि के रूप में 40 अधिवक्ताओं के साथ विधि मन्त्री जी से मिले थे, रक्षा मन्त्री जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि एडवोकेट जनरल के खिलाफ अनटचेबुल ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चलाना चाहिए और सी० आई० डी० के द्वारा जांच भी हुई थी । जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, वह उस कानून के अन्तर्गत आते हैं । मान्यवर, पारसाल सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये के कूलर लगाने के सम्बन्ध में हाई कोर्ट के महाधिवक्ता को दिया गया । यह साधारण परम्परा है कि महाधिवक्ता अपने शासकीय अधिवक्ता को वह राशि खर्च करने के लिए दे देता था, किन्तु इस बार एडवोकेट जनरल ने स्वयं इसका चार्ज किसी दूसरे जूनियर व्यक्ति को दे दिया, जो उनके विश्वास का था एक कूलर की कीमत लगभग 1200 रु० आती है लेकिन उसकी कीमत 1700-1800 रु० के हिसाब से दे दी गई । चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लीगल इंस्ट्रक्शन हैं कि जो ब्रीफ होल्डर होते हैं उनको बड़े मुकदमें न दिये जायं डिविजन बैंच में जो बड़े मुकदमें होते हैं उसके लिये हमारे ज्येष्ठ अधिवक्ता हैं उनके एक विशेष विश्वास के ब्रीफ होल्डर हैं उन्हीं को वह भेजते हैं जब कि इस पर आपत्ति भी की गई ।

अब मैं आपका ध्यान दूसरे विभागों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मैनपुरी जिले में 15-16 साल से एक बाई पास का मामला चल रहा है । वह होना चाहिये । मैनपुरी जिला नार्दन इंडिया में धान के मामले में सबसे प्रथम स्थान रखता है, इसके अलावा मूंगफली भी वहां सबसे अधिक होती है । आप मालूम कर सकते हैं कि मैनपुरी जिले में अकेले धान की 42 मिलें हैं इतनी मिलें उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जिले में नहीं होगी कहीं होगी भी तो 20, 22 मिलें । मैनपुरी शहर एक छोटा शहर है और वहां कंजेशन बहुत ज्यादा है अगर आप विशेष रूप में जाड़ों में शहर से निकले तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी और अगर आप कार लेकर जायेंगे तो निश्चित रूप से एक घंटा आप को लग जायगा । इसलिए वहां पर एक बाई-पास के लिए लिखा जा रहा है । आज 16-17 साल हो गये वह नहीं बना । पिछले साल मैंने मन्त्री जी से बात की थी वह बैठे हुए हैं उन्होंने कहा था कि यह बाई-पास का मसला हल हो जायेगा और उसके लिए रुपया एलाट होगा । लेकिन नहीं हुआ । मैंने आज के पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर जो है उनसे भी बात की लेकिन उसके बाद भी बजट में मैनपुरी के इस बाई-पास के लिए रुपया नहीं है । इसमें कंजेशन होने की वजह से कम से कम 40, 50 एक्सीडेंट हो जाते हैं और मौतें हो जाती हैं । आप आश्चर्य न करें मैनपुरी में पिछले तीन चार महीनों के अन्दर कम से कम 12 मौतें एक्सीडेंट से हो चुकी हैं ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं खाद्य मन्त्री जी यहां पर बातें कर रहे थे बोरे नहीं आ रहें हैं । तो वह क्यों नहीं आ रहे हैं । इसका कारण यह है कि जो कलकत्ता की फर्म को अक्तूबर में आर्डर जाने चाहिए थे वह दिसम्बर में गये हैं ।

दो महीने लेट आर्डर आपके यहां से कमिश्नर ने दिये। हरियाना और पंजाब के आर्डर अक्तूबर के महीने में हो गये। तो इसमें किस का दोष है, हमारी सरकारी मशीनरी का दोष है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—

यह ऐसा दोष है जिससे हमारे किसानों का शोषण हो रहा है। इसलिए ऐसे मामलों में अधिकारियों को दण्ड देना चाहिए जहां उनका दोष रहा हो।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसको मैंने बड़े ध्यान मे पढ़ा है उसमें बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पतालों के क्षेत्र में, दवा दारू के सम्बन्ध में बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस हिन्दुस्तान म 80 फीसदी जनता गांवों में बसती हो और यह सरकार ग्रामोन्मुखी और किसानोन्मुखी होने का दम भरती हो लेकिन उनके लिये इसमें कोई ठोस कार्यक्रम नहीं रखा गया है। किसानों के सम्बन्ध में जब अंग्रेजों का साम्राज्य था तो उन्होंने जमींदारी प्रथा कायम की थी, वह इसलिए कायम की थी कि सामन्ती ढांचा सुचारु रूप से चले। इसके बाद जब आजादी आई तो उसके बाद 30 वर्षों में भी किसानों के लिये कोई ठोस कार्यक्रम नहीं रखा गया और उनके लाभ के लिए कोई बात नहीं की गई। आप जानते हैं कि 32 सालों में यहां की सरकार ने किसानों के नाम पर शासन किया लेकिन वह किसान जो देहातों में गर्मियों में, जाड़ों में और बरसात में अपना हाड़ पसीना एक कर कच्चा माल पदा करता है, धरती को चीड़-फाड़ कर अनाज पैदा करता है लेकिन उनको आज तक उचित मूल्य नहीं दिलाया जा सका है।

जब दो वर्ष पूर्व 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो नये पुराने सभी लोगों ने मिल कर यह सरकार बनाई। लेकिन हमारे वित्त मन्त्री जो समाजवादी हैं और डाक्टर लोहिया का अपने को अनुयायी कहते हैं, ने उनकी भावनाओं को जरा भी ख्याल नहीं किया है। डाक्टर साहब ने हिन्द किसान पंचायत का गठन किया था और उसके माध्यम से बड़े-बड़े आन्दोलन-मुक्ति आन्दोलन, अलाभकारी जातों से लगान माफी का आन्दोलन, भूमि वितरण का आन्दोलन आदि इस देश और प्रदेश में किये गये हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे वित्त मन्त्री नें पारसाल के बजट में यह प्राविधान किया था कि 3 1/8 एकड़ तक की जोतों से लगान माफ किया जाएगा, लेकिन इस साल के बजट को पढ़ने से मालूम होता है कि उन्होंने समाजवादी सिद्धान्तों को ताक पर रख दिया है। उनका जो कहना था कि सबा 6 एकड़ तक की जोतें अलाभकारी हैं, उनसे लगान माफ किया जाए उसे नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि सरकार अलाभकर जोतों पर से लगान माफी करें।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप सब को समय दे रहे हैं, किन्तु एक नारी कई बार खड़ी हुई है, तो उसको भी समय देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

लगता है कि लक्खी सिंह जी को आज कल नारी से बहुत प्रेम हो रहा है।

श्री विद्या शंकर---

इस बजट में भूमिहीनों के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यक्रम नहीं रखा गया है । 1960-61 में भूमिहीनों की संख्या 16 परसेन्ट 1971 में 19 परसेन्ट थी और आज जब जनता पार्टी की सरकार है, उनकी संख्या बढ़कर 25 परसेन्ट हो गई है । तो मैं जानना चाहता हूं कि भूमिहीनों के सम्बन्ध में दूषित भूमि वितरण प्रणाली में अब तक क्यों नहीं आवश्यक परिवर्तन किया गया है और उसकी कमियों को दूर किया गया है । जहां तक किसानों के हित की बात है, आज किसानों के नाम पर विभिन्न प्रकार की दूकानें चल रही है, उसके माध्यम से राजनैतिक दबाव भी डाले जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके फायदे के सम्बन्ध में कोई भी ठोस काम नहीं किया गया है । जब से खेती शुरू की गई, बिजली के, खाद के दाम दिनों दिन बढ़ते चले गये । इस पर उनके लिये खेती करना बहुत महंगा पड़ रहा है, जिससे उनकी हालत दिनों दिन खराब होती चली जा रही है । आलू इस साल सड़ रहा है, गोदामों में रखने की जगह नहीं है, वह 10 रुपये क्वींटल बिक रहा है । ऐसी हालत में क्या यह किसानोन्मुखी सरकार है ? इसी प्रकार गन्ना किसानों के सामने भी सबसे बड़ी समस्या है, वह खेतों में खड़ा सड़ रहा है, जला दिया गया है, लेकिन उसका उचित मूल्य आज तक हमारी सरकार नहीं निर्धारित कर सकी है । जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, किसानों के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं रखा गया है । अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों और भूमिहीनों के सम्बन्ध में जो प्राविधान रखा जाए, उसे ठोस रूप से रखा जाय ।

समय समय पर जो बन्दोबस्त किया गया, उसमें उसके नाम पर किसानों का शोषण ही हुआ है । उसे कोई स्थायी राहत नहीं मिली है ।

अब मैं किसानों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं बड़े अलाभकर जोतों से लगान की माफी की जाय । जो हदबन्दी कानून है, उसे भूमिहीनों के हित में प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाय । जो खेत जोते बोवे, वही खेती का मालिक समझा जाय । कृषक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं जैसे कपड़ा, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के दाम सस्ते किये जायं और किसानों की उत्पादित चीजों और कल कारखाने में पैदा चीजों में ज्यादा घटबढ़ न हो, उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाय । किसानों को साधारण व्याज अर्थात् सस्ते व्याज पर कर्ज दिया जाय और बेरोजगारों को रोजगार देने की गारेन्टी भी दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि सरकार ने हमारी उपरोक्त मांगे नहीं मानी तो हम हिन्द किसान पंचायत के मंच से एक जूझारू आन्दोलन छेड़ेंगे । हिन्द किसान पंचायत किसानों के हित के लिए पूरी तरह लड़ी है और अब फिर लड़ेगी । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)--

माननीय, जो इतने बड़े आकार का बजट वित्त मन्त्री जी ने सदन में पेश किया है इतने वर्षों में मैंने नहीं देखा उसके आकार को कम करें साथ साथ उसमें देखा है कि जो मदें हैं उनमें भी पैसा केन्द्रीय सरकार से कम मिला है, ऐसा आभास होता है । योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार में हमारे यहां की सरकार का हमारे मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री का कोई बहुत सामजस्य नहीं है या यह कहें कि अपने प्रदेश के बारे में वह अच्छी तरह से मांग नहीं कर पाये क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के बजट में कटौती करना किसी अच्छी सरकार का अच्छा नमूना नहीं है । हम यहां जब देखते हैं, इस बजट को उठा कर, नयी नयी मदों के साथ, हर नये मदों के साथ बजट में कटौती हुई है । यहां पर जहां पिछड़े प्रदेश के नाम पर, पिछड़ी जातियों के लिए जो मदें रखी गयी हैं उनमें पांच करोड़ रुपये की कमी आयी है । माननीय, हमारी सरकार के पास आकस्मिक धन पांच करोड़ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

जरा रुकें । माननीय वन मन्त्री को कहूंगा कि वह चेयर की तरफ पीठ करके न बैठें । बड़ा बुरा लगता है । कम से कम मंत्रियों को सचेष्ट रहना चाहिये ।

श्रीमती सुनीता चौहान--

1950 में सरकार के पास पांच करोड़ आकस्मिक निधि रही है । आज सरकार के पास 60 करोड़ है । लेकिन उसका उल्टा हुआ क्या, तो यहां के कर्मचारियों के लिए उन्होंने महंगायी भत्ता का जिक्र इसमें किया है, उसके सम्बन्ध में कहा है कि आगे आदेश प्रसारित करेंगे । इतने वर्षों में देखा है कि जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें बड़ी स्पष्ट नीति होती है कि कहां से पैसा आयेगा । कहां से पैसा लगाएंगे, केन्द्रीय सरकार का पैसा है या जैसा कि पचास करोड़ टैक्स का प्राविधान किया है वसूल करने का और कहां से पैसा लायेंगे जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कर्मचारियों के लिए यह कहा जाना कि 15 करोड़ के आदेश बाद में प्रसारित करेंगे, यह समझ के बाहर बात है ।

माननीय, जो रिजर्व स्टाक होता है, चाहे खाद्यान्न का हो या सोने का हो, कोई भी पूंजी रखी जाती है, वह निधि इस लिए रखी जाती है कि किसी मुसीबत में, कोई ऐसी आकस्मिक मुसीबत पड़े, उसके लिए काम आए खाद्यान्न या सोने को रिजर्व रखें । मिसाल के तौर पर तस्करी के नाम पर, कि तस्करी नहीं होगी, सारा सोना बेच डाला गया । खाद्यान्न की पैदावार दिन पर दिन बढ़ती गयी है लेकिन कांग्रेस सरकार जितना अनाज छोड़ कर गयी थी, वह रिजर्व स्टाक भी समाप्त कर दिया गया । अब जो सरकार खाद्यान्न इकट्ठा करने जा रही है, किसान की गल्ले की जो पैदावार ली जा रही है, जिस कीमत पर लिया जा रहा है उसमें उसको लाभ क्या, उसमें हानि है । किसान को वह पैसा नहीं मिल सकेगा, जो भाव स्वीकार किये हैं । भाव बहुत कम हैं । मेरा ख्याल है कि किसान के हित में इन चीजों के लिये सरकार केन्द्रीय सरकार से बात करे कि खाद्यान्न के भाव उचित हों सरकार स्टाक करेगी, गेहूं और अन्य बीजों के, वास्तविक रूप से लाभ किसान को दे सकें । हमारी 80 प्रतिशत जनता खेती में लगी हुयी है अगर उनको कुछ लाभ नहीं होते तो हानि भी नहीं होनी चाहिए ।

[श्रीमती सुनीता चौहान---]

अन्त्योदय कार्यक्रम का बड़ा जिक्र किया जाता है। वह कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, स्थानीय विकास योजनाओं में जो प्राविधान है उससे 60 प्रतिशत कटौती करके इस योजना के अन्तर्गत 5 हजार रुपया एक परिवार को दिया जा रहा है, लेकिन यह रुपया स्थानीय विकास की योजनाओं से कटौती करके दिया जा रहा है। ब्लाक स्तर पर जो कार्य हुए थे उनमें कटौती की गयी है। मान्यवर, गलती क्या हुई है। जो रुपया देते हैं उसके लिए अन्त्योदय मेला लगाने का आदेश है कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो उनके व्यापार के लिए सामान खरीदा जाता है जैसे गाय, भैंस और खड़खड़ा यह साढ़े तीन हजार रुपयों में मिलते हैं। एक परिवार ने साढ़े तीन हजार रुपये में एक भैंस या गाय खरीदी भगवान न करें कि अगर वह मर जाय तो इस योजना का अन्त हो जायगा। खेती का जो प्रश्न है उसके बारे में कहना चाहती हूं कि किसानों को जो लोन दिलाया जाता है वह बैंकों के द्वारा या भूमि विकास बैंक के द्वारा दिया जाता है। जब उनको लोन दिया जाता तो उससे यह कह दिया जाता है कि आप अमुक दूकान से अपना पम्पिंग सेट खरीदेंगे। मान्यवर, इसमें क्या नीति है सरकार की इस पर सरकार खुद सोचे।

बजट में एक और जिक्र किया गया है वह यह है कि इस सरकार ने बैंकों से अपील की है कि वह किसानों की मदद करें। यह सरकार बैंकों से अपील करती है यह उचित नहीं मालूम पड़ता है। यह ठीक है कि बैंकों का सीधा सम्पर्क प्रदेशीय सरकार से नहीं है लेकिन सरकार को इसके लिए कोई नीति बनानी चाहिए। बैंक अपील से मानने वाले नहीं हैं। जब वह कोई ऋण देते हैं तो उसके लिए सेक्योरिटी की मांग करते हैं। सरकार एक ओर तो बैंकों से लोन दिलाती है और दूसरी ओर जब गरीब किसान उस लोन को अदा नहीं कर पाता है तो उसकी जमीन की नीलामी हो जाती है। देहातों को बढ़ावा देने की बात कही गई है इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जितना भी आप लोन दें उससे किसानों का एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए जिससे बाद में उनकी जमीन की नीलामी न हो सके।

मैं आज कल अखबारों में बहुत देख रही हूं कि 40-50 नाम प्रति दिन दिये रहते हैं जिनके बारे में यह लिखा रहता है कि उनकी खेती की नीलामी की डेट लगा दी गई है। इस प्रकार की नीति किसानों के लिए घातक है। किसानों को जो लोन दिया जाता है अगर वह उसकी अदायगी नहीं कर पाते हैं तो उनकी जमीन ले ले और जब वह रुपया अदा हो जाय तो उनकी जमीन उनको वापस मिल जानी चाहिए, उससे किसानों की जमीन की नीलामी नहीं हो सकेगी। एक बात मैं और कहना चाहती हूं वह परती जमीन के बारे में है। परती जमीन और भूदान की जमीन अलग अलग है। परती जमीन को गांव सभा या राजस्व के अधिकारी लोगों को देते हैं परन्तु भूदान के लिए एक अलग बोर्ड बना हुआ है इन दोनों में मान्यवर सामन्जस्य होना चाहिए। अगर इस तरफ ध्यान नहीं होगा तो हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा।

एक बात और कहना चाहती हूं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भूमि की नीलामी का एलान किया गया है। मेरा निवेदन है कि जहां-जहां बाढ़ आयी है वहां भूमि की नीलामी का कार्य तुरन्त रोक दिया जाये। इन शब्दों के साथ कहना चाहती हूं कि बजट समर्थन करने योग्य नहीं है।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2-4 मुख्य मुख्य बातों की ओर ही मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमन्, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो यह ख्याल करते हों कि इस बजट से प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण होगा या कल्याण की कोई बहुत बड़ी योजना प्रस्तुत की गयी है परन्तु मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जनता सरकार के द्वारा पिछले दो वर्षों में अनेक क्षेत्रों में बहुत सुन्दर कार्य हुये हैं । सिंचाई, सड़क और विद्युत के क्षेत्रों में इस सरकार ने सराहनीय कार्य किये हैं । जहां मेरी यह राय है वहीं मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जहां सरकार द्वारा किये गये कार्यों से बड़ी निराशा हाथ लगी है । मुझे दुख के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि दूसरे विभागों की तुलना में शिक्षा विभाग पर बहुत कम खर्च किया गया है । यह बात बड़ी ही दुखद एवं आलोच्य है ।

इस बजट में शिक्षा के बारे में पृ० 19-20 पर जो कुछ कहा है उसको देखने से पता चलता है कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया है । शिक्षा के क्षेत्र में आज दो मन्त्री हमारे बीच में हैं, पर शिक्षा का बजट बड़ा ही निराशाजनक है । कहा गया है कि शिक्षा पर कुल व्यय 284·10 करोड़ होगा जो कुल राजस्व व्यय के अनुमान का 20·83 प्रतिशत है । मुझे याद है कि जम्मू और बिहार जैसे प्रान्तों में भी शिक्षा पर अधिक खर्च हुआ है । जम्मू काश्मीर में 23 प्रतिशत तक खर्च हुआ है जबकि हमारे यहां 20·83 प्रतिशत किया गया है। इस पर भी यह सरकार अपने मन में गौरव अनुभव कर रही है । अन्य प्रदेशों से अगर मुकाबला किया जायेगा तो हमारे यहां का प्रतिशत और भी कम आयेगा । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मनुष्य नहीं बनायेंगे, चरित्र का उत्थान नहीं होगा, तो कैसे आप प्रदेश को ऊंचा उठा पायेंगे । शिक्षा का हर एक क्षेत्र आज चारों तरफ से त्रसित है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस माननीय सदन के सामने कितनी बार इस बात का जिक्र आया कि प्राथमिक शिक्षा के अन्दर स्कूलों के बच्चों को बैठने के टाट, ब्लैक बोर्ड, चाक स्लेट नहीं है । इतनी दुर्व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा की है । 30 वर्ष हो गये आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर इतनी दुर्व्यवस्था है, यह आखिर कब दूर की जायगी । शिक्षा उपकर की मांग इस सरकार की एक प्रगतिशील मांग है । यह उपकर कम लगाया गया है। जो माननीय सदस्य इसकी आलोचना करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आज से 30 वर्ष तक की रिपोर्ट अगर देखा जायगा, तो पता चल जायगा कि इस उपकर के लिए दसों वर्षों से बराबर सिफारिश की जा रही है । उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है । अनेक प्रदेशों में बहुत पहले ही यह उपकर लगाया गया था । जो आलोच्य बात है, वह यह है कि यहां पर उच्च शिक्षा मंत्री हमारे बीच में हैं, उनसे और उनके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है कि यह उपकर जो प्राप्त करेंगे, उसको किस प्रकार से व्यय करेंगे ? यह अभी तय नहीं है । इस बात को हमारे शिक्षा मंत्री हमारे सामने उपस्थित नहीं कर सके । इससे हम यह स्पष्ट मतलब लगायेंगे कि शिक्षा की कोई योजना हमारे मंत्री के मन के अन्दर नहीं है। शिक्षा की हमें बहुत अच्छी तरह से योजना बनाकर एक प्रगति की ओर ध्यान देना चाहिए । इसी पृष्ठभूमि में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़े दुःख की बात है कि आज इस प्रदेश के अन्दर, अध्यापकों के अन्दर बहुत बड़ा असन्तोष व्याप्त है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कन्हैया लाल गुप्ता--]

पिछले वर्ष एक आन्दोलन यहां पर हुआ था, उस आन्दोलन के सम्बन्ध में एक वार्ता सरकार के साथ हुई थी। बहुत से वादे उसमें हुए थे, एक वायदा यह था कि वेतन दे दिया जायगा। लेकिन वह अनेक बंदों के बावजूद नहीं दिया गया। मैं किसी आन्दोलन का पक्षपाती या समर्थक नहीं हूं। लेकिन जो एक बार वादा अध्यापकों के सम्बन्ध में किया जाय, उसे तुरन्त निभाया जाय। जो इसमें विलम्ब हो रहा है, उससे सरकार की विश्वसनीयता भंग हो रही है। एक तीसरी बात जो बहुत ही भयावह है जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे प्रदेश के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए एक इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट बना, 58 में उसमें संशोधन हुआ। उसके द्वारा सेवा सुरक्षा प्रदान की गयी। कुछ संतोष उन्हें मिला। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने हाल में एक बिल उपस्थित किया जिसको कि हम 78 का 171वां बिल कहते हैं। वह श्रम मंत्रालय के माध्यम से बिल वहां पर उपस्थित किया गया। वह एक ऐसा बिल है जो इस प्रदेश के अन्दर 58 के बिल को समाप्त करने जा रहा है। 58 के बिल के द्वारा इस प्रदेश के अन्दर अध्यापकों को जो सेवा सुरक्षा मिली है वह इस सेवा सुरक्षा को पूर्णतः समाप्त करने जा रहा है। ऐसा भयावह कदम केन्द्रीय सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। इससे चारों तरफ एक भीषण असन्तोष व्याप्त हो गया है। मेरा अनुरोध माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से है कि वह केन्द्रीय सरकार को लिखने की अनुकम्पा करें कि वह इस बिल को वापस लें। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है यह माननीय शिक्षा मंत्री का कर्तव्य है कि वह इस प्रदेश को इस बिल से बचायें।

सौभाग्य की बात है कि उद्योग मंत्री इस समय उपस्थित हैं। मैं उनकी सेवा में एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं अपने मथुरा नगर के बारे में। आप सब जानते हैं कि मथुरा में एक रिफाइनरी वहां पर लगायी जा रही है। वहां बेरोजगारी की समस्या बहुत भीषण है। हमको कहा गया कि 200 करोड़ रुपये लगाकर रिफाइनरी लगायी जा रही है जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो जायगी। इस रिफाइनरी से मथुरा के लोगों को रोजगार नहीं मिलने जा रहा है, केवल एक हजार मजदूर इत्यादि को रोजगार मिलेगा। यह इसकी कैफियत है। कहा गया था कि जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे उनके जरिये बहुत कारखाने खुलेंगे और मथुरा के बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ज्ञात हुआ है कि जितने बाई प्रोडक्ट्स हैं वह मथुरा में न देकर सब बाहर दिये जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--

माननीय, मैं दो मिनट और लूंगा। मथुरा रिफाइनरी के बाई प्रोडक्ट्स दूसरी तरफ ले जाना उचित नहीं है। वहां के लोगों को रोजगार की संभावनाओं से वंचित करना मथुरा के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दूसरी बात यह है कि सन् 76 में कैबिनेट की मीटिंग मथुरा में हुयी थी। जिसमें यह कहा गया था कि मथुरा ब्रज संस्कृति का केन्द्र है यहां पर ब्रज प्राधिकरण इस उद्देश्य से खोला जा रहा है जिससे वहां का सांस्कृतिक विकास हो और देश को लाभ हो।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—

मैं आधे मिनट में समाप्त कर रहा हूं । इस ब्रज प्राधिकरण का वहां एक दफ्तर खोला गया है जिसके अंदर निर्माण के नाम पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है । मेरा निवेदन है कि इसकी जांच की जाय और मथुरा में उद्योग के क्षेत्र में जो धोखा किया जा रहा है उससे वहां की जनता को मुक्त किया जाय ।

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर बोलने का आपने अवसर दिया। मान्यवर, बजट सरकार की आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय नीतियों का वार्षिक दर्पण है । इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने पिछले साल की उपलब्धियों का वर्णन विस्तारपूर्वक किया है । साथ ही साथ आगामी वर्ष में सरकार की नीतियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है । इसमें खासकर दो तीन विषयों की ओर जनता सरकार का ध्यान गया है । गांवों की तरफ चलने का जो नारा दिया गया था वह नारा इस बजट भाषण में साकार हुआ है । सन् 1979-80 के बजट में 75 प्रतिशत भाग गांवों के उत्थान पर खर्च किया जायगा । इसमें से 38 परसेंट केवल कृषि पर खर्च किया जा रहा है । इस प्रकार से गांवों के विकास की तरफ और खेती के विकास की तरफ सरकार का ध्यान गया है । इससे कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में काफी प्रगति हो सकती है।

मान्यवर, सड़कों की तरफ सरकार ने पिछले साल से ध्यान देना शुरू किया है । पिछले साल सड़कों की जो योजना थी उसकी पूर्ति ठीक ढंग से नहीं हुयी है । इस साल सड़कों के बजट में वित्त मंत्री जी ने भारी कटौती की है । पिछले साल 3634 कि0 मी0 पक्की सड़कों और 774 कि0 मी0 वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण या सुधार किया जाना था । इस साल वित्त मंत्री ने केवल 2490 कि0 मी0 नयी सड़कें और 535 कि0 मी0 वर्तमान सड़कों में सुधार और पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की है। 1144 कि0 मी0 और 239 मील मार्गों के सुधार में काम दिखाया गया है ।

एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जब कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में बिजली के क्षेत्र में वृद्धि होती है तो यातायात के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री ने कटौती क्यों की है । इससे मालूम होता है कि पहले साल सड़कें बनवाकर के देख लिया है कि सड़कों की आवश्यकता समाप्त हो गयी है । 2 वर्षों से वह लखनऊ में रह रहे हैं । लखनऊ की सड़कों को देख रहे हैं । गांवों को देखना उन्होंने बन्द कर दिया है । वहाँ पर सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है । खाद्यान्न योजना नं0 4 के अन्तर्गत हजारों किलोमीटर की सड़कें बनायी गयी हैं लेकिन इस सड़क के बजट में कटौती से यह अनुमान हो रहा है कि मिट्टी का जो काम हुआ है वह सब बह जायेगा और सरकार का करोड़ों रुपया बरबाद हो जायेगा ।

इस योजना के अन्दर राजस्थान में, सारी सड़कें बन गयी हैं । स्कूलों के भवन बन गये हैं । उड़ीसा ऐसे प्रदेश में काफी काम हुआ है । बिहार में गांव तक की योजनायें बन गयी हैं लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है । 2 साल के अन्दर 1.33 मीट्रिक टन इस योजना के अन्दर खर्च किया गया । राजस्थान में 2 लाख टन से ज्यादा पिछले साल खर्च हुआ । अगर उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबू राम वर्मा---]

अनुपात से उत्तर प्रदेश में खर्च किया गया होता तो कम से कम 5-6 लाख टन अनाज खर्च किया गया होता । इस व्यवस्था में कितनी दुर्गति है । मजदूर जो काम करते थे उनको 3-3 महीना तक अनाज नहीं मिल पाता था । जब कि एक अलग विभाग सेक्रेटेरियट आदि हैं और हमारे यहां यह काम ग्रामीण विकास मंत्री को सुपुर्द कर दिया गया है। पंचायत राज डाइरेक्टर इसके आका हैं। वह ऊपर से अनाज की मांग नहीं कर रहे हैं । हमने पता लगाया है एक लाख टन की मांग की गई है जब कि हमें उम्मीद थी कि इस साल कम से कम 5 लाख टन की मांग उत्तर प्रदेश सरकार करेगी और तमाम गांवों में कच्ची सड़कों को सम्पर्क मार्गों द्वारा पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा । हम माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे इस पर जनता सरकार का यह मंत्रि मण्डल गम्भीरतापूर्वक विचार करे और इसके लिए एक अलग विभाग, अलग सचिव, सारे कार्य के लिए जिस ढंग से एक विभाग बनता है, उसी तरह से विभाग बनाया जाय ।

मान्यवर, शिक्षा के सम्बन्ध में इस सदन में बड़ी चर्चायें हुई हैं लेकिन शिक्षा के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति की घोषणा सरकार ने नहीं किया है । इसलिये शिक्षा में स्पष्ट नीति समता और बराबरी की होनी चाहिये और कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक सभी निर्धन और पूंजीपतियों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिये । गांव में प्राइमरी स्कूलों के भवन ध्वस्त हो गये हैं, जूनियर हाई स्कूल के भवन नहीं हैं, बच्चे पेड़ों के नीचे बैठते हैं । उनके लिये टाट पट्टी नहीं हैं और न अध्यापकों के लिए मेज और कुर्सी ही हैं । लेकिन उनके स्थान पर नये-नये विद्यालय गांवों में खुल रहे हैं जिनमें 5-10 रुपये फीस देकर खाते-पीते लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और 90 प्रतिशत गरीब लोगों के बच्चे उन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो जिला परिषदों द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

इसी प्रकार मान्यवर, यह आरक्षण कब तक चलता रहेगा। 30 वर्षों तक हरिजनों का आरक्षण चला लेकिन उनकी कोई तरक्की नहीं हुई। 15 प्रतिशत बैकवर्ड लोगों का आरक्षण है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सम्पूर्ण शिक्षा में समानता नहीं होगी तब तक यह आरक्षण का मामला उठता रहेगा । यदि शिक्षा में समानता नहीं हुई तो आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग होगी और जिसका नतीजा होगा कि देश टुकड़े-टुकड़े में बंट जायेगा । हरिजनों और पिछड़ी जाति की संख्या 80 प्रतिशत है तो उनको इतने प्रतिशत ही रिजर्वेशन होना चाहिये । इससे देश टूटेगा और देश विकास नहीं कर सकेगा । इसलिये शिक्षा में समानता स्थापित करने के लिये सरकार को मैं सुझाव देता हूं और अनुरोध करता हूं कि कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा एक ढंग से हो । अंत में मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और सभी माननीय सदस्य बजट का समर्थन कर ।

*श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि जो बजट है उसमें उर्दू के सम्बन्ध में जो हमारे मुस्लिम इस प्रदेश के निवासी हैं उनके प्रति उर्दू के बारे में बिल्कुल उपेक्षा की गयी है । यही नहीं उत्तर प्रदेश में जो लोग बंटवारे की बात करते हैं और कहते हैं कि बंटवारे से प्रदेश के छोटे-छोटे टुकड़े होने पर इसका विकास होगा मैं इसको नहीं मानता हूं और यह बात उनकी समझ का फेर है । इसके लिये मैं एक मसला कहना चाहता हूं- नाच न आवे आंगन टेढ़--की मसल चरितार्थ होती है । हमारी केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में जब से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आजादी मिली तब से उत्तर प्रदेश में धन कम दिया है और इसीलिये उत्तर प्रदेश में सारा काम कम हुआ है। जो लोग प्रदेश के बंटवारे का नारा देते हैं। मैं उनको जनता पार्टी की ओर से विधान सभा में घोर विरोध करता हूं। इस विधान सभा में जनता पार्टी के हमारे साथी आज हमारे बीच डाक्टर फरीदी यहां नहीं मौजूद हैं। मैंने श्री राज नरायन जी के साथ इस अलीगढ़ काले कानून के बारे में, जो स्वर्गीय डाक्टर फरीदी के नेतृत्व में हुआ, सत्याग्रह किया था और आन्दोलन में भाग लिया था और यह बीड़ा उठाया था कि जनता सरकार में, जो जे0 पी0 की सरकार अर्थात् जय प्रकाश नरायन की सरकार कही जाती है, अगर जरा भी मुस्लिम मजलिस के साथ अन्याय हुआ, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान्यवर, अगर उर्दू को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया तो मैं उसके लिये गली-गली और कूंचे-कूंचे में उसके लिये आन्दोलन करूंगा। यही नहीं अगर मुसलमानों का जरा भी विरोध किया गया या उनकी उपेक्षा की गयी तो मैं उसका घोर विरोध करूंगा।

दूसरी बात, मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गांव की ओर जाने की बात कही। पिछले बजट में, मान्यवर, अन्न के बदले अन्न की योजना बनायी गयी। लेकिन ये जो हमारे अधिकारी बठे हुये हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती, इन्होंने पहले की लड़कों को पूरा नहीं होने दिया। इसके लिए मैं इस माननीय सदन में सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ आन्दोलन करना होगा। तभी ये रास्ते म आ सकते हैं। ये केवल कुर्सी पर ऐंठे रहते हैं और करते कुछ नहीं हैं। ये गांव के लोगों को कभी आगे नहीं देखना चाहते हैं। ये गांव के लोगों को आगे नहीं पीछे देखना चाहते ह।

दूसरी बात, मान्यवर, अपने यहां के स्कूलों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के जितने स्कूल हैं, उनमें एक में भी कहीं टाट-पट्टी नहीं है। मैं कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब जो बैठे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कोआपरेटिव के चेयरमैन हीरालाल को तुरन्त हटाया जाय। जनता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मान्यवर, मेरे यहां जो सरकारी नलकूप बने हैं, अथवा जो ऋण से नलकूप बने हैं, उनमें एक को भी कनेक्शन नहीं दिया गया बिजली का हालांकि ऋण की रिकवरी शुरू हो गयी है। मेरा निवेदन है कि अगर उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया गया होता तो अब तक 50,000 एकड़ के लगभग जमीन सिंचित जमीन हो जाती और कृषि की पैदावार में वृद्धि होती। माननीय उप मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं और उन्हीं के धड़क के माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वह हीरालाल जी को तुरन्त हटा दें वरना मुझे उनके घर के सामने भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। यही नहीं, मैंने जेलों में भी बेड़ियां पहनी है और जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। मेरी विधान सभा के मेम्बरों से निवेदन है कि हमें सच्चे माने में जनता की सेवा करनी है। हमारे पी0 डब्ल्यू0 डी0 मिनिस्टर वहां गये थे। उन्होंने देखा है कि हीरालाल, कोआपरेटिव के अध्यक्ष के खिलाफ कितना रोष लोगों में है। यही नहीं, मैं सभी माननीय सदस्यों के लिये कहना चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्य, जो जनता के हित के लिये चुने गये हैं, अगर उसके लिये काम नहीं करेंगे, तो फिर दुबारा लौटकर यहां नहीं चुनकर आ सकेंगे। मैं ऐसा देखता हूं कि जनता के हित में हमारे अधिकारीगण, जो उधर बैठे हैं, सबसे ज्यादा बाधा डालते हैं। अतः ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अगर आप लोग आन्दोलन करते हैं, तो अपना पूरा सहयोग उसमें देने के लिये तयार हूं।

श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि . . .

श्री रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, ऐसा देखती हूं कि इस सामान्य चर्चा में कुछ लोगों को दो-दो बार मौका दे दिया गया और कुछ को एक बार भी नहीं दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा नहीं है, सूची मेरे सामने है । वह विरोधी दल के हैं उनको भी बोलने दें ।

श्री राम कृष्ण—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बजट भाषण को सुनकर, जो वित्त मंत्री जी ने दिया, मुझे केन्द्र के बजट की याद आ गयी । एक बजट पढ़ा गया तो वहां बड़ा विरोध और शोर-शराबा हुआ । तमाम किसान-मजदूर, हर वर्ग के लोग, जिस पर कराधान भार बढ़ा, सबने शोर शराबा किया । अन्त में केन्द्र में बहुत बड़ा परिवर्तन उस कराधान और बजट में किया गया । दूसरा बजट हमारे प्रदेश में दिघे साहब ने जो पढ़ा है, उसको हमने देखा है, वह तो बिलकुल ही फार्मल है । उसमें कोई बहस की बात नहीं मिल रही है । इन्होंने सारे बजट में जगह-जगह कटौती की है क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता की सभी मंगलमय योजनाओं में बचत ही मुख्य है । हमारे वित्त मन्त्री जी ने हर योजना में कटौती कर दी । कराधान अध्यादेश की भ मार ने हमारे प्रदेश की जनता को बड़ा दुखी बना दिया है । हमारे सारे प्रदेश की जनता आज इस सरकार के गन्दे-गन्दे कानूनों और नियमों से त्रस्त और दुखी हो गई है । इस बिगड़ती हुई स्थिति को आप संभाल नहीं सकते हैं । इनके बजट से लोगों में कोई उत्साह नहीं है । मुझे बड़े अफसोस के साथ इनके बजट का विरोध करना पड़ता है । जो बजट इन्होंने बनाया है, वह प्रदेश की जनता के लिये मंगलमय बजट नहीं है ।

दो बातें मैं और कहना चाहता हूं । पिछले दो साल के अन्दर, जबसे जनता सरकार बनी है, आप कोई भी वस्तु ले लीजिये, हर चीज के मूल्य बढ़े हैं । "बड़ा निकम्मा शासन है डेढ़पाव का राशन है" यह नारा लगाने वाले यहां बैठे हैं । कहते हैं कि किसानों और मजदूरों को हमारी सरकार देखती है । बीड़ी पर टैक्स लगाने का क्या अर्थ है ? बीड़ी कौन पीता है ? चरस पीने वालों पर टैक्स लगाओ । मैंने जौनपुर में किसानों को देखा कि डीजल के लिए कनस्तर लेकर घूम रहे हैं, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है . . . .

श्री अधिष्ठाता—

अपने प्रान्त के बजट पर बोलिये, केन्द्रीय बजट पर मत बोलिये ।

श्री राम कृष्ण—

जो मेरी समझ में आ रहा है, वह बोल रहा हूं । कौन सी सहूलियत बजट में आपने रखी है । आप दुकान में जाइये, कीमत बताता है कि इतनी कीमत है और इतना सेल्स टैक्स है । तो मैं इस बात से इस सदन को अवगत करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि इस बढ़ती हुई महंगाई, जो कमर तोड़ रही है, दो साल के अन्दर हर चीज के दामों में ड्योढ़ापन आया है, इसको रोकने के लिये कोई प्राविधान आपके बजट में है ? अब लगन आ गई है, गांव के लोग दुखी हैं लेकिन मजबूर हैं, कुछ चीनी वाला ले लेता है, कुछ घी वाला ले लेता है, इस तरह से लूट खसोट मची हुई है। आप देखें कि डालडा क्यों महंगा हो गया है ? आभूषणों के बारे में हमारी माननीय सदस्य ने बताया। सोना बेच दिया गया। गांव का आदमी जब दिवालिया होने वाला होता है तो वह अपना सब गहना बेचकर काम चलाता है, आज हमारी सरकार की वही हालत है। सारा सोना बेच दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह से जो प्रणाली प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही है, वह बहुत ही चिन्तनीय है प्रदेश के लिये। मैं अपने जिले के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। हमारे जिले में बहुत से चिकित्सालय बनाये थे, कुछ एलोपैथिक चिकित्सालय हैं, 9 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं है दो साल से। दो-दो कम्पाउन्डर हैं, स्वीपर हैं, लेकिन डाक्टर कोई नहीं है। दवाइयों का वितरण करने वाला कोई नहीं है। पता नहीं दवाइयों का वितरण कैसे होता है। यह शासन प्रणाली इस सरकार की है।

मेरे क्षेत्र के अन्दर तुषार पड़ा, सारी फसल नीचे धंस गयी, उसके दाने छलनी से बिने गये। हमने डी० एम० से कहा, उन्होंने पत्र लिखा लेकिन उस पत्र का उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ। मालूम नहीं शासन उस पर क्या विचार कर रहा है। सरकार को उस पर विचार करना चाहिये इस प्रकार आप देखते हैं कि सरकार के पास कोई समय नहीं है कि बैठ कर प्रदेश की योजनाओं के बारे में विचार कर सकें। वह तो घटकवाद पर, कांग्रेसियों के बारे में, विचार करने में लगी है। बजट बड़े सोच विचार कर के मन्त्री जी ने बनाया है लेकिन इसमें कोई तत्व नहीं है। हर बजट में घटौती कर दी गयी है।

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि बजट में संशोधन लाकर के प्रदेश के हित में बजट तैयार करे।

*श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, बजट की सामान्य चर्चा पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रदेश या देश का बजट जब तैयार होता है तो उस वक्त बजट तैयार करने वाले वित्त मन्त्री और सम्बन्धित अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि यह ध्यान में रखे कि देश और प्रदेश की क्या-क्या समस्यायें हैं। और उन समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुये बजट मे प्राविधान करे, ऐसा मेरा ख्याल है।

अधिष्ठाता महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि दो अरब रुपये का गल्ला विदेशों से आता था और हमारे देश के लोग उसे ग्रहण करते थे, सिंचाई और बिजली की सुविधा होने से किसानों की हालत सुधरी और हम भारत के किसानों की बदौलत गल्ले के मामले में आत्मनिर्भर हो गये। साथ ही मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि जहां हम गल्ले के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर हो गये हैं वहीं हमारी बेकारी बढ़ी है। यह एक प्रबल समस्या हमारे देश और प्रदेश की है। मैं देख रहा हूं कि हजारों, लाखों, करोड़ों हमारे देश के पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे लोग बेकार हैं। इसमें सरकार बजट को बनाते समय यह निश्चित करना चाहिये था कि इन लोगों के लिये भी हम बजट में प्राविधान करें। उनको फैक्टरीज में काम दें, लघु उद्योग के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंजी प्रसाद---]

माध्यम से ही, कुटीर उद्योग के द्वारा ही इन को काम दें। इससे बेकारी की समस्या का समाधान होता। कुछ अन्तोदय या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से इस बजट में प्रावधान है, कुछ लोगों को काम मिलेगा।

अधिष्ठाता महोदय, जहां हम देख रहे हैं कि बेकारी की इतनी बड़ी समस्या है वहीं दाल में नमक के बराबर हम कुछ लोगों को काम देंगे इससे बेकारी की समस्या का समाधान नहीं होगा। बजट बनाते वक्त हमको साफ तौर पर यह देखना होगा कि रुपये खर्च करने से अगर मुल्क में बेकारी की समस्या का समाधान होगा तो हम उसे खर्च करें क्योंकि बेकारी की समस्या खाद्यान्न की समस्या से बहुत बड़ा है। चाहे चौधरी साहब केन्द्र में वित्त मन्त्री हों अथवा सिंघे जी प्रदेश में वित्त मन्त्री हों जब तक इस बेकारी की समस्या का वह समाधान नहीं करेंगे जनता पार्टी की सरकार जिस सफलता का दावा करती है वह सफलता न मिल कर वह अपने ऊपर कलंक का टीका ही लगवायेगी।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को भी रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक लाल बहादुर बालिका इंटर कालेज है। मैंने तथा मेरे साथ के तीन चार विधायकों ने यह निवेदन किया था कि उस कालेज में बड़ी अनियमितता है, वहां साधिकार नियन्त्रक बिठाया जाय लेकिन सरकार ने उस पर अब तक कोई विचार नहीं किया। दूसरी समस्या पेय जल की है। आज तक जहां गांव वालों को इस गर्मी में शुद्ध पेय जल नहीं मिल पा रहा है। फैक्टरीज प्राइवेट तथा सरकारी दोनों क्षेत्र में लगी हैं। उन फैक्टरीज में किसानों की जमीन गयी और बाहर के आदमी भरती किये जा रहे हैं, स्थानीय लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है। मेरा अनुरोध है कि यह आदेश दिये जायेंगे कि बाहरी आदमी तभी रखें जायं अगर उस योग्यता के आदमी उस क्षेत्र में न मिल सकें। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। चकिया रामनगर रोड को मिलाने के लिये मेरा सुझाव है कि नियामताबाद से मठठन गांव में मिर्जापुर से सटा हुआ जो बाइनर है उस सड़क को पक्का करा दिया जाय तो मुगलसराय मार्ग से वह मिल जायगा और आने जाने की सुविधा हो जायगी और कस्बे तक पहुंच कर वहां के लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। मेरे इलाके में बिजली की भी समस्या है। हरिजन बस्तियों में बिजलीकरण की जो योजना बनाई है। मेरा अनुरोध है जहां बिजली की लाइन नजदीक हो वहां बिजली की लाइन की व्यवस्था की जाय। जनता पार्टी की सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह सत्य के आधार पर सस्ता तथा शीघ्र न्याय दिलायेगी। मेरा शासन से अनुरोध है कि वह इस अपने उसूल पर अटल रहे और सस्ता तथा शीघ्र न्याय दिलाने में जो ढीलापन है उसे दूर करे। इसके अलावा सूबे में जो पुलिस है और इसमें जो जुर्म समाप्त करने का अभियान चल रहा है यह काम बहुत अच्छा है कि डकैत मारे जा रहे हैं लेकिन साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि अब आपके पास कानून और प्रशासन का ढांचा है। यह कह कर कि अमुक आदमी अपने गिरोह के साथ फलां जगह पर डाका डालने की कोशिश कर रहा था लिहाजा उसको मार दिया गया। इस तरह से किसी की हत्या की जाय, यह अनुचित है। उसके लिये अदालतें बनी हुई हैं। आप अदालत में जा सकते हैं। जानवरों की तरह उसका वध कर देना क्या स्वच्छ प्रशासन का कर्तव्य है?

अधिष्ठाता जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे किसानों का गल्ले का मूल्य निर्धारित करते समय जो भारत सरकार या प्रान्तीय सरकार का निश्चित भाव है वह फैक्ट्रियों में बने हुये सामानों की तुलना में अधिक होता है। किसानों के भावों को देखते हुये फैक्ट्रियों के भावों में कमी की जाय और यदि कमी न कर सकें तो गल्ले के भाव बढ़ाये जांय। आज के गेहूं चावल के भाव से किसानों को इतना पैसा प्राप्त नहीं होता है कि वह अपना गल्ला बाहर बेच सके। इन शब्दों के साथ में वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, आपने जो मुझे वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का पूर्णतया समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ में उसके सम्बन्ध में कुछ अपनी राय भी प्रकट करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने 2 वर्ष के समय में जन सम्पर्क मार्गों को मिलाकर जो जनता को राहत पहुंचाई है उसके लिये आप जनता के आभारी हैं लेकिन अब तक जो जनसंपक मार्ग बने हैं उनको अगर पक्का न किया गया तो जो श्रेय आपने इन्हें बनाने में लिया है वह रह जायेगा। इसके साथ ही इन मार्गों के अलावा इनमें पुलिया भी बनानी जरूरी हैं अन्यथा जो सरकारी पैसा इसमें खर्च किया गया है, वह बरबाद हो जायेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन कच्ची सड़कों को, पुलियों को पक्का करके ठीक-ठीक करवा लें। हमारा मैनपुरी जनपद 22 पिछड़े जनपदों में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वहां शिकावा जो क्षेत्र है वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर अगर सड़कें नहीं बनेगी तो वहां पर डाकुओं की समस्या, क्राइम्स की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अतः आपसे निवेदन है कि वहां पर मार्ग बनाये जांय। वहां पर एक जगह शिकोहाबाद है जहां पर 20 वर्षों से प्रयास हो रहा है कि वहां पर एक पुलिया बनायी जाय। हमारे मन्त्री जी भी वहां मौके पर गये थे, और भी मन्त्री गये थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि वहां पुल बनना जरूरी है किन्तु अभी तक उस सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं हुई है। बजट में भी उसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यहां पर एक कच्चा पुल है उसको पक्का करने की बात थी। यह पुल बरसात में टूट जाता है और 6 महीने तक आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। इसके बन जाने से नैनीताल से बम्बई रूट एक रूट हो जायेगा सबसे प्रधान रूट यह होगा। मैंने पिछले बजट में भी कहा था उससे पहले भी कहा था लेकिन उसके लिए इस बजट में भी प्राविधान नहीं है यह बड़ी भारी ना उमीदी जान कर हो रही है। इसलिय इसको प्राथमिकता देकर बनाया जाये। यहां पर एक बड़ा मेला लगता है जिसमें नौदर्न इंडिया के सभी जगहों से लोग आते हैं। इसलिये मेहरबानी करके इसको बनने के लिये बजट में प्रावधान करें जिससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

आपने इस बजट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। शिक्षा के लिये डेढ़ किलोमीटर में प्राइमरी पाठशालायें और तीन किलोमीटर में जूनियर हाई स्कूल खोलने की बात की है। चाहे आप कितने ही हाई स्कूल खोल दे जब तक बच्चों के बैठने के लिय टाट पट्टी का प्रबन्ध नहीं होगा, इमारतों का प्रबन्ध नहीं होगा और शिक्षकों का प्रबन्ध नहीं होगा कोई फायदा नहीं होने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगा सहाय यादव---]

वाला है । मेरे क्षेत्र में कम से कम तीन पाठशालायें ऐसी हैं जिनमें किसी में एक अध्यापक है और किसी में अध्यापक भी नहीं हैं । डी० आई०, एस० डी० आई० या ए० डी० आई० जो हैं वह लालच में आकर जिसको चाहते हैं स्थानान्तरित कर देते हैं नतीजा यह होता है कि कहीं पर तो 6-6 अध्यापक हैं और कहीं पर जहां जरूरत है एक भी अध्यापक नहीं हैं । इसके बारे में मैं शिक्षा मन्त्री जी को लिखित भी दे चुका हूं लेकिन अध्यापक नहीं भेजे गये । जिले के जो अधिकारी हैं वह भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता है । डी० आई० ओ० एस० और एस० डी० आई० वगैरह रिश्वत लेकर ट्रांसफर करते रहते हैं । मेरा निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को खतम किया जाय ।

पिछले दिनों बाढ़ के समय जो सरकार ने काम किया उसके लिए जनता आभारी है । इसमें कोई शक नहीं पिछले शासन में जब-जब बाढ़ आई इतना काम नहीं हुआ जितना इस समय अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया । वह सब लोग बधाई के पात्र हैं । लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जो टूटे हैं, उनको वह लोग बना नहीं पाये हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं । जमीनों में रेत भर गया है उनके लिये कोई कार्य किया जाय जिससे उनको राहत मिल जाय । सौ-दो सौ रुपये मकानों के लिए दिये गये थे वह नाम-मात्र के लिए है उसमें भी किसी को मिला या किसी को नहीं मिलाना इसलिये जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत पहुंचाई जाय जिससे वह अपने बच्चों का पालन कर सकें ।

एक और समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह बिजली की है । सरकार ने जनता को राहत देने के लिये सरकारी नलकूप लगाये लेकिन उनमें कनैक्सन नहीं है । मेरे क्षेत्र में जो सरकारी नलकूप है उनको बने दो साल हो गये लेकिन बिजली का कनैक्सन उनको नहीं मिला कनैक्शन किस को दिया जाता है जो प्राईवेट ट्यूबवेल वाले हैं जो कुछ दे देते हैं उनको कनैक्शन मिल जाता है लेकिन सरकारी ट्यूबवेलों की कोई परवाह नहीं करता है । इस वक्त बिजली मन्त्री जी बैठे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनका वहां से मुह काला करें जो पहले के मन्त्री थे उनसे भी मैंने कहा था उन्होंने ट्रांसफर भी किये लेकिन वह किसी न किसी से सिफारिश करा लेते हैं और उनका ट्रान्सफर रोक दिया गया । अगर आप जनता का कल्याण चाहते हैं तो उनको बिलकुल हटा दीजिये और जो कुछ अच्छे अधिकारी हैं उससे ही काम लीजिये इससे जनता को राहत मिलेगी ।

श्री अधिष्ठाता---

आप समाप्त करें ।

श्री गंगा सहय यादव---

आप अंत्योदय स्कीम चला रहे हैं । यह बड़ी अच्छी स्कीम है अगर यह अच्छी तरह से चलाई गई तो जनता के लिए लाभप्रद होगी । यदि अधिकारियों पर ही छोड़ दिया तो इससे फायदा होने वाला नहीं है और जो सबसे गरीब आदमी है उसको फायदा नहीं होगा जो मोटे-मोटे आदमी हैं उन्हीं को लाभ होगा इसलिये अधिकारियों से कहें कि जो जरूरतमन्द हैं उन्हीं को सहायता दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें ।

श्री गंगा सहाय यादव--

हमारे यहां थानों के लिए सड़क और टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हम लोग एस० ओ० या पुलिस अधिकारियों से कोई सम्पर्क नहीं कर पाते हैं । इसके लिए कई बार लिखा है, कप्तान महोदय ने भी लिखा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई फंड नहीं मिला है, अतः वह अति आवश्यक कार्य भी नहीं हो सका है । अतः सम्पर्क मार्गों को बनवाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती रामरति देवी--

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत मौजूदा बजट, हमारी जनता सरकार की कार्य कुशलता का परिचायक है । सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में जो विकास कार्य किये गये हैं, जनता की सुविधा के लिए जो कदम उठाए गये हैं, वह सचमुच में बड़े सराहनीय हैं । इस बजट में बहुत कुछ कदम इस प्रकार के उठाये गये हैं, जिससे जिलों में और प्रदेश के कोने-कोने में प्रसन्नता व्याप्त है । मिसाल के तौर पर मैं अपने जिले की कुछ बातें कहना चाहती हूं । हमारे फैजाबाद जिले में जो अयोध्या में देश स्तर का विशाल मेला सदियों से लगता आ रहा है, जिसके सम्बन्ध में पिछली सरकार ने 30 वर्षों में यात्रियों की सुविधा के लिए कोई कदम नहीं उठाये थ । इस वर्ष बजट में जो सुविधा वहां के मेला में पेय जल की है जिसमें 1 लाख 50 हजार का बजट रखा गया है, इस बात को देख कर हमारे जिले में काफी प्रसन्नता है । इसी तरह से हमारे जिले में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से टांडा तहसील जो फैजाबाद जिले में है थरमल पावर स्टेशन खोलने का कार्य सराहनीय है । तीस वर्ष में भी हमारे जिले में इस तरह का कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया जब कि हमारे उस जिले के दो-दो मंत्री केबिनेट स्तर के रहे । जनता में इन बातों को सुनकर काफी प्रसन्नता है ।

मान्यवर, हमारे इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हैं । मैं उनका ध्यान उनके विभाग की तरफ ले जाना चाहती हूं । पिछली सरकार की जो नीति रही, शिक्षा की कुछ माने में हमारी भी सरकार पिछली सरकार की उन नीतियों का अनुसरण कर रही है जैसा कि अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जिला परिषद् के विद्यालयों की दुर्दशा का चित्रण किया है । मान्यवर, एक तरफ तो हमारे जिला परिषद् के विद्यालयों की यह दुर्दशा । दूसरी तरफ प्राइमरी पाठशालाओं, जो अधिक महंगे खर्च पर पूंजीपतियों द्वारा चलायी जा रही हैं इस तरह से हमारे दो तरह के नागरिकों का उत्पादन किया जा रहा है । यह सचमुच में अच्छा कदम नहीं है । कम से कम हमारी सरकार, जो पिछली सरकार ने भूल किया है, जो अमीर-गरीब की खाई को बढ़ाया है, हमारी जनता सरकार इस तरफ निगाह डाले और जो पुरानी सरकार की नीतियां हैं उनको फेंके । हमारी जनता सरकार से प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी आशाएं हैं । इसलिए हमारी जो दोहरी नीति इस देश के नागरिक पैदा करने के लिए चलायी जा रही है, इस दिशा में हमारे शिक्षा मंत्री जी अवश्य सुधार करें ताकि देश में जो समाजवाद की नारा हमारी सरकार दे रही है वह नारा पिछली सरकार की तरह न हो, जिसमें समाजवाद का नारा तो आया लेकिन उसमे कोई परिवर्तन कार्य रूप में नहीं किया गया ।

माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान मैं विश्वविद्यालय की शिक्षा की तरफ भी थोड़ा दिलाना चाहती हूं । मान्यवर, इस बात को सुनकर जो समाचारपत्रों में हमने पढ़ा, बड़ी प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय स्तर में वही बच्चे पढ़ें जो मेधावी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती रामरति देवी--]

हों, कुशाग्र बुद्धि के हों । ऐसे ही लड़कों को शिक्षा दी जानी चाहिए । लेकिन इसमें मेरा अपना सुझाव है कि ऐसी संस्थाओं में जहां इतने अनुपात में अन्य बच्चे शिक्षा पा रहे हैं हरिजन और पिछड़ी जाति के बच्चे, और विशेषकर हरिजनों के बच्चों का अनुपात नहीं के बराबर है, मेरा सुझाव यह है कि विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम में थोड़ा संशोधन किया जाय और उस संशोधन के माध्यम से उसमें इस तरह का सुझाव रखा जाय कि जितने हरिजन बच्चे उसमें प्रवेशार्थी हों, उन्हीं संख्या में, अनुपात के आधार पर उनको प्रवेश दिलाया जाय ।

मैं एक सुझाव इस सरकार को और देना चाहती हूं । पिछले बजट वर्ष में हमारी सरकार ने, जो शिक्षा के विषय में एक अपना सुझाव दिया था इस चीज को मान लिया था । यह पुरानी मांग कांग्रेस के समय से रही कि जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, और असरकारी हैं उसमें हरिजन अध्यापकों को आरक्षण दिया जाय । यह सुनकर प्रसन्नता हुई । लेकिन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति समिति की जो रिपोर्ट है उसमें आये दिन जो चर्चाएं आ रही हैं उसमें जी० ओ० जहां का तहां कागज पर पहुंच कर पड़ा है । उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । मैं चाहूंगी कि यथाशीघ्र परिवर्तन लाया जाये । मेरी जनता की सरकार है लेकिन इस जी० ओ० का प्रचार और प्रसार नहीं किया गया है और इसके आदेश भी नहीं भेजे गये हैं । हमारे शिक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान दें जिससे हरिजन विद्यार्थियों में जो निराशा छायी है वह समाप्त हो सके और जो वह मारे-मारे फिरते हैं तो उनको रोजगार मिल सके । हमारी सरकार अभी हाल ही में बनी है और इससे हमारी जनता को बड़ी-बड़ी आशायें हैं । जनता पार्टी की सरकार ने एक एलान किया कि पिछड़े वर्ग को 15 प्रतिशत का आरक्षण सरकारी नौकरियों और छ त्रवृतियों में दिया जायेगा । हमें इस की आपत्ति न थी और न हो । लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हरिजनों के लिए आरक्षण बहुत पहले से है लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए इतनी जल्दी पालन किया गया है उतनी जल्दी हरिजनों से सम्बन्धित कार्यों में नहीं किया गया है । इस बारे में मैं एक मिसाल अपने जिले को देना चाहती हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्रीमती रामरति देवी--

मैं बहुत दिनों के बाद बोली हूं मुझे कुछ और समय दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता--

जल्दी समाप्त कीजिये ।

श्रीमती रामरति देवी--

हमारे यहां पर एक कृषि अधिकारी का कार्यालय है । वहां पर सहायक कृषि अधिकारियों की संख्या 21 है जिसमें 7 बैकवर्ड, 1 हरिजन हैं, सहायक कृषि निरीक्षक की संख्या 70 है जिसमें 2 बैकवर्ड और 2 हरिजन हैं, बाबू तबके में 24 लोग बैकवर्ड के हैं और 3 हरिजन के हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में 148 लोग हैं जिसमें 41 बैकवर्ड और 20 हरिजन हैं । यह आंकड़े मैंने केवल एक दफ्तर के बताये हैं । कितनी जल्दी इस दिशा में कदम उठाया गया है । एक तरफ तो यह प्रसन्नता की बात है कि पिछड़े वर्ग को यह दर्जा मिला लेकिन दूसरी ओर हरिजनों को आरक्षण न मिलने से निराशा होती है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें ।

श्रीमती रामरति देवी—

मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रही हूं । थोड़ा सा समय दे दीजिए । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान समाज एवं हरिजन विभाग की ओर ले जाना चाहती हूं । पहले यह दो विभाग थे लेकिन अब इनको एक में मिला दिया गया है । मुझे यह जानकारी हुई है कि बजट से लगभग १ लाख रुपया महिला जन सभाओं पर खर्च किया गया है । दो वर्ष पहले जो गरीब और निराश्रित महिलायें होती थी उनको पेंशन देने की व्यवस्था थी लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है । इससे उनकी रोजी–रोटी को ठेस पहुंची है । महिलाओं की जन सभाओं पर जो रुपया खर्च किया जाता है उसको समाप्त किया जाये और उनको पेंशन देने की व्यवस्था की जाये । दोनों विभाग एक में होने से यह होता है कि जब हरिजन विभाग को मद में रुपया खर्च होने वाला होता है और जब वह उसमें खर्च नहीं हो पाता है तो समाज कल्याण विभाग में खर्च कर दिया जाता है । अन्त में एक बात यह कहना चाहती हूं कि जिलों में विभाग के अधिकारियों के पास एक–एक जीप दी जानी चाहिये जिससे कि वे गरीबों तक पहुंच सकें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त, कृपया बैठें ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और उसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जो आंकलन किया गया है, पिछले वर्षों का और आने वाले वर्षों, का उसको देख कर कोई भी उसका समर्थन करने का साहस नहीं कर सकता। जिस दर्पण से माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को देखा है, उसी दर्पण से अब तक की सरकार देखती रही है अभी माननीय रामरती देवी ने भी उसी दर्पण से से देखा है, जब यह कांग्रेसी लोग उधर बैठा करते थे तो वे भी इसी दर्पण से उसे देखा करते थे, इसलिये उन सब को इसमे दोष नजर नहीं आता था। इसमें माननीय दिघे जी का कोई दोष नहीं है, दोष तो इस कुर्सी का है । उन्हें भी इधर ही एक दिन आना पड़ेगा । इस प्रदेश की जो 80 प्रतिशत जनता खेती करती है उसका कोई जिक्र इस बजट में नहीं है । आज 20 प्रतिशत लोग इन 80 प्रतिशत खेती करने वालों पर हावी हैं । जो कभी जमीन को छूते नहीं मिट्टी उनके हाथों में कभी लगती नहीं धूप में कभी वे खड़ नहीं हो सकते, ऐसे लोगों के नाम से जमीन है और जो वास्तव में मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, उसके नाम आज भी जमीन नहीं है । यह दोष पूंजीवादी व्यवस्था का ही है। वही स्थिति है कि जिस तरह मालिक बकरे को पहले खूब खिलापिला कर तैयार करता है, फिर वह उसी को खाता है ।

किसान से कहा जाता है कि तुम उत्पादन बढ़ाओ, जब वह उत्पादन बढ़ाता है तो उसे अपने अनाज की कीमत पहले से भी कम मिलती है । 1976–77 में

(इस समय 4 बज कर 28 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए ।)

290 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ तब गेहूं का भाव 165 रुपये क्विन्टल था, आज उत्पादन 315 लाख मैट्रिक टन हो गया तो उसका भाव 115 रुपये है । जब किसान को उसके उत्पादन का ही उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो कैसे उसका विकास हो सकेगा । इन आंकड़ों से गरीब किसान का विकास होने वाला नहीं है । आमदनी आज किसकी हो रही है, इस देश के पूंजीपति की हो रही है । गरीब किसान को कुछ नहीं मिल रहा है । हम प्रति वर्ष आमदनी बढ़ाते हैं इन किताबों

[श्री मित्र सेन--]

में, हमको आश्वासन दे रहे हैं। गांवों में सड़कें बना रहे हैं, नहरें, नालियां, ट्यूब वेल बना रहे हैं, बिजली चमका रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वह उसी तरह से बन रही हैं जैसे किसी बैंक पर चपरासी खड़ा हो तथा दिन भर चपरासी अपनी ड्यूटी करेगा बैंक में, लेकिन वह चपरासी के हाथ में कुछ नहीं लग सकता। तो उसी प्रकार से जो उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उसका लाभ हमें नहीं हो रहा है। इस प्रदेश की जनता जो उत्पादन कर रही है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक उसके उत्पादन का लाभ उसको नहीं मिलेगा, तब तक इस पूंजीवादी व्यवस्था में लाख संशोधन देते रहें, तब तक गांव के लोगों की तरक्की नहीं हो सकती और वह विकास आप नहीं स्थापित कर सकते हैं। आपकी समझ गलत है।

आप सही तरीके से सोचें मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आज हमारे प्रदेश के जितने बैंक हैं, एक भी बैंक का जो मुख्य कार्यालय है, वह उत्तर प्रदेश में नहीं है। सारे बैंकों में जो उत्तर प्रदेश की हमारी पूंजी लगी हुई है, सरकार के जो माननीय मंत्रीगण बैठे हुए हैं, एक भी मंत्री बता दे कि कितना पैसा हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयोग होता है। 46 प्रतिशत पैसा हमारा उत्तर प्रदेश में प्रयोग होता है बाकी बाहर प्रयोग होता है। यह हमारे प्रदेश की स्थिति है, जहां की विकास की चर्चा ये कर रहे हैं। प्रदेश के अन्दर स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है कि जो छोटी-मोटी घटनाएं, जो हमारे मंत्रीगण पेश कर रहे हैं वह तो मिली जुली-भगत से है। इनके जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। यह भी अनुभव करते हैं कि पब्लिक को क्या परेशानी है जितनी भी योजनाएं इनकी आ रही हैं, उसका शिकार कौन हो रहा है, उससे लाभान्वित कौन हो रहा है। यह सब इनको विदित है। आखिर उसका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है। यह तो अपन को बहुत बड़ा डाक्टर मान कर आये हैं कि गांव की गरीबी हम दूर करेंगे। अगर कुर्सी पर बैठ कर इनकी आंख के चश्में दूसरे हो गये हैं, तो वह चश्में उत्तर जायेंगे, वह जनता जो गांवों में बैठी है, वह उतार देगी। इस प्रकार से इस समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत इस प्रदेश की जनता का कल्याण कभी नहीं हो सकता।

मान्यवर, कभी शेर की बलि नहीं चढ़ाई जाती। जो बहादुर होते हैं, वह कभी नहीं मारे जाते। हमेशा बकरे की बलि हुआ करती है। तो बकरे जैसा किसान अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर लड़ नहीं सकता। तो उसी की बलि यह सरकार चढ़ा रही है। मैं तो निवेदन करता हूं कि इस बजट को यह सरकार वापस ले ले, कोई दूसरा बजट ले आवे। हमारे यादव जी को यह सब सोचना चाहिए। यह तो उस गांव से, उस घर से आये हैं, जो कि जानते हैं कि जनता कितनी पीड़ित है। जो गांव की 75 प्रतिशत जनता के रिप्रजेंटेटिव हैं, वह इस बजट को समर्थन करने म अपनी असमर्थता प्रकट करेंगे।

श्री भीषम (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं यह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सरकार से जनता में काफी विश्वास पैदा हुआ है। जनता समझती है कि यह सरकार गांवों की तरफ आ रही है। जैसा कि आपका अन्त्योदय कार्यक्रम है, बहुत उत्तम कार्यक्रम है, लेकिन अधिकारी इसको फेल करने में लगे हुए हैं। शिक्षा में भी काफी परिवर्तन हुए हैं। प्राविधिक शिक्षा, जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा जिस ढंग से इस साल हुई हैं उससे लगता है कि कुछ सुधार होगा। मुझे मालूम हुआ है कि सन् 74 में जितने बी० टी० सी० पास थे, 1974 से 1976 तक कोई भी काम नहीं पाये

थे लेकिन जनता सरकार ने काफी प्रयास किये जिससे काफी लोग बेकार हुए हैं । जो आपके कार्यक्रम हैं सड़कों, ट्यूबवेल आदि के, इससे लोगों में बड़ा विश्वास था लेकिन वित्तमंत्री के इस बजट से थोड़ा सा अविश्वास हो रहा है ।

अब मैं इस बात पर जाता हूं । देखने में छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी । मेरे इलाके में मल्लाह लोग हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं, जो जमीन थी वह गंगा में बह गयी, जीवनयापन मछली मारने का था, कांग्रेस के जमाने से ही बड़े-बड़े ताल जो मछली मारने के लिए थे, बड़े-बड़े लोगों ने ले लिये, अब ये बेकार हो गये हैं । इसी तरह से एक कौम है राजभर, इनके पूर्वजों के किले अब भी मौजूद हैं लेकिन वे परिस्थितियों के कारण जंगलों म चले गये और जंगल में लकड़ी काट कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं । मान्यवर, मैं उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में जो ऐसे लोग हैं जो बरबाद हो गय हैं, उनको छोटे उद्योगों के माध्यम से राहत दें । इसी तरह की हालत नीरा के सम्बन्ध में है । बड़ी उदार नीति अपनायी है । जो बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार देने में समर्थ हुए हैं । लेकिन श्रीमन्, बस्ती, गोरखपुर के आबकारी अधिकारी जो थे वे 2-3 वर्षों से हैं, काफी भ्रष्ट हो चुके हैं और इस समय व्यापारियों के साथ जो सलूक किया है बहुत अमानुषिक है । उन्होंने डंडे से मार-मार कर रुपया वसूल किया है । ऐसे अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए और पश्चिमी जिलों में जहां नशाबन्दी है वहां इन इन्सपेक्टरों तथा अधिकारियों को भेजा जाए ।

मैं अपने क्षेत्र की समस्या के सम्बन्ध में कहूंगा । मेरा क्षेत्र 1962 से कांग्रेस विरोधी रहा यानी 16-17 साल हो गए । इससे स्पष्ट है कि उसकी प्रगति क्या होगी । इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । श्रीमन्, घंघटा-बिड़हर, नाथनगर काली, गोहरैया कुरी सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं जिसके कारण लगभग 200 गांवों में बरसात में निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और बड़ी मुसीबतों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ता है । इसी तरह से कुवानो नदी पर सिकरीगंज का पुल बन जाय तो पटना और फैजाबाद का 500 कि०मीटर का रास्ता साफ हो जायगा और रोजगार के साधन बढ़ जायेंगे । इसी तरह से ट्यूबवेलों की संख्या हमारे यहां बहुत कम है । मैंने बताया कि सन् 1962 से हमारा यह क्षेत्र कांग्रेस विरोधी रहा है जिससे ट्यूबवेल बहुत कम लगे हैं । वहां पर ट्यूबवेलों की संख्या बढ़ायी जाय । वहां पर बहुत गरीबी है । इसके अलावा घाघरा के किनारे एक बन्धा 11 फीट ऊंचा बन रहा है । इस बंधे के बीच में 29 गांव पड़ते हैं जो इसके कारण बरसात में डूब जायेंगे और वहां के निवासियों को बचाना दुर्लभ हो जायगा । ऐसी स्थिति में वहां के लोगों को बंधे से बाहर बसाने की योजना होनी चाहिए वरना बरसात में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, इन गांवों की जनसंख्या भी काफी है ।

अब मैं थोड़ा सा विकास अधिकारियों की तरफ से ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां महुली में दो ग्राम सेवक हैं, उनके नाम मुझे नहीं याद हैं । यह लोग अंत्योदयी परिवार से 5 सौ रुपया फी परिवार ले रहे हैं इनके साथ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए । अंत्योदयी परिवार को सुविधानुसार रुपया मिलना चाहिए । अब मैं शिक्षा मंत्री से शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । गांवों में जो लड़के कक्षा 8 या 10 पास बेकार हैं तो उनके लिए गांवों में ऐसी पाठ-शालायें खोलें जहां उनको छोटे-मोटे धंधों आदि के सम्बन्ध में टेक्निकल एवं कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा दी जाय ताकि वह जो बेकार पड़े हैं और उपद्रवी बने हुए हैं भविष्य में उपद्रव न करें और उनको रोजगार मिल सके । साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती नहीं है, इनके जीवन निर्वाह का साधन नहीं है तो इनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाय जिससे इनको रास्ता मिल सके ।

[श्री भीषम—]

शिक्षा के बारे में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि शिक्षा में विषमता नहीं होनी चाहिए। अभी बाबू राम वर्मा बोल रहे थे कि शिक्षा में विषमता पैदा करके देश में समाज में बहुत बड़ी विषमता पैदा की जा रही है। गरीब लड़के प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ते हैं वहां पर न भवन है, न कुर्सी मेज है न अध्यापकों के रहने का स्थान है, इसी तरह से जूनियर हाई स्कूलों की दशा है। दूसरी तरफ बड़े लोग काफी रुपया देकर अपने लड़कों को शिक्षा दे रहे हैं तो इस तरह से शिक्षा में विषमता नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका एक मिनट और रह गया है।

श्री भीषम—

इसी के साथ मैं वित्त मंत्री जी के वित्तीय भाषण का समर्थन करता हूं।

*श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते, संसदीय परम्पराओं को मानने के नाते जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट का मैं समर्थन करता हूं। यह बजट एक रुटीन बजट है इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखायी देती है जिससे कोई बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो जायगा। माननीय वित्त मंत्री का जो व्यवहार इस सदन में है वस्तुतः उससे भी मालूम होता है कि उन्होंने इसको भी रुटीन बजट मान लिया है क्योंकि वह कल पूरे दिन अनुपस्थित रहे और आज थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाए थे। उपाध्यक्ष महोदय, इस रुटीन बजट से विकास एक क्रम से चलता रहेगा हालांकि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो खर्चा होता है वह कहीं पूरे साल को मिलाकर भी अधिक खर्चा हो जाता है। इसका मतलब पूरे साल का जो खर्चा होता है वह संतुलित नहीं होता है और इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए आप रोटीन बजट को कार्यान्वित करने में मंत्रिमंडल प्रयत्न करे कि जैसे ही बजट पास हो वैसे ही योजनायें कार्यान्वित होना शुरू हो जाय।

मान्यवर, इस बजट में मुझे एक बात पसन्द आयी है। जब से मैं विधान सभा में आया हूं तब से मुझे सम्बन्धित विषयों पर बोलने का मौका मिला है तो मैंने कहा है कि शिक्षा में उपकर अवश्य लगाएं, शिक्षा सेस लगाएं ताकि इससे शिक्षा का विकास हो सके। विकसित देशों में भी देखा गया है कि शिक्षा पर यदि समाज का एक रुपया भी खर्च हुआ तो शिक्षित युवक जब काम करने योग्य हुआ तो उसका आठ गुना समाज को लाभ मिला। इसलिए शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च वस्तुतः इन्वेस्टमेन्ट होता है। सरकार ने 15 करोड़ रुपए सेस लगाने का जो प्राविधान किया है उसमें यदि पूरे शिक्षा के खर्च को देखें तो यह बहुत अच्छी शुरुआत है। प्रदेश में 72 हजार प्राइमरी स्कूल हैं। यदि इनके भवन बढ़ाना शुरू करें तो 15 करोड़ रुपए से साढ़े सात हजार भवन बन सकते हैं। कहीं ऐसे प्राइमरी स्कूलों के भवन नहीं बने मुझे दिखाई देते जहां बच्चे पढ़ सकें। कहीं टाट-पट्टी नहीं हैं, कुर्सी-मेज नहीं हैं और न पढ़ाई का सामान ही है। इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस पैसे को टाट-पट्टी, कुर्सी-मेज और पढ़ाई के सामान पर लगायें तो अच्छा होगा। लेकिन यह भी फी स्कूल 650 रुपये ही आयेगा। जिससे कुछ राहत मिलेगी और शिक्षा में कुछ लाभ अवश्य होगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, दूसरी बात हमारे यहां केन्द्र और राज्य में बजट को अपने पूरे प्रोग्राम और नीतियों को किसानोन्मुख और ग्रामोन्मुख बताने की बात करते ह । किसानों ने अपना फर्ज अदा कर दिया 7·7 प्रतिशत अपना उत्पादन बढ़ाकर लेकिन उत्पादन बढ़ने के बाद उनको क्या लाभ आपने दिया । उसका गन्ना नहीं खरीद सके, आलू नहीं खरीद सके और सारे शीत गृहों की जो हालत हुई वह सब को पता है । आलू आप बाहर नहीं भेज सके । उसने उत्पादन बढ़ाया, मेहनत किया लेकिन उसके बदले आपने क्या दिया । मान्यवर, गेहूं के बारे में भी यही होने जा रहा है । आप 115 रुपए देने के लिए तैयार हैं लेकिन वह नहीं आप दे पा रहे हैं । आपके जो कर्मचारी/अधिकारी हैं, वे रोड़े अटका रहे हैं । कायदे से पी० सी० एफ० को परचेज टैक्स देना चाहिए । लेकिन अधिकारियों ने यह परचेज टैक्स उन सहकारी संस्थाओं पर लगाया है और उनसे लिया जा रहा है, जो खरीद कर रही हैं । अब सहकारी संस्थायें, जो खरीद कर रही हैं, उन्हीं पर परचेज टैक्स लगा देंगे तो वह क्यों खरीद करेंगी । उससे उसको लाभ नहीं नुकसान होगा और एक परेशानी सामने आयी है कि अब टोल टैक्स भी वसूल कर रहे हैं जोकि नहीं होना चाहिए । तो सरकारी अधिकारी इसको समाप्त कर देना चाहते हैं । एक प्रश्न उठा कि आपके पास बोरे नहीं हैं, पैसा नहीं है । अब मैं सहकारिता की ओर आ रहा हूं ।

माननीय मंत्री जी ने प्रोग्राम लगाया सिकन्दराराव कोआपरेटिव सोसाइटी में । लेकिन मंत्री जी सड़क से निकल गए और सोसाइटी देखने नहीं गए । रोजाना 15/20 हजार रुपये की गेंहूं खरीदा जाता है लेकिन एडवाइज देते हैं 10 हजार रुपए की । इससे परेशानी होती है । अच्छा होता कि चेक से भुगतान मिल जाय, लेकिन ऐडवाइज नहीं मिलती । जब पी० सी० एफ० ऐडवाइज नहीं देती, तो पैसा कैसे पूरा पड़ेगा ? पी० सी० एफ० पैसा नहीं भेजती तो पैसे का भुगतान नहीं होता । तो गेहू की खरीद में भी वही दुर्दशा होने वाली है, जोकि आलू और गन्ने की खरीद में हुयी है और इसकी ओर मैं शासन को पहले से ही बता देना चाहता हूं ।

मान्यवर, उप मुख्य मंत्री जी जिनके पास उद्योग है, बैठे हुए थे, लेकिन चले गए । उस विभाग की प्रगति बड़ी शोचनीय है । यह 2·2 है । यह प्रदेश के लिए बड़े खेद की बात है कि हमारे प्रदेश में उद्योग की प्रगति इतनी कम हो आखिर कैसे काम चलेगा इतनी प्रगति से ? उन्होंने दिल्ली में तो घोषणा की थी कि विकास केन्द्र प्रत्येक जिले के स्तर पर बनना चाहिए । यदि इस प्रकार के विकास केन्द्र बनते हैं और उन विकास केन्द्रों का जन–प्रतिनिधियों से सम्बन्ध होता है, तो प्रगति होगी । विकास निगम भी बनाया गया । मैंने आगरा के जनरल मैनेजर से बात की । मालूम हुआ कि विकास निगम का पैसा बैंक में जमा है और उसका जो ब्याज मिलता है, उससे वहां की गाड़ी चलती है, भत्ते दिए जाते हैं और दूसरी चीजें मैनेज होती है । क्या यही विकास निगम का काम है ? क्या वहां पर पैसा बैंक में जमा करने के लिए दिया गया था या लगाने के लिए दिया गया है । आशा थी कि विकास निगम की चीजें अन्त्योदय परिवारों को देंगे, बाजार में चीजें सस्ती मिलेंगी । लेकिन वह कुछ नहीं हो रहा ।

अभी बरौली अहीर में अन्त्योदय का कार्यक्रम आर्गेनाइज किया गया तो वहां की हालत को देखकर बड़ा दुख हुआ कि प्राइवेट एजेंसीज तं अपनी मशीनें लेकर, रिक्शा लेकर पहुंच गए लेकिन विकास निगम को जो जिम्मेदारी दी गयी थी, कि खड़खड़ा लेकर पहुंचे, वह नहीं पहुंचे । वहां अन्त्योदय परिवार के लोग आए और चले गए । इसी प्रकार से फतेहपुर सीकरी में भी बात सामने आयी ।

[श्री श्यामदत्त पालीवाल—]
इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट की जो स्कीम है, उसमें किसानों के लिए बैलगाड़ी देने की बात थी। तो वहां अधिकारियों ने कहा कि या तो बैल ले लो या गाड़ी ले लो। मान्यवर, उसमें बुलक कार्ट शब्द है। उसका मतलब है बुलक और कार्ट। अकेले गाड़ी दे देंगे तो क्या उसको किसान खींचेगा? लेकिन अधिकारी कहते हैं कि या तो गाड़ी ले लो या बैल ले लो। इस प्रकार से योजना को रोका जा रहा है।

एक चीज बताते हुए, मान्यवर, बड़ी शर्म आ रही है कि लेकिन उसका बताना बहुत जरूरी है। पिछले साल वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसे उद्योग चालू करेंगे कि कम से कम तीन लाख या 4 लाख को रोजगार दे सकेंगे। लेकिन रोजगार की बात इसमें पूरी तरह से भूल गए और न बताया कि पिछले कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। मान्यवर, हमारे बेरोजगारों की तादाद इस समय 29 लाख है। इनकी संख्या और भी बढ़ी है। उसमें हम कितने लाख बेरोजगारों को काम दे सकेंगे। बेरोजगारी की समस्या जब तक हल नहीं होगी, तब तक पूरे प्रदेश में नौजवान असन्तुष्ट रहेगा। आज मंत्री महोदय जानते हैं, विधायक महोदय जानते हैं, हर आदमी जानते हैं कि कितने लोग रोजाना उनके सामने यह बात लेकर आते हैं कि हमको कहीं रोजगार दिला दीजिए। मंत्री इस प्रकार से रोजगार दिला दें तो हालांकि वह स्वस्थ परम्परा नहीं होगी लेकिन क्या वे इसके लिए समर्थ भी हैं। जिन युवकों की शिक्षा में पैसा खर्च किया गया है, उनके लिए कोई उत्पादक योजना बनाने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। एक बात और है, रोजगार के विषय में, अन्त्योदय के विषय में, जब भी कोई पत्र मैं मुख्य मंत्री महोदय को लिखता हूं तो जवाब आता है कि मैं इस मामले को दिखलवा रहा हूं। पता नहीं कोई फाइल बना रखी है जिस फाइल को देखकर मुख्य मंत्री महोदय जवाब दे देंगे। पुराने मुख्य मंत्री के भी वही पी० ए० थे और नये मुख्य मंत्री के भी वही पी० ए० हैं। कोई भी पत्र लिखो, उसका एक ही जवाब आता है कि 'आपने इस बारे में जो पत्र लिखा है, उसको मैं दिखलवा रहा हूं'।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करिए।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

हमारे मंत्री समाजवादी हैं, इस बजट में उन्होंने अच्छा किया कि नाम नहीं दिया समाजवाद का। गरीब लोगों की भलाई के लिए कोई प्राविधान आपके बजट में नहीं है। कौन सा समाजवाद आप लाना चाहते हैं। हम यह चाहते थे कि आप इस ओर दृष्टि देंगे, वह तो आई नहीं। पहले बजट में आपकी मजबूरी थी, दूसरे बजट में कुछ परिस्थितियां हो गयी थीं लेकिन आज तीसरे वर्ष भी, यह सौभाग्य है कि हमारे वित्त मंत्री वही हैं जो पहले थे, वे कुछ कर सकते थे लेकिन दुख है कि उन्होंने कुछ करने का प्रयत्न नही किया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह चर्चा अब कल फिर प्रारम्भ होगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक श्री मित्रसेन की सूचना है, रामनगर टण्डवा हरिजन बस्ती, जनपद फैजाबाद में स्थानीय सामन्तों द्वारा सुनियोजित सामूहिक हमला किए जाने के सम्बन्ध में। इसको मैंने स्वीकार किया है, इसके विषय में माननीय गृह मंत्री 17 मई को अपना वक्तव्य देंगे। दो अन्य सूचनाएं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री विजयराज सिंह की है वह मैंने अस्वीकृत की।

8 मई, 1979 को प्रदेश में बिजली की आपूर्ति ठप्प हो जाने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

विद्युत् मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

दिनांक 8-5-79 को 18·55 बजे रिहन्द जल विद्युत् गृह की मशीन नं० 2 के 132 के० वी० करेन्ट ट्रान्सफार्मर के अचानक फट कर आग लग जाने के कारण रिहन्द में चल रही सभी छः इकाइयां दस बार फाल्ट प्रोटेक्शन पर ट्रिप हो गई। इससे फ्रीक्वेन्सी कम हो गई और ओबरा व पनकी में चल रही सभी इकाइयां भी कम फ्रीक्वेन्सी के कारण ट्रिप हो गई। इस दुर्घटना के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग व मध्य भाग में विद्युत् सप्लाई फेल हो गयी।

हरदुआगंज तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की विद्युत् व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई क्योंकि अभियन्ताओं ने सिस्टम को पूर्वी क्षेत्र से पृथक् कर दिया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत् व्यवस्था को चालू करने के लिए तुरन्त कार्य प्रारम्भ किया गया और एक से दो घंटों के अन्दर पूर्वी क्षेत्रों की आवश्यक सप्लाई चालू हो गई।

इसी समय पनकी विद्युत् गृह में एल० टी० स्विच गियर में खराबी हो गयी जिसके कारण 22·15 बजे तक लखनऊ की पूर्ण सप्लाई चालू की जा सकी।

सभी बन्द हुई इकाइयों को चालू करने का प्रयास निरन्तर जारी रहा और विभिन्न इकाइयां निम्नलिखित समय पर पुनः चालू कर दी गयीं :—

विद्युत् गृह	इकाई नं०	चालू होने का समय
रिहन्द	1	20·25 बजे
	3	20·10 बजे
	4	19·50 बजे
	5	19·45 बजे
	6	20·55 बजे
ओबरा हाइडिल	1	22·20 बजे
	2	21·20 बजे
	3	20·10 बजे
ओबरा थर्मल	4	23-22 बजे
	5	21-05 बजे
	7	07-30 बज दूसरे दिन
पनकी	1	03-55 बजे दूसरे दिन
	3	02-40 बजे दूसरे दिन

[श्री रेवती रमण सिंह—]

प्रमुख उपभोक्ताओं की बिजली फेल होने का विवरण :

1—मेसर्स फर्टीलाइज कारपोरेशन	.. 1 घन्टा 16 मिनट
2—रेलवेज	
„ रीवा रोड सब स्टेशन से	.. 1 घन्टा 45 मिनट
„ सिराथू से	.. 1 घन्टा 41 मिनट
„ मालवा से	.. 2 घन्टा 2 मिनट
„ पनकी से	.. 1 घन्टा 35 मिनट
3—प्रमुख नगरों में	
वाराणसी	.. 1 घन्टा 20 मिनट
मिर्जापुर	.. 1 घन्टा 10 मिनट
गोरखपुर	.. 1 घन्टा 20 मिनट
लखनऊ (आंशिक)	.. 3 घन्टा 40 मिनट
कानपुर (आंशिक)	.. 1 घन्टा 35 मिनट
(पूर्वी–जिलों का विवरण)	
वाराणसी, जौनपुर	.. 1 घन्टा 20 मिनट
मिर्जापुर	.. 1 घन्टा 10 मिनट
गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़	.. 1 घन्टा 20 मिनट
लखनऊ (आंशिक)	.. 3 घन्टा 40 मिनट
कानपुर (आंशिक)	.. 1 घन्टा 35 मिनट
इलाहाबाद	.. 1 घन्टा 45 मिनट
फैजाबाद	.. 8 घन्टा 30 मिनट
रायबरेली	.. 9 घन्टा 30 मिनट
सुल्तानपुर	.. 7 घन्टा
टांडा	.. 9 घन्टा
शाहगंज	.. 1 घन्टा 45 मिनट

9 तारीख को रात्रि में 1 बजे एवं 2 बजे के अन्तर्गत पूर्वी जिलों के सभी मुख्यालयों में विद्युत् चालू कर दी गयी ।

मान्यवर, यह कल की घटना है हमेशा नहीं होती । कई वर्षों बाद अचानक इस तरह की घटना कल घटित हो गई और मैं अपने विद्युत् विभाग के इंजीनियरों को तथा कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने सतत प्रयास करके काफी शहरों म एक घन्टे से तीन घन्टे के अंदर और बाकी शहरों में उसी रात को और थोड़ी जगहों पर सुबह तक बिजली की व्यवस्था पुनः चालू कर दी थी और जो बड़ा

हुई उससे लोगों को जो परेशानी हुई मैं अपनी तरफ से उसके लिए क्षोभ व्यक्त करता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, हमारा निवेदन है आपने बधाई दी है अपन कर्मचारियों को, हमारी तरफ से भी बधाई है लेकिन निवेदन यह है कि अब दूसरा मौका न आये कि फिर बधाई देनी पड़े ।

विधायक निवास दारुलशफा बी० ब्लाक की लिफ्ट को ठीक कराये जाने की मांग

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मैंने कल एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और कहा था कि बी० ब्लाक में जो लिफ्ट में आग लग गयी है उससे लोगों को परेशानी हो रही है । विधायक भी उस में रहते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं, बूढ़ लोग हैं, चढ़ने-उतरने में परेशानी होती है । मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था करा देंगे कुछ इन्तजाम करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी कृपया देख लें ।

विद्युत् मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

यह पी० डब्लू० डी० के अन्दर आता है पी० डब्लू० डी० मंत्री से इस के बारे में कहें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

आप ही यह बात उन तक पहुंचा दें ।

महाविद्यालय, गाजीपुर के परिसर में श्री अशोक कुमार की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी मेदनीपुर, थाना दिलदारनगर, गाजीपुर, छात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर ने थाना कोतवाली (गाजीपुर) पर दिनांक 24 अप्रैल, 1979 को लिखित सूचना दी कि उनके परिवार के श्री अशोक कुमार सिंह, भू० पू० छात्र बी० ए० प्रथम वर्ष ने उक्त कालेज में बी० ए० द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु फार्म भरा था । अनुमति पत्र मिलने के बावजूद फार्म के गुम हो जान के कारण प्रवेश मिलने में अड़चन पैदा होने पर वह छात्र यूनियन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जय नारायण सिंह के यहां यह कहने के लिए गया था कि श्री जय नारायण सिंह प्राचार्य से बात करें । श्री जय नारायण सिंह के इन्कार करन पर दोनों के बीच कहा सुनी हो गई और श्री जय नारायण सिंह न दूसरे दिन अशोक कुमार को ठीक कर देने की बात कही थी । यह भी सूचना दी गई कि दिनांक 24 अप्रैल, 1979 को जब श्री अशोक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया ।

[श्री रमाशंकर कौशिक---]

कुमार सिंह प्राचार्य के कमरे की ओर जा रहे थे तो कालेज के मुख्य गेट पर श्री जय नारायण सिंह व उसके दो अन्य साथियों ने गोली मार दी और हवाई फायर करते हुए मोटर साइकल पर सवार होकर भाग गये । इस सूचना पर अभियोग धारा 302/34 भा० द० वि० के अन्तर्गत थाना कोतवाली पर कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना के दौरान दिनांक 24 अप्रैल, 1979 को ही कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्तों द्वारा प्रयुक्त मोटर साइकिल को गाजीपुर शहर में कानवेन्ट स्कूल के पास पड़ी हुई बरामद कर लिया गया । अभियुक्तों की तलाश हेतु हर सम्भावित स्थानों पर पुलिस द्वारा छापे मारे गये । नामजद अभियुक्त श्री जय नारायण सिंह के विरुद्ध धारा 82/83 जा० फौ० की कार्यवाही दिनांक 29 अप्रैल, 1979 को की गई । अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है ।

घटनास्थल का निरीक्षण प्रभारी पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा किया गया ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री अशोक कुमार सिंह ने विद्यालय के भ्रष्टाचार को लेकर प्रबन्धक के विरुद्ध कोई आन्दोलन नहीं किया था और अब तक की विवेचना से उसकी हत्या किसी षड़यंत्र द्वारा नहीं वरन् आपसी मनमुटाव एवं रंजिश के कारण होनी पाई गई है । उक्त घटना को लेकर जनता एवं छात्रों के किसी प्रकार का तनाव या असंतोष नहीं है । उक्त महाविद्यालय नियमित रूप से चल रहा है तथा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की कोई सम्भावना नहीं है । स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है ।

प्रश्नगत मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कराए जाने के आदेश दे दिए गये हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि दिवंगत छात्र अशोक कुमार उस कालेज का छात्र नेता था । विद्यालय के भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायत नहीं की गयी यह कहा गया लेकिन कालेज के कागजात में जो पत्रावली प्राप्त हुई उससे विदित हो जायगा कि कालेज के जो प्रबन्धक सचिव श्री राजेश्वर सिंह एवं कार्यकारी प्रधानाचार्य अवधेश नारायण सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के व्यापक आरोप लगाये गये थे । इससे कुपित होकर कालेज के प्रधानाचार्य ने उसे प्रवेश करने से मना कर दिया जब कि उसे प्रवेश की अनुमति दे दी गयी थी जिसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है । जब वह छात्र कालेज के भतपूर्व छात्र यूनियन के अध्यक्ष के पास गया तो उन्होंने उसे फिर रामेश्वर सिंह जी के पास जाने के लिये कहा । वहां राजेश्वर सिंह जी के प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर विवाद हुआ और उसका फार्म गायब कर दिया गया । फिर अशोक कुमार जय नारायण सिंह के पास गये और उन्होंने उसे मार डालने की धमकी दी । इस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए वहां के एल० आई० यू० ने इस प्रकार की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी थी कि निकट भविष्य में कोई अशोभनीय घटना होने वाली है और इसकी रोकथाम के लिये दो सिपाही कालेज के फाटक पर लगाने का यही कारण था और इन दो सिपाहियों के अलावा क्या कोई और व्यवस्था भी की गयी थी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

यह प्रश्न है या भाषण है....।

श्री उपाध्यक्ष--

वह पृष्ठभूमि थी ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

उसी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में इतनी बात जरूर है कि श्री अशोक कुमार सिंह विद्यार्थी परिषद् से ताल्लुक रखता था और जय नारायण सिंह, जिसका जिक्र आया है, वह भी विद्यार्थी परिषद् से ही ताल्लुक रखता है । जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई है, देवेन्द्र प्रताप सिंह, वह अपने को उन्हीं के परिवार का सदस्य बताया है । इसमें चश्मदीद गवाही मिली है और मोटर साइकल का जो नम्बर दर्ज कराया गया था वह भी एक लावारिश स्थिति में पाई गई है । जहां तक आन्दोलन की बात का सवाल है, इस सम्बन्ध में अभी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि विद्यार्थी परिषद् से वह ताल्लुक रखता था और यह भी उन्होंने स्वीकार किया है कि वह छात्र नेता था । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई एल0 आई0 यू0 की रिपोर्ट थी कि वहां कोई अशुभ घटना होने वाली है इसलिये फाटक पर दो सिपाही लगा दिये गये थे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस बात का उत्तर मंत्री जी दे दें कि दो सिपाहियों के अलावा वहां पर कोई और व्यवस्था की गई थी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जहां तक दो सिपाहियों की व्यवस्था का सवाल है यह तो जहां-जहां से ऐसी रिपोर्ट मिलती है, अशांति होने की सम्भावना होती है वह चाहे किसी स्कूल की हो या किसी कालेज की हो, वहां थोड़ी बहुत व्यवस्था कर दी जाती है । मान्यवर, जो विद्यार्थी वहां पर मारा गया, उसमें अशोक कुमार की हत्या हो जाने वाली है या उस पर कोई हमला करने वाला है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ।

*श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, मृतक के रिश्तेदार ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद रिपोर्ट करायी है और उसके साथ मोटर साइकल का नम्बर दिया है, चश्मदीद गवाह हैं तो क्या गुप्तचर विभाग से इसकी जांच खतम कराकर माननीय मंत्री जी मुजरिम को गिरफ्तार करने का आदेश देंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, शासन का कोई इरादा नहीं है कि किसी अपराधी को पनाह दी जाय या बचाया जाय । जहां तक गुप्तचर विभाग का सवाल है, सी0 आई0 डी0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रमा शंकर कौशिक]—

की रिपोर्ट के मामले में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अभियुक्त को उसका फायदा मिल जाया करता है, आमतौर पर । यह बात सही है कि एफ0आई0आर0 चश्मदीद गवाह, मोटर साइकल का मिल जाना, इस बात का सबूत है । जो नामजद हैं, इसको किसी प्रकार से कोई फायदा शासन की तरफ से नहीं मिलना चाहिए । लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने यह अनुरोध किया था इसलिये इसमें सी0 आई0 डी0 को जांच सौंपी गई । माननीय सदस्य अगर उसमें पुनर्विचार करना चाहें, तो वह स्वीकार किया जा सकता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि स्वर्गीय श्री अशोक कुमार और श्री जय नारायण सिंह जो एक मृतक हैं और दूसरे अभियुक्त हैं वे एक ही विद्यार्थी परिषद् के सदस्य थे ? दोनों असामाजिक थे और इसीलिये उनको स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया गया और उनकी आपस में राइवलरी थी, इसलिये उसकी हत्या हुई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जो जिले से सूचना मिली हैं उसके आधार पर और जिलाधिकारी की सूचना के आधार पर यह हुआ है । जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया अशोक कुमार और जय नारायण सिंह दोनों का ताल्लुक विद्यार्थी परिषद् से था दोनों सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं । इसमें कोई शक नहीं है और जो रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक की आई है उसने दोनों के बारे में जो अपनी टिप्पणी दी है वह यही दी है कि उनका चरित्र असामाजिक रहा है ।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन-किन लोगों का एडमिशन रोका गया था उनके नाम बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता, इसका जिक्र कहीं नहीं आया है ।

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान खासतौर से इस तरफ दिलाना चाहता हूं अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा, वहां पर वातावरण खराब था इसलिए दो सिपाही लगा दिये गये थे यह स्पष्ट रिपोर्ट एफ0 आई0 आर0 में मौजूद है फिर केस सी0 आई0 डी0 को देकर ऐसा न हो कि वह वातावरण फिर पैदा हो जाय । वह अभियुक्त घूम रहे हैं और जैसा अभी मंत्री जी ने श्री छोटे लाल यादव के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि विचार करेंगे । तो हो सकता है कि दुर्घटना फिर हो जाय तो क्या मंत्री जी सी0 आई0 डी0 इनक्वायरी को खतम कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर तो उन्होंने कहा कि विचार करेंगे, विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

अभी मंत्री जी ने बयान दिया कि दो आदमियों को वहां लगा दिया। अभियुक्त घूम रहे हैं तो इससे दूसरी ओर उत्तेजना फैलन कीं आशंका है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहां तक अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का सवाल है उसकी सारी कार्यवाहियां हो रही हैं 82–83 जाप्ता फौजदारी में कुर्की वगैरह की कार्यवाही हो रही है वह फरार हैं। नामजद एक ही आदमी है दो और आदमी बताये गये थे लेकिन उनके नाम नहीं है। उनकी तलाश भी पूरे जोर-शोर से चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कोई कोताही नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि सी० आई० डी० की इन्क्वायरी के आर्डर इसलिए हुए कि एक आदमी मुलजिम है उसको पकड़ने में पुलिस ढिलाई कर रही है। मेरी जानकारी है कि 29 तारीख को 82–83 में कार्यवाही हो गई है लेकिन उसका सामान घर से उठाकर कोतवाली में नहीं भेजा गया। इसकी पृष्ठ-भूमि यह है कि जिसके कारण मरडर हुआ उसमें कालेज के प्रबन्धक और वहां के भूतपूर्व छात्र यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनका हाथ है....।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सी० आई० डी० इनक्वायरी इस पृष्ठभूमि में हुई है कि यह हत्यारे वही हैं जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय में भी मरडर किया। इसलिए सी० आई० डी० इनक्वायरी विधिवत जारी रखने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा विचार करेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मंत्री जी जानकारी देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं, वह जवाब देंगे।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहां तक सी० आई० डी० इनक्वायरी का ताल्लुक है यह राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, श्री राम जी सिंह और गोकरन प्रसाद जी के पत्र मिले थे उनका कहना यह है कि छात्र नेता अशोक कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और पुलिस तथ्य छिपा रही है हत्या के पीछे कालेज के प्रबन्धक का हाथ है। इनका

[श्री रमा शंकर कौशिक]--

कहना यह नहीं है कि वह जो मुलजिम हैं जो नामजद हैं उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसमें तीन पन्ने का पत्र भी लिखा हुआ था, उसको छिपा लिया गया है । सी० आई० डी० इनक्वायरी इसलिए कराते हैं जिससे मामला दबा रहे, तो मंत्री जी के उत्तर से साफ जाहिर है कि राजनैतिक दबाव के कारण यह केस सी० आई० डी० के सुपुर्द किया गया, तो क्या वह यह आश्वासन देंगे कि यह मामला सी० आई० डी० से वापस लेकर रेगुलर पुलिस को सौंप दिया जाएगा । (कोई उत्तर नहीं दिया गया) ।

श्री देवबहादुर सिंह--

जय नारायण सिंह ने धमकी दी कि अशोक कुमार को ठीक कर दिया जाएगा, तो यह सूचना आपको किसने दी और क्या किसी अधिकारी ने दी ? और यदि ठीक करने की सूचना मिल गई थी, तो प्रिवेन्टिव एक्शन कोई लिया गया या नहीं ? मुख्य कारण झगड़े का यह है कि फार्म गुम हो गया था, तो फार्म गुम करने के जो दोषी हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की क्या सरकार सोच रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

श्रीमन्, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, मैं नकल तहरीर पढ़े देता हूं, जो देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कोतवाली में लिखाई है :--

"सेवा, में श्रीमन् थानाध्यक्ष कोतवाली, गाजीपुर निवेदन है कि मैं प्रार्थी देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र हरी सिंह, सा० मेदनीपुर का हूं और गाजीपुर महाविद्यालय का छात्र हूं । प्रार्थी के परिवार का अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र नाथ, बी० ए० द्वितीय वर्ष ने प्रवेश पाने के लिए फार्म भरा था, लेकिन उनको प्रवेश अनुमति पत्र मिलने के बावजूद फार्म कार्यालय में गुम हो गया था, जिससे उनके प्रवेश में अड़चन पैदा हो गई थी । कल प्रार्थी को लेकर अशोक कुमार सिंह छात्र यूनियन के अध्यक्ष श्री जय नारायण सिंह के यहां कार्यालय तथा प्राचार्य से बात करने के लिये कहने को गये थे"

तो यह सूचना एफ० आई० आर० में है । देवेन्द्र प्रताप सिंह कहते हैं कि उनका फार्म गुम हो गया था, उसमें अड़चन थी, इसलिए वह श्री जय नारायण सिंह के पास गये थे । वहाँ उनके साथ उनकी कहा-सुनी हुई । जिस पर उन्होंने कहा कि हम तुमको ठीक कर देंगे ।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

गुप्त जी एक लम्बा भाषण दे गये हैं । इस तथ्य को सचमुच बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर गलत दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है । इस कालेज के अध्यक्ष जिलाधीश हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को यह मालूम है कि जिलाधीश की रिपोर्ट के ऊपर उस कालेज के कुछ गुन्डे लड़कों का एडमीशन रोका

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया है । यह तथ्य आ जाए तो उसमें मालूम होगा कि इसमें जय नारायण सिंह ही नहीं उसके 3–4 अन्य साथी भी हैं । वहाँ पर मर्डर होने की स्थिति नहीं थी, लेकिन अपने गोल के झगड़े में उस दिन यह स्थिति पैदा हो गई । इसमें सी० आई० डी० इनक्वायरी का कोई प्रश्न नहीं है, जैसा कि उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया है ? तो क्या वह इसकी जाँच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक––

जांच हम करा लेंगे ।

*श्री अवधेश नारायण (जिला गाजीपुर)––

गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक इस सिलसिले में अखबार में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने सी० आई० डी० इनक्वायरी की संस्तुति शासन को लिख दी है । जिन परिस्थितियों में अशोक कुमार सिंह की हत्या हुई वे ऐसी हैं, इसमें किसी न किसी षड़यंत्र का आभास मिलता है, पुलिस भी इसमें मिली हुई है और उसकी लापरवाही की वजह से ही मुख्य अभियुक्त जय नारायण सिंह पकड़ा नहीं जा रहा है । इसलिए माननीय मंत्री जी कृपा करके इस बात का आश्वासन देंगे कि इस प्रकार की जांच के पूर्व जो सी० आई० डी० या किसी दूसरी एजेंसी से हो तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक और एस ओ, इंचार्ज, कोतवाली, इन दोनों को हटाने की कृपा करेंगे जिससे जांच निष्पक्ष हो सके और जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़ा जा सके ।

श्री रमाशंकर कौशिक––

मान्यवर, अभी इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है । आवश्यकता प्रतीत होगी और देखा जायगा कि मुलजिम बचाया जा रहा है तो वह भी कार्यवाही की जायगी ।

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों के फार्मेसिस्टों द्वारा की जा रही सामूहिक हड़ताल के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(स्वास्थ्य मंत्री) श्री रमाशंकर कौशिक––

मान्यवर, प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डिप्लोमा फार्मेसिस्टों ने अपनी कतिपय मांगों को शासन से मनवाने हेतु दिनांक 23 अप्रैल, 1979 से प्रतिदिन दो घन्टे के सांकेतिक हड़ताल प्रारम्भ कर दी थी तथा तीन डिप्लोमा फार्मेसिस्ट विधान भवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ गये ।

2––दिनांक 4 मई, 1979 से लखनऊ स्थित विभिन्न राजकीय अस्पतालों के अन्य फार्मेसिस्टों ने भी उक्त डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की सहानुभूति में हड़ताल प्रारम्भ कर दी । फलस्वरूप अस्पतालों के कार्य में स्वाभाविक अवरोध उत्पन्न हो गया तथा जनता को अत्यधिक असुविधा होने लगी । अतः शासन ने जनहित की दृष्टि से तथा यह अनुभव करते हुये कि जनता की स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं में अवरोध न उत्पन्न होने पायें सभी प्रकार के फार्मेसिस्टों, नर्सों, डाक्टरों तथा अस्पतालों के सभी श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल को उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 7 मई, 1979 से अवैध घोषित कर दिया ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रमा शंकर कौशिक--]

प्राप्त सूचना के अनुसार 19 जिलों में पूर्ण हड़ताल तथा 8 जिलों में आंशिक हड़ताल और दो जिलों में कोई हड़ताल नहीं है । शेष जिलों से सूचना प्रतीक्षित है । जिलो से प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि डाक्टरों, इन्टर्नस तथा नर्सों के सहयोग से अस्पतालों में आवश्यक कार्यों की व्यवस्था कर दी गई है और यह प्रयास किया जा रहा है कि रोगियों को कोई असुविधा न होने पाये ।

3--जहां तक डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की मांगों का सम्बन्ध है, उनकी कुल 14 सूत्री मांगों में से चार प्रमुख मांगों पर अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शासन ने स्वीकार कर लिया है तथा तत्सम्बन्धी औपचारिक शासनादेश भी जारी कर दिये गये हैं । शासन ने चीफ फार्मेसिस्टों के 70 पदों के सृजन के आदेश 7 मई, 1979 को निर्गत कर दिये हैं । फार्मेसिस्टों के सेलेक्शन ग्रेड के वर्तमान वेतनमान जो 280-460 था उसे बढ़ाकर 300-500 कर दिया गया है और तत्सम्बन्धी शासनादेश 7 मई, 1979 को निर्गत कर दिये गये हैं । इसी प्रकार फार्मेसिस्टों के जिला स्तरीय कैडर के स्थान पर प्रान्तीय स्तर के काडर का सृजन कर दिया गया है और फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों में साज-सज्जा, यंत्र, संयत्रों की कमी दूर करने तथा अतिरिक्त टीचिंग स्टाफ की स्वीकृति दे दी गई । उपरोक्त प्रमुख मांगों के स्वीकार हो जाने के बाद अब फार्मेसिस्टों को कोई कुन्ठा का कारण नहीं होना चाहिये ।

4--शेष मांगों में से फार्मेसिस्टों के वेतनमान में वृद्धि के प्रश्न पर वित मंत्री जी द्वारा घोषित वेतन आयोग द्वारा अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ इनके बारे में भी समुचित विचार यथासमय किया जायगा । जहां तक फार्मेसिस्टों के पृथक् निदेशालय की स्थापना तथा जिला स्तर पर हास्पिटल फार्मेसी की स्थापना आदि कुछ ऐसी भी मांगों का प्रश्न है वे न केवल अनावश्यक एवं अव्यवहारिक है वरन् उनका फार्मेसिस्टों की सेवा सम्बन्धी शर्तों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

5--इसके अतिरिक्त कतिपय मांगें ऐसी भी हैं जिनमें प्रशासनिक एवं वैधानिक जटिलतायें बाधक बन रही हैं और उन मांगों पर भी सम्बन्धित अधिकारियों एवं केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र व्यवहार करके सहानुभूतिपूर्वक यथासमय निपटाने का प्रयास किया जा सकता है । मान्यवर, जहां तक फार्मेसिस्टों की मांगो का प्रश्न है, कानपुर में इनकी एक कान्फ्रेन्स हुई थी जिसमें मैं भी गया था । वहां पर उन लोगों से काफी बात-चीत हुई थी । जो लोग भूख हड़ताल कर रहे थे उनका एक डेपुटेशन भी मुझसे मिला और जो दिक्कतें शासन के सामने हैं उनसे उनको अवगत कराया गया । कान्फ्रेन्स में मेरे सभी सुझावों का स्वागत किया गया और मुझे आश्वासन दिया गया था कि वे ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जिससे वह स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बाधक बने । यहां पर जो फार्मेसिस्ट हैं वह भी मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे । 4 तारीख को अनशन किया था उनकी तबियत ज्यादा खराब हो रही थी इसलिए उनको अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उन्हें मनाया गया और उन्होंने डाक्टरों की सलाह स्वीकार कर ली और ग्लूकोस आदि को स्वीकार किया । उनकी गिरफ्तारी के क्रोध में आकर सब जगह हड़ताल हो गयी । इनके एशोसिएशन्स हैं जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो उनकी मांगों के साथ हैं लेकिन इस पक्ष में नहीं हैं कि हड़ताल की जाये । उनकी मांगे हैं कि जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं उनको सर्विस में न रखा जाये, जिन्होंने 1969 में केमिस्ट का लाइसेंस मिला है उन पर भी प्रतिबन्ध

लगा दिया जाये और उनका लाइसेंस समाप्त कर दिया जाये, ऐसी मांगें थीं, जिनका माना जाना संभव नहीं है । दूसरी मांगे जो हैं वह केन्द्र से सम्बन्धित हैं । मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वह लोग अपनी हड़ताल को समाप्त कर दें । उनकी बहुत सी मांगों को मान लिया गया है । वेतन आयोग बैठ रहा है जो अन्य कर्मचारियों की भांति उनके वेतनमान आदि पर विचार करेगा । अब उनके हड़ताल करने का कोई औचित्य नहीं रह गया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, इनकी एक मांग यह भी थी कि इनको सेलेक्शन ग्रेड दिया जाये जो 30 प्रतिशत के बराबर हो लेकिन केवल उनके वेतन में मात्र बढ़ोत्तरी कर दी गयी है । कुछ अन्य मांगें हैं जो वित्त से सम्बन्धित नहीं हैं, जैसे स्टेट फार्मेसी कौंसिल उत्तर प्रदेश के चुनाव 10 वर्ष से नहीं हुए हैं जब कि हर 5 वर्ष पश्चात् होने चाहिए थे । स्टेट फार्मेसी कौंसिल व फार्मेसी काउन्सिल आफ इन्डिया में कम से कम एक एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्टों को प्रतिनिधित्व किया जाये, फार्मेसिस्टों का रजिस्ट्रेशन डाक्टरों एवं नर्सों के समान एक ही बार किया जाय जैसा कि पंजाब एवं हरियाणा में हैं, डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान की इनटर्न कमियों को पूर्ण कराकर उन्हें स्थायी मान्यता दिलायी जाये, उनको मानने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, जहां तक सेलेक्शन ग्रेड का सवाल है तो 10 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह कम है । इसलिये सेलेक्शन ग्रेड में यह संख्या कम है । पर इसमें वित्तीय भार तो है ही । हम कोशिश कर रहे हैं और हमने वित्त मंत्री जी से निवेदन भी किया है कि 20 परसेंट की बात को मान लिया जाये ।

रजिस्ट्रेशन वाली बात जो है उसके लिये भारत सरकार ही सक्षम है । हम लोगों ने उसके लिये भारत सरकार से कहा है, लेकिन वह अभी तक राजी नहीं हुई है । हम फिर इसके लिये लिख रहे हैं । लेकिन हमसे इसका ताल्लुक नहीं है ।

*डाक्टर कृष्णवीरसिंह कौशल (जिला आगरा)--

यह वक्तव्य मान्यवर, भ्रामक, गुमराह करने वाला एवं तथ्यों से परे है । 4 मई से प्रदेश में सारे डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की हड़ताल चल रही है और शासन को उसकी जानकारी तक नहीं है । 19 जिलों की ही सूचना है इनके पास । आज 50 जिलों में डिस्पेन्सरीज में ताले लटके हुये हैं । दारुलसफा की ही डिस्पेन्सरी में ताले लटके हुये हैं । इससे ज्यादा निकम्मापन इस सरकार का और क्या हो सकता है कि इनके पास सूचना तक पूरी नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल कितने डिप्लोमा फार्मेसिस्ट हैं और उनमें से कितने हड़ताल पर हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

यह शब्द इस्तेमाल करने की तो इनकी आदत पड़ गयी है क्योंकि यह गुमराह स्वयं करते रहे हैं । मैंने तो यह कहा है कि 19 जिलों की जानकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रमा शंकर कौशिक—]

प्राप्त हो गयी है, शेष से सूचना अभी नहीं आ पायी है । इसमें गुमराह करने का प्रश्न कहां आ जाता है । इनका एक दूसरा एसोसिएशन भी है जिसके महामंत्री ने हमको लिखा है कि हम हड़ताल नहीं करना चाहते । यह तो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं । फिर भी अस्पतालों में इन्टर्न्स तथा नर्सों की सहायता से काम चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

संख्या भी बता दें अगर आपके पास हो कि कितने फार्मेसिस्ट हैं और उनमें से कितने हड़ताल पर हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, पूरी सूचना सभी जिलों से अभी प्राप्त नहीं हो सकी है । पूरे उत्तर प्रदेश में 4 हजार के करीब फार्मेसिस्ट हैं, लेकिन इसमें डिप्लोमा होल्डर्स फार्मेसिस्ट नहीं है । कुछ और भी फार्मेसिस्ट हैं जो हमारी सेवा में हैं, लेकिन अधिक तादाद जिन लोगों की है, वह डिप्लोमा होल्डर्स फार्मेसिस्ट्स की है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुमानित तादाद बता दें ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

16 नवम्बर, 1977 को डिप्लोमा फार्मेसिस्ट्स प्रतिनिधियों और वित्त एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में एक समझौता हुआ था । उसके बाद 30 मार्च, 78 को इसी सदन के अन्दर स्वास्थ्य मंत्री ने, जब उनका वह कार्यक्रम चल रहा था, तो उस समय यह स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि दो माह के अन्दर इनकी 12 सूत्री मांगें हैं, इनकी पूरी माँगें मान लेंगे । 30 मार्च, 1978 को दो महीने का समय मांगा था, उस पर जो इस समय मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि सवा महीने के अन्दर सूचना दे दें । उनका क्या आश्वासन था वह कृपया बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

क्या सूचना है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

उस वक्त शासन ने यह कहा था कि आपकी माँगों पर विचार किया जायगा ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

30 मार्च, 1978 को जो आश्वासन मंत्री जी ने दिया था, उसको बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

30 मार्च, 1978 का आपके पास है ?

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों के फार्मेसिस्टों द्वारा की जा रही सामूहिक हड़ताल के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रमा शंकर कौशिक—

इसको तो मान्यवर, देखना पड़ेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

जनता को सही और सस्ती दवायें उपलब्ध हों, शासन को आर्थिक फायदा हो और तमाम फार्मेसिस्ट्स प्रशिक्षित हों, कानपुर जैसा घृणित गुलूकोज काण्ड न दोहरायें, 16 नवम्बर, 1977 को जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इन सब पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो 10 साल से स्टेट फार्मेसी कौंसिल का चुनाव नहीं हुआ, जब कि 5 साल के अन्दर होना चाहिए था, उसे करायेंगे ?

तीसरी बात यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब क्यों एक में जोड़े दे रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

दुबारा मौका तो आप देंगे ही नहीं, यह तो आदत बन गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आक्षेप है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

इसे वापस ले रहा हूं ।

प्रदेश में हड़ताल हो गयी, दूसरे लोग भी समर्थन में खड़े हो गये, आपने आवश्यक अनुरक्षण अधिनियम लागू कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

बस करें आप ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहां तक पिछली बैठक की कार्यवाही का सवाल है, उसी बैठक की कार्यवाही के अनुरूप हो तो यह सारे कार्य हो रहे हैं । वित्त विभाग से कुछ लड़ाई भी लड़ी जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

कौंसिल के चुनाव का मान्यवर, बता दें । उसका तो जवाब ही नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

चुनाव का बता दें ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

उसमें चुनाव करायेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको छोड़ेंगे। जो एसेंशियल सर्विसेज को सरकार ने अवैध घोषित किया है, उसको वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्रश्न ही नहीं उठता, मान्यवर।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि यह लोग गुमराह कर रहे हैं। मेहरबानी करके गुमराह की बात को छोड़िये, लेकिन उस परम्परा पर न जायें, जिस परम्परा पर ये चले कि पहले मांग नहीं मानेंगे, उसको असेंशियल सर्विसेज भी घोषित करेंगे, आखिर में मांग मानेंगे भी नहीं, माननीय मंत्री जी स्वयं महसूस करेंगे कि उनकी मांग न्यायोचित है। फार्मेसिस्ट्स की जो क्वालीफिकेशन है वह मान्यवर, स्वास्थ्य निरीक्षक के लिए इण्टरमीडिएट साइंस बायलोजी है, एक साल 6 महीने का कोर्स और वेतनमान 230-385 है। स्वच्छता निरीक्षक का क्वालीफिकेशन इण्टरमीडिएट साइंस बायलाजी, कोर्स एक साल और वेतन मान 280-460 है। फिजियोथिरेपिस्ट का क्वालीफिकेशन वही, कोर्स 1 साल 3 माह और वेतन 280-460 है। तो श्रीमन् एक ही डिपार्टमेन्ट में इतने अलग-अलग वेतनमान दिये हैं। मेहरबानी करके क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि विभाग से इस तर्कपूर्ण मांग का मनवाने के लिए वे कोशिश करेंगे ताकि इन कर्मचारियों को एक आश्वासन मिल जाये और वे अपनी हड़ताल को वापस ले लें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जिन पदों का नेगी जी ने जिक्र किया है वह सम्भवतः परिवार कल्याण विभाग के हैं और जैसा कि माननीय नेगी जी जानते हैं यह विभाग केन्द्र सरकार की योजना पर आधारित है। केन्द्र सरकार के जो अधिकारी रहते हैं और हमारी सरकार के जो अधिकारी रहते हैं, एक सा काम करते हैं लेकिन वेतन में भिन्नता होती है। उत्तर प्रदेश के और कर्मचारियों के मामलों को लेकर मैं ऐसा मानता हूं कि जो उनका कार्य है उस दृष्टि से उनका वेतन कम है। अब प्रश्न किस विभाग से लड़ने का नहीं बल्कि प्रश्न वेतन आयोग के सामने जाने का है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, रिहा करने की बात कहने के लिए उठे थे, मंत्री जी, आप मौका दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय सदस्य ने 16 नवम्बर और 30-3-78 को भी चर्चा की थी। इसके बाद भी 8 सितम्बर, 1978 को इनके प्रतिनिधियों और शासन की वार्ता हुई जिसमें आश्वासन दिया गया कि 14 मांगों को पूरा करेंगे। परन्तु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस का कार्यान्वयन नहीं हुआ तो अन्दोलन की स्थिति पैदा हुई। एक तरीका यह है कि हड़ताल हुई उसको अवैध घोषित करके उनको जेल में डाल दिया जाये और दूसरा तरीका है कि उनके प्रतिनिधियों से वार्ता कर के स्थिति सामान्य बनाने की कोशिश की जाये। तो मन्त्री जी क्या कदम जा रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहां तक वार्ता का सवाल है, मैं चौबिसों घंटे तैयार हूं। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि शासन ने कार्यवाही नहीं की तो यह एक गलत बात है। फार्मेसिस्ट चाहे कहें चाहे माननीय सदस्य कहें। कार्यवाही मैंने शुरू में ही की। मैं कान्फ्रेंस में गया, वहां सारे अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बात चीत की और मैंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की और उसके बाद उसमें कोई व्यवधान नहीं हुआ है। तो मान्यवर, मैं वार्ता के लिए तो तैयार हूं लेकिन स्वास्थ संबंधी सेवाओं में इस तरह से व्यवधान करना शासन बरदास्त नहीं करेगा।

श्री कमल—

मान्यवर, आखीर में यह दिया है कि कतिपय मांगें ऐसी भी हैं जिनमें प्रशासनिक एवं वैधानिक जटिलतायें बाधक बन रही हैं और उन माँगों पर भी संबंधित अधिकारियों एवं केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करके सहानुभूति-पूर्वक निपटाने का प्रयास किया जा सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मार्च 77 जब से इनकी अन्दोलन शुरू हुआ सरकार के साथ कितने बार वार्ता हुई, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को कितने बार लिखा या यहाँ के मन्त्री जी या अधिकारी कितने बार जाकर भारत सरकार के अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, कई बार इस बात को भारत सरकार से कहा गया है और निश्चित रूप से जब उनकी यह बात आ गई कि हम आपकी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो उसके बावजूद भी हमने उनको लिखा कि उनकी यह मांग जायज है, यह माननी चाहिये।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जैसा सर्वविदित है कि इस समय अस्पतालों में स्थिति खराब है। काम ठीक से नहीं हो रहा है हड़ताल अभी भी जारी है। तो दो ही रास्ते हैं या तो कर्मचारियों का दमन किया जाय उनको कुचल दिया जाय, जेल भेज दिया जाय और तानाशाही की तरह आप खुश होकर वैकल्पिक व्यवस्था करें। क्योंकि अस्पताल तो रुकेंगे नहीं। या आज 2, 3, घंटे बाद वार्ता करके हड़ताल को समाप्त करने का प्रयास करायेंगे। या केवल लिबलिब नीति अपनायेंगे ? किस नीति से हड़ताल समाप्त होगी, कैसे अस्पतालों की हालत सुधरेगी, कौन सा निर्णय मन्त्री जी करना चाहते हैं उसकी सूचना सदन के अंदर देने को कृपा करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, यदि ये तीन दिन तक अपनी नौकरी पर वापस नहीं आये तो इनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी और दूसरे लोगों को रखेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आवश्यक सेवा अधिनियम लागू होने के बाद क्या प्रगति हुई है और कितने कर्मचारी काम पर वापस आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब वह दे चुके हैं।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

इस प्रदेश में प्रत्येक अस्पताल में 4 यूनियन हैं। डाक्टरों की, कंपाउन्डरों की, नर्सों की और कर्मचारियों की। तो क्या तीनों यूनियनों को समाप्त करके एक यूनियन की व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे उठता नहीं है।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जब सरकार मांगों पर विचार कर रही है तो गिरफ्तार छात्रों को न छोड़ने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप स्वयं समझ लें कि मामला तय हो जायेगा तो छोड़ देंगे।

श्री राम आसरे शर्मा—

मान्यवर, जब मंत्री जी खड़े होते हैं तो आप जवाब देने का मौका नहीं देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोगों को पकड़ कर जेलों में बन्द किया गया है उन पर जुल्म बंद करवाने और तत्काल रिहा करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

मंत्री जी ने कहा कि तीन दिन के अंदर मामला नहीं सुलझा तो हम दमनात्मक तरीका अपनायेंगे। यह सदन चल रहा है मंत्री जी बतलायेंगे कि वह दमन का तरीका क्या होगा ताकि सदन अवगत हो सके।

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, कोई दमन करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि क्या हम ऐसी आवश्यक सेवाओं को यूनियन बाजी के भरोसे छोड़ दें। या हम लोगों की सेवा करने के मामले में ऐसी तब्दीली लायें। जहां तक यूनियन का सवाल है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फोर्थ क्लास के कर्मचारी जो यूनियन बनाकर रहते हैं उनमें बाहर के लोग नेतागीरी करते हैं। अस्पतालों में किसी प्रकार काम करना मुश्किल हो गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

बलिहारी है । लोहिया जी की आत्मा स्वर्ग में सुन रही होगी कि उनके चेले क्या कह रहे हैं ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

लोहिया जी को पहले आप पढ़ लीजिये । जहां तक राम अधार जी का प्रश्न है हमने वैकल्पिक व्यवस्था, जो आवश्यक सेवायें हैं, ऐसे मरीज जो गंभीर रूप से बीमार हैं या रोगी बच्चे जो आते हैं उनके इलाज की व्यवस्था इन्टर्नशिप, नर्सों और जूनियर डाक्टरों द्वारा कर रहे हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस आन्दोलन में कितने फार्मेसिस्टों को गिरफ्तार किया गया है । आंदोलन जब चल रहा है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया है । दूसरे जैसा मंत्री जी ने बताया कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप है आंदोलन चलाने में, तो वह बाहरी लोग कौन हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, तीन लोग गिरफ्तार हुये हैं जो कि भूख हड़ताल कर रहे थे । जहां तक वैकल्पिक व्यवस्था का सवाल है तो जो रोगी भर्ती हैं उनकी दवाओं में कोई व्यवधान नहीं है । जो आउट डोर रोगी हैं उनको तकलीफ है । उसमें भी जो बच्चे बीमार आते हैं उनकी दवा की व्यवस्था इन्टर्नशिप, नर्सों और जूनियर डाक्टरों के जरिये कर दी गयी है । तीसरे मैंने बाहरी लोगों का हस्तक्षेप फार्मेसिस्टों के संबंध में नहीं कहा है बल्कि वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की यूनियनों के बारे में कहा है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, नेतागीरी के बारे में मंत्री जी ने क्लास 4 के बारे में कहा तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मेरी यह सूचना सही है कि आप स्वयं बाहरी आदमी होते हुये भी बहुत सी यूनियनों से संबंधित रहे हैं और हिन्द मजदूर सभा के मंत्री रहे हैं ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

आवश्यक सेवाओं की जगहों पर नहीं ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही तो जब सारे स्टोर में ताले पड़े हैं तो इनडोर और आउटडोर में दवा कहां से मुहैया करवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आप बहस कर रहे हैं । यह नहीं ।

सम्पूर्ण प्रदेश में आवश्यक धन की स्वीकृति न मिलने के कारण दशमोत्तर कक्षाओं के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

उपाध्यक्ष जी, जब विचार करते हैं तो बहुत दुख होता है। जब हमारा संविधान बना तब गांधी जी की छाया में, उस समय उनके विचार थे। संविधान के मसौदा को पारित करने वाले बाबा अम्बेदकर थे। इसलिए संविधान में हमने मान लिया कि जो कमजोर वर्ग समाज के हैं उनको कुछ विशेष अवसर दिये जाँय लेकिन उसके प्रति जो सरकार की और सरकारी कर्मचारियों का जो रवैया है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह दिल से यह बात स्वीकार नहीं किया केवल संविधान में स्वीकार कर लिया। क्योंकि यह मसला आज का नहीं बहुत पुराना है। यह संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह आज से नहीं जबसे छात्रवृत्ति चालू हुई है, शायद ही कोई वर्ष ऐसा निकला हो जबकि अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर मिली हो। आज से नहीं सन् 50 से है। आज तक यही रवैया चला आ रहा है।

उपाध्यक्ष जी, बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य हुआ कि इस सत्र की छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों को दशमोत्तर कक्षा वालों को उत्तर प्रदेश में, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी जिले में नहीं मिली। कारण क्या है? जितनी छात्रवृत्ति देनी है, जितनी माँग है, उतना पैसा मुहैया नहीं। मैं जानता हूं कि दशमपूर्व के छात्रवृत्ति देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और दशमोत्तर की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। लेकिन अब वहां पर जो स्थिति है, वह यह है कि कुछ कह नहीं सकता। मुझे प्रसन्नता है कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने का निश्चय किया है। लेकिन अभी स्थिति सामने आयी कि दशमपूर्व कक्षाओं में जो धन का आवंटन पिछड़े वर्गों के लिए किया गया, वह धन जितनी छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना-पत्र आये, बांटा गया लेकिन जिस धन का आवंटन अनुसूचित जाति के लिए दिया गया, (दशमपूर्व की मैं कह रहा हूं) उनमें से केवल 40 प्रतिशत या अधिक से अधिक 45 प्रतिशत छात्रों के प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुये। तो अनुसूचित जाति के प्रार्थना-पत्र यदि 100 आये तो 45 स्वीकार हुये और धन की कमी रही दशमपूर्व में जबकि पिछड़ी जाति के छात्रों में जितने प्रार्थना-पत्र आये, जो पैसा था, वह बाकी बच गया आवंटन से।

दशमोत्तर में जो पिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति देनी थी, प्रान्तीय सरकार को देनी थी, वह छात्रवृत्ति का पैसा पूरा पड़ गया लेकिन जो छात्रवृत्ति प्रान्तीय सरकार को केन्द्र से माँगनी थी, मैं जानना चाहूंगा कि इसमें केन्द्र से अनुसूचित जाति की दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के लिए कितना पैसा माँगा? केन्द्र ने क्या उतना पैसा दिया? मान लें, हमने जितना पैसा मांगा, केन्द्र ने नहीं दिया। तो भी केन्द्र का उत्तरदायित्व है कि दशमोत्तर के जितने भी अनुसूचित जाति के छात्र होंगे, सभी को छात्रवृत्ति केन्द्र देगा। मैंने जानकारी करने की कोशिश की है तो पता चला कि प्रदेश में तीन करोड़ रुपया इस मद में कम पड़ा। तो वह तीन करोड़ हमने कन्टेन्जेंसी से लेकर और किसी फन्ड से लेकर क्यों नहीं बांट दिया क्योंकि अगर बाँट देते तो केन्द्र अवश्य हमको वह पैसा दे देता? कई जगह मालूम हुआ...।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, यह प्रक्रिया रही है कि हाउस का जब लास्ट आवर होता है तो उस समय मेम्बर्स का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि कोरम का प्रश्न न उठायें । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कोरम के प्रश्न को उठाकर इतने बड़े अहम मसले को, जिसको पहले ही प्राथमिकता देनी चाहिए थी और जिसको 6-00 बजे लिया जा रहा है, कोरम का प्रश्न उठाकर बाधा न डालें ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, ऐसे अहम मसले को और समय दे दें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इसको आज स्थगित कर दें और फिर ले लें । बनावटी ढंग से इतने महत्वपूर्ण मसले को दबाया न जाए ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी इंतजार करिये । घंटी बज रही है, अभी कोरम पूरा हुआ जाता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कोरम पूरा है ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई)

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, कोरम पूरा हो गया । अब आप अपना वक्तव्य प्रारम्भ करें ।

श्री शम्भू नाथ--

मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि अगर आप कोरम की बात मानते हैं तो इसको कल के लिये रखें और क्वेशचन आवर के बाद ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम पूरा हो गया तो कार्यवाही चलने दें ।

श्री शम्भूनाथ--

अन्तिम समय में कोरम का प्रश्न पार्लियामेंट में भी नहीं उठाया जाता और अन्य जगहों पर भी नहीं उठाया जाता और न इस पर ध्यान दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो नियम समिति के फैसला करने की बात है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

यह सरकार किसी भी मद से, कन्टिनजेंसी से लेकर यह पैसा बंटवा सकती थी। होता यह है कि जब सेशन समाप्त हो जाता है तो अगले साल जुलाई में जाकर पिछले साल की छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है। तो छात्र भी कम उम्र के होते हैं, कभी-कभी उसका दुरुपयोग करते हैं। पहली चीज में सरकार से यह कहना चाहता था कि इन्होंने कितना धन केन्द्रीय सरकार से मांगा था ? कितना धन केन्द्र सरकार ने दिया था ? अन्य किसी मद से पैसा लेकर बाँटने में क्या परेशानी थी ? इस तरह का प्राविधान करेंगे कि फार्मों के आ जाने के बाद 15 दिन के बाद या अधिक से अधिक एक महीने के बाद फार्मों का निस्तारण हो जायेगा और हर महीने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चेक के द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान हो जाएगा ? तभी इसका मकसद हल हो सकता है वरना यह मकसद हल नहीं हो सकेगा, यही मैं चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

माननीय, अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि केन्द्र से कितना पैसा माँगा गया था ? मैं इस संबंध में उन्हें यह सूचना देना चाहता हूं कि दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र हैं, उन सब छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। इस संदर्भ में नये छात्रों के लिए सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार धनराशि देती है। इस कार्य के लिए 400 लाख रुपये 1978-79 में उपलब्ध कराये गये। चूंकि यह धन नये छात्रों के लिए अपर्याप्त था, इसलिए भारत सरकार से 275 लाख रुपये अतिरिक्त की माँग की गई। भारत सरकार द्वारा 400 लाख रुपये के विरुद्ध 402 लाख रुपया नये छात्रों पर व्यय किया गया। नये छात्रों की कठिनाइयों को देखते हुए 275 लाख रुपया और उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया। चूंकि यह स्वीकृति मार्च 1979 के अन्तिम दिन हो सकी, इसलिए इसका वितरण संभव नहीं था। इस प्रकार पिछले वर्ष कुछ छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी किन्तु राज्य सरकार नये छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए वचनबद्ध है और बहुत शीघ्र ही जो भुगतान नहीं हुआ है, उसका भुगतान कर दिया जायगा। एक प्रश्न और माननीय सदस्य ने किया था। आज्ञा हो तो मैं इसका विवरण भी उपलब्ध करा दूं कि कितना धन केन्द्र से माँगा गया था, कितना मिला और कितना व्यय हुआ। इस संदर्भ में 1977-78 की बात को भी ध्यान में रखना होगा-1977-78 में कुल लाभार्थियों की संख्या 1,10,619 थी, कुल 8,10,616 रुपया दिया गया। 1978-79 में कुल लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 1,43,000 थी। आय-व्यय में कुल प्राविधान राज्य सरकार द्वारा जो वचनबद्ध है 3,15,050 रुपया है। भारत सरकार द्वारा 3,79,000 रुपया दिया जाना है। इसका टोटल आता है 6,94,050। वास्तविक व्यय 7,99,444 राज्य सरकार जो वचन बद्ध है 3,15,000 भारत सरकार का प्राविधान है 3,94,444। इससे लाभ होगा 1,01,300 छात्रों को। शेष विद्यार्थी जिनकी छात्रवृत्ति रह गयी है, जो अनुमानित हैं, 37,000 हैं और इस में जो खर्च होगा वह है 2,57,000। भारत सरकार से वार्ता जारी है और इसे कनटेन्जेन्सी फन्ड में से ले कर तुरन्त ही इसकी व्यवस्था कर दी जायगी।

इस संदर्भ में छात्रवृत्ति की दर भी जाननी जरूरी है। इन्टर, बी० ए० के छात्रों के लिए दर है 54 रुपये, छात्रावासियों के लिए 80 रुपये, एम० ए०, एम० एस० सी०, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 70 रुपया, छात्रावासों में रहने वालों के लिए 100 रुपया . . .।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह प्रति माह है... ।

श्री कैलाश नाथ सिंह--

प्रति माह । तो इसकी व्यवस्था शीघ्र कर दी जायगी और इसके भुगतान का हम प्रयास करेंगे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

माननीय मंत्री जी ने इस वर्ष की व्यवस्था के बारे में सदन को जानकारी दी । पालीवाल जी ने इस विषय का जिक्र किया । यह इस वर्ष की बात नहीं है बल्कि एक परम्परा बन गई है कि स्कालरशिप की सेक्शन जनवरी या फरवरी, में शासन देता है । उस के बाद उन को पहली किस्त मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मिलती है । इस वर्ष यह स्थिति हो गई है कि अभी तक ज्यादातर विद्यालयों में पहली किस्त नहीं मिली है । जहाँ तक माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि केन्द्र सरकार से पैसा माँगा गया है, यह हर साल होता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पैसा फरवरी या मार्च में मिला करे ।

मान्यवर स्कालरशिप के साथ फीस का मामला भी जुड़ा है । 23 नम्बर फार्म हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय बच्चों को उनसे फीस न लिये जाने के लिए भरा लेता है । इनके भरने के बाद भी विद्यालय छात्रों को प्रवेश नहीं देते हैं । कहते हैं कि तीन चार महीने की फीस जमा करो, जमा नहीं करते हैं तो विद्यालय में उनको प्रवेश नहीं मिलता । किसी तरह से कर्ज ले कर, जेवर गिरवी रख कर फीस जमा करते हैं तो यह पैसा रिफन्ड नहीं होता है । हमारे इटावा के के० के० डिग्री कालेज में परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र नहीं मिला महज इसलिए प्रवेश पत्र नहीं मिला कि फीस के रिइम्बर्समेन्ट की सूचना वहां नहीं पहुंची, स्कालरशिप उनको नहीं मिला । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि स्कालरशिप तो बाद में मिलता है लेकिन नान रिफंरिंग फन्ड में जो स्कालरशिप का पैसा मिलता है उसे विद्यालय दूसरे मदों में खर्च कर लेते हैं । इसको रोका जाय दूसरी बात जो छात्रवृत्ति मिलती है इसका भुगतान फरवरी, मार्च में छात्रों को हो जाया करे। क्या माननीय मन्त्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि आने वाले वर्षों में इस प्रकार की असुविधा न होगी ?

*श्री शम्भू नाथ--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न कई बार इस सदन में और पार्लियामेन्ट में उठता रहा है और मन्त्री महोदय समय समय पर एक बात अवश्य मानते रहे हैं कि जितनी भी सुविधा छात्रों को दी जाती रही है वह समय से दी जानी चाहिए और उसका उपयोग भी हो । सरकार की मन्शा यह रही है कि बच्चों को एक पैसा भी अगर अनुदान दिया जाय तो एक पैसे का फायदा उनको 10 पैसे के बराबर मिले लेकिन परिणाम यह है कि उनको 10 पैसे मिलते हैं लेकिन 1 पैसे का फायदा नहीं मिलता । उसका खास कारण यह है उनको एक साथ पैसा नहीं मिल पाता है । इससे पहले जब चिल्लपों हुई थी तो यह माना गया था कि स्कालरशिप का वितरण साल भर में तीन किस्तों में दिया जायगा । केन्द्र से रुपया लमसम में आता है, कागज में एडमिशन होता है, फिर फार्म की स्कुटिनी होती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भू नाथ---]

इस तरह अक्तूबर बीत गया। अब अगर स्टेट गवर्नमेन्ट को पूरा विश्वास है कि केन्द्र से रुपया मिलेगा तो स्टेट गवर्नमेन्ट की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अक्तूबर के महीने में वह पहली किस्त दे दें तो उसके लिये किसी लमसम फण्ड से व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

पहले आइटमवाइज पैसा आया करता था और उसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेन्ट पाबन्द थी खर्च करने के लिये लेकिन जब तरह तरह की सरकारें स्टेट में आई तो मुख्य मन्त्रियों ने यह मांग की कि केन्द्र से एक कंसोलिडेटेड फण्ड स्टेट को मिल जाया करे और स्टेट उसे अपनी स्कीम से खर्च करेगी जिसका नतीजा यह हुआ कि केन्द्र से कंसोलिडेटेड रुपया आने लगा जिससे बच्चों को लाभ होना अवश्यम्भावी था। लेकिन जब केन्द्र से रुपया आ गया तो टिकरा हाउस द्वारा वितरण प्रणाली में दोष पाया गया। टिकरा हाउस से सारी जगहों पर लिख कर जायगा, हरिजन वेलफेयर आफिसर लिख कर सूचित करेगा कि इतने लड़कों को स्कालरशिप हम सेक्शन करते हैं। आप एक बिल बना कर भेजिये। यह करने में तीन महीने लग जाते हैं। तब कहीं बिल आया। लड़कों ने शिकायत की, पहुंच की तो बिल गया। बिल जाने के बाद तब हरिजन विभाग से रुपया जाता है। अब वह रुपया सीधे स्टेट बैंक में जायगा। बैंक उसको ट्रेजरी में पास करायगा। स्टेट बैंक के कर्मचारी को क्या पड़ी है कि वह उस बिल को ट्रेजरी में पास कराये। तब उसके बाद वह रुपया स्कूल में जाता है प्रधानाचार्य के पास और उसके बाद ही वह रुपया लड़कों के पास पहुंच जाता है, तो मान्यवर एक ही कारण नहीं है कि रुपया देर में मिला इसलिए लड़कों को नहीं मिल सका बल्कि सबसे बड़ा कारण वितरण प्रणाली का है।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

प्रश्नों का उत्तर मांग रहे हैं या भाषण कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें ऐसा है कि संक्षित वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री शम्भू नाथ—

बाबा राम अधार जी, आप भी अमृदान में आ गये हैं। हां, तो श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिद्धान्त रूप में मन्त्री महोदय इस बात को मानते हैं कि बच्चों को समय से यानी एकेडेमिक इयर में कम से कम 3 किस्तों में उनको रुपया दे दिया जाय। दूसरी बात यह है कि वितरण की जो प्रणाली है उस पर पुनर्विचार करके इस तरह का कोई प्राविधान करना चाहिए कि डिले न हो और बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कालरशिप की सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी बाद में जवाब देंगे।

*श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं पालीवाल जी का बहुत बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इतने महत्व का सवाल सदन में उठाया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय से नहीं मिल पाती है। मान्यवर, जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिजनों को न्याय नहीं मिल पा रहा है । इस सम्बन्ध में मैं दो/तीन सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, पहली बात यह है कि जितने छात्र हैं और उनके लिये जितनी छात्रवृत्ति है उसमें मन्त्री जी ने जो छात्रवृत्ति कही है कहीं 100 रुपये, कहीं 54 रुपये वह कम है, इसको बढ़ाना चाहिये । श्रीमन्, इस कमर तोड़ महंगाई में इस जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होती कि वह कोई कार्य कर सके । इसी छात्रवृत्ति से वह आगे पढ़ता है । इसलिये इस तरह की व्यवस्था करने के लिये आप विचार कर लें। इतनी बढ़ायें कि जैसे-जैसे आपका सूचकांक बढ़े वैसे-वैसे इनकी छात्रवृत्ति भी बढ़ जाय ।

दूसरा सुझाव यह है कि वितरण कायदे से नहीं होता है । बीच में बहुत सी खामियां रह जाती हैं । बंटवारा भी कहीं-कहीं हो जाता है तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि मन्त्री जी मनीआर्डर से इसके वितरण की व्यवस्था करा दें । इससे बीच में गड़बड़ी नहीं हो सकती है।

तीसरा सुझाव यह है कि 5 पैसा कम आया या समय से नहीं आया तो समय बीतने के बाद भी वह पैसा दिया जाता है । मन्त्री जी ने बताया कि कंटिन्जेन्सी से उसको पूरा करके देते हैं । सरकार यह नीति बना ले कि हर महीने में उनको छात्रवृत्ति निश्चित मिले । चाहे कंटिनजेंसी से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेन्ट से लें उनको समय से रुपया मिलना चाहिए। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि जब वह जवाब दें यह बता दें कि कैसे इसको पूरा करेंगे । जो वह छात्रवृत्ति देते हैं उसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखें कि पुस्तक, भोजन और छात्रावास में रहने में कितना व्यय होता है और वह किस शहर में पढ़ता है । इन सब को ध्यान में रख कर छात्रवृत्ति में वृद्धि करें ।

*बाबा राम अधार यादव--

मान्यवर, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के विद्यार्थी हैं उनको फार्म अभी तक नहीं बंटे । छात्रवृत्ति देने की बात दूसरी है । सबसे बड़ी दिक्कत यह आ गई है कि जो उनको सालाना और मासिक आय का प्रमाण-पत्र देना होता है वह पहले एम० एल० ए० और एम० पी० तथा नगरपालिकाओं के सदस्यों से मिल जाया करते थे लेकिन अब यह कर दिया गया है कि वह माल अधिकारी देगा । इससे विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई हो रही है । जन प्रतिनिधियों से हटा कर तहसील के अधिकारियों को अधिकार दे दिये गये हैं इससे तहसीलों में बड़ी भीड़ लगी रहती है । मैं चाहूंगा कि जिस तरह से पहले फार्म छपते थे उसी तरह से अब भी छापे जाने चाहिए और एम० एल० ए०, एम० पी० तथा जिला परिषद, नगरपालिकाओं के सदस्यों के प्रमाण मान्य होने चाहिए ।

दूसरी चीज में यह बतलाना चाहता हूं कि सब लोगों की तनखा आ जाती है लेकिन छात्रों को छात्रवृत्ति समय से नहीं मिलती है जो बेचारे निर्धन हैं उनको अभी तक पिछले साल का पैसा नहीं मिला है । उसका मुख्य कारण यही है कि जो छात्रवृत्ति बांटने वाले लोग हैं वह ऊंची जाति के लोग हैं उनको बार-बार वह परेशान करते हैं । मेरे पड़ोस में तमाम विद्यार्थी रहते हैं ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति मासिक है न कि वार्षिक उसको त्रैमासिक कर दें ।

(श्री मोती राम के खड़े होने पर ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मोती राम जी, आप क्यों खड़े हैं ? माननीय सदस्य अभी बोल रहे हैं ।

श्री बाबा राम अधार यादव—

कर्मचारियों और विधायकों को उनकी तनखा के बिल महीने के पहले मिल जाते हैं । लेकिन गरीब छात्रों को साल भर बाद भी पैसा नहीं मिलता है । ऐसे परिवार हैं जो हमारे पास आकर रोते हैं । यह बड़ी भारी लापरवाही हो रही है जिस तरह से पालीवाल जी ने बताया कि फार्म भर कर नहीं आये और पैसा वापस कर दिया गया । लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वह इसलिए वापस नहीं किया कि फार्म नहीं भरे बल्कि फार्म अभी तक दिये ही नहीं गये हैं मैं चाहूंगा कि जिलों–जिलों में चाहे विधान सभा के सदस्यों की समिति हो या वहां के जन प्रतिनिधियों की समिति ही बना दी जाय जैसे कि पहले थी और वह जांच करती थी इससे तत्काल छात्रवृत्ति मिल जाती थी । आज छात्र भूखों मर रहे हैं उनके पास पुस्तकें नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं । केन्द्र सरकार से रुपया चाहे आये या न आये लेकिन आप अपने पास से जो रुपया रहता है उसमें से इस धनराशि को दें । अक्तूबर में इनके पास केन्द्र सरकार से रुपया आ जाता है फिर क्या कारण है कि लड़कों को नहीं मिलता है । यह बड़ी धांधली हो रही है । मैं चाहूंगा कि इसके लिए सदन की समिति बना दी जाय जो इसकी जांच करे और लड़कों को समय से पैसा मिल जाय तभी इसका लाभ हो सकता है नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा ।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

पहले मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि आपकी व्यवस्था चाहता था यह हरिजन विभाग के बजट पर बहस नहीं है । लेकिन भाषण चल रहा है । सान्यवर, इस वक्त मैं दो चीजें जानना चाहता हूं । पहली चीज यह है कि पूरा वर्ष बीतने पर भी अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई । वह दी जानी चाहिए और उनको उनका संवैधानिक हक मिलना चाहिए । राज्य सरकार का कहना कि हम सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम में पूरा रुपया भुगतान करेंगे । तो आज तक जो यह रुपया नहीं बांटा गया तो जिन लोगों की उदासीनता या गल्ती से डेढ़ लाख छात्रों का नुकसान हुआ है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

दूसरी चीज, बैकवर्ड क्लास के छात्रों को छात्रवृत्ति देने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अफसोस यह है कि उस सचिवालय, निदेशालय से बैकवर्ड को छात्रवृत्ति दी गई समय से दी गई, अन्य सवर्ण लोगों को भी यह समय से आर्थिक आधार पर दी गई किन्तु इनके साथ ही यह भारी अन्याय और लापरवाही क्यों ? मैं इस पर मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस सचिवालय–निदेशालय के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

इसके अलावा इस समय यूनिवर्सिटी के फार्म भरे जा रहे हैं और सारे कालेज और यूनिवर्सिटी वाले उनसे पूरी फीस ले रहे हैं, जिसे वे नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या शासन आदेश देगा कि शेडयूल्ड क्लास के छात्रों के फार्म फीस के अभाव में नहीं रोके जाएंगे वह बाकायदा जमा हो जाएंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तीसरी चीज, दसवीं कक्षा से पूर्व आप हम पर दया करते हैं कुछ रुपया दे कर । इसे हर छात्र को नहीं देते हैं । जब शासन ने पिछड़े वर्ग का कवर किया है तो क्या शासन इस पर विचार कर रहा है कि कक्षा 10 के नीचे के भी हर हरिजन छात्र को स्कालरशिप दी जायगी । एक बात और है वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन 31 मार्च का यह रुपया निकाला गया और भुगतान किया गया है, तो 31 मार्च के पहले देने का क्या शासन का उत्तरदायित्व नहीं था । इसपर मैं मन्त्री जी की स्पष्ट घोषणा चाहता हूं, आश्वासन, भीख या दया नहीं, कि जिस सचिवालय या निदेशालय ने ऐसी उदासीनता दिखाई है, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है, उसके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

शैक्षिक वर्ष गड़बड़ हो गया है, अभी कुछ दिन पहले उच्च शिक्षा मन्त्री ने घोषणा की थी कि इस बार जीरो-सत्र होने जा रहा है । शिक्षा सत्र में जो गड़बड़ी है उसमें जो ऐडमिशन होते हैं, कभी-कभी फरवरी, मार्च और अप्रैल तक होते हैं, उसमें विद्यार्थियों के सामने एक बड़ी कठिनाई है, जब उनकी भरती देर में होती है, तो उनकी स्कालरशिप, इस साल ही लीजिये, फरवरी, मार्च और अप्रैल में, इस समय भी ला प्रीवियस में ऐडमिशन्स हो रहे हैं, इस तरह से शिक्षा सत्र का गड़बड़ जो हुआ है और विद्यार्थियों को जो स्कालरशिप जो मिल रही है, क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी को जो बी० ए०, एम० ए०, एल-एल० बी० का है, एम० ए० की 22 महीने की, और एल-एल० बी० में तीन साल की स्कालरशिप देने की घोषणा करेंगे । नम्बर 2, माननीय मन्त्री आश्वासन दे देते हैं, शीघ्र कार्यवाही हो रही है । इस समय भी माननीय मन्त्री ने आश्वासन दे दिया कि बहुत जल्दी दे दी जायगी । 1977 और 1978 के शैक्षिक सत्र में करीब-करीब लखनऊ विश्वविद्यालय से 100 विद्यार्थियों का स्कालरशिप इसलिए नहीं मिल सका, उनका ऐडमिशन 31 मार्च तक होता रहा और उनके फार्म जमा हुए अप्रैल में मैंने दो दफा प्रश्न किया, दोनों दफा माननीय मन्त्री ने आश्वासन दिया और यह कहा कि शीघ्र ही वह विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे दी जायगी । सरकार ने इसको मान लिया है ।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उन 100 विद्यार्थियों को जिनके फार्म भरने में देर हुई बावजूद दो दफा इस सदन में आश्वासन के उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी । जल्दी की परिभाषा क्या है ? जल्दी में कितना समय लगता है ? इस सारी प्रक्रिया के लिए 1 महीना, दो महीने, 15 दिन लगायेंगे, माननीय मन्त्री जी पूरे तौर से स्पष्ट घोषणा करें कि उन विद्यार्थियों को कितने दिन में छात्रवृत्ति मिल जायगी जिससे बहुतों के अब तक रेजल्ट रुके हुए हैं । उनकी फीस दाखिल नहीं हुई है स्पष्ट घोषणा करेंगे कि दो महीने में, तीन महीनें में कितने दिनों मे छात्रवृत्ति दी जायगी ?

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छात्रवृत्ति का मामला नया नहीं है । छात्रवृत्ति देने का फैसला सरकार ने 1948 से ही किया है लेकिन आज तक शिकायतें आयी हैं कभी भी छात्रवृत्ति समय से नहीं मिली । सत्र समाप्त होने के बाद ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबू राम वर्मा---]

कक्षा दस से ऊपर छात्रों को छात्रवृत्ति किसी तरह से मिली । लेकिन उससे नीचे के हरिजन और अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, उनकी छात्रवृतियां प्रिंसिपल की जेब में जाया करती हैं इधर बैंकों के माध्यम से, ट्रेजरी के माध्यम से, जिस ढंग से छात्रवृत्ति निकाली जाती है, वह इतना दुरूह हो गया है, छात्र हफ्ते-हफ्ते आते रहते हैं, तब भी रुपया ड्रा नहीं हो पाता । बराबर यह सवाल उठते चले आये हैं। समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और छात्रवृत्ति इस लिए दी जाती है कि छात्र गरीब है उस वृत्ति के सहारे से शिक्षा ग्रहण करे । पहले फीस ले ली जाती है तब छात्रवृत्ति मिलती है, फीस आखिर मांगी क्यों जाती है । जब छात्र-वृत्ति मिलेगी तो सरकार काट लेगी । लेकिन उस समय जमा करने का सवाल नहीं उठता । इससे साफ जाहिर है कि सरकार के चाहते हुए भी सही ढंग से उसका कार्यान्वयन न होने के कारण अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। अगर समय से मिल जाती तो उनकी जरूरतें पूरी हो जातीं। अभी गौरी शंकर जी ने कहा कि वे लोग कर्ज लेकर और अपना सामान गिरवी रखकर काम चलाते हैं । नतीजा यह होता है कि जिन लोगों को दोनों चीजें नहीं मिल पाती हैं उनके सामने यह प्रश्न आता है कि पढ़ाई किस प्रकार से चालू रखी जाये । उनकी पढ़ाई खतम हो जाती है । उनके सामने भोजन और वस्त्रों का सवाल रहता है ।

मान्यवर, जो बीत गया सो बीत गया लेकिन अगले सत्र से नियमित ढंग से जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है उसी प्रकार से हरिजनों के लड़कों को छात्रवृत्तियां दी जायं और जो छात्रवृत्तियां दी जायं वह मनीआर्डर के द्वारा दी जाय जिसमें उनको पैसा मिलने में कठिनाई न हो । दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए लड़कों को आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार से लेना पड़ता है । इस प्रमाण-पत्र को लेने में उनको बहुत परेशान किया जाता है । जो जानेमाने लोग हैं उनकी आय २०० रुपये प्रमाणित होती है और जिन हरिजनों के पास एक-दो एकड़ जमीन है उनकी आय १००० रुपये प्रमाणित होती है । यह आय का प्रमाण-पत्र ढकोसला मात्र है और गरीबों को परेशान करने के लिए है जिस प्रकार से पहले एम० पी०, एम० एल० ए० आदि लिख दिया करते थे उसी ढंग से यह होना चाहिए उनको परेशान करने से कोई लाभ नहीं है । छात्रवृत्ति का कानून इतना सरल होना चाहिए कि छात्रों को परेशान न होना पड़े । जब रजिस्टर में दर्ज है कि वह अनुसूचित जाति का है तो बार-बार उसकी जांच क्यों की जाती है । इस प्रकार की जांच से कोई लाभ नहीं है इस नियम को सरल बनाया जाय जिससे आम और गरीब लोग लाभान्वित हों । जब तक यह नहीं होगा पिछड़े वर्ग और हरिजन छात्रों को कोई सहायता नहीं मिल सकेगी और ये शिक्षित नहीं हो पावेंगे एक चीज में और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगले सत्र से नियमित ढंग से छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करें । हम यह सुनने के लिए तैयार नहीं हैं कि केन्द्र ने कब पैसा दिया और राज्य सरकार ने किस मद से पैसा दिया । हमसे हमारा तात्पर्य जनता से है जब यह मान लिया गया है कि हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी तो उन्हें नियमित ढंग से मिलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री श्याम दत्त पालीवाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में २-३ बातें माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देरी का क्या कारण है और इसके उत्तरदायित्व किस पर हैं मैं तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहता हूं कि इसका उत्तरदायित्व मंत्री परिषद् का है और इसके जो मंत्री इन्चार्ज हैं उनका ही है । दुख इस बात का है कि हमारे वर्तमान मंत्री जी ने भी इस विभाग के महत्व को नहीं समझा ।

एक बात यह कि अनुसूचित जाति के छात्रों को तो हम लोग प्रमाण-पत्र दे सकते हैं, पर हरिजन छात्रों को आय का प्रमाण-पत्र नहीं दे सकते. . . .

एक सदस्य--

दे सकते हैं ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

एक चीज यह बता दें, वायदा चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या दशमोत्तर कक्षा के छात्रों को ३१ मई तक आप छात्रवृत्ति का आवंटन कर सकेंगे ? क्या अगले वर्ष से वे ऐसी व्यवस्था करेंगे सभी छात्रों को प्रवेश के समय ही फार्म प्राप्त हो जाया करें और एक महीने के अन्दर उन फार्मस का निस्तारण हो जाया करे ? इसके अलावा जो विद्यालय छात्रों के फार्म्स प्रमाणित करके बिल बना कर नहीं भेजते समय से क्या ऐसे विद्यालयों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री कैलाशनाथ सिंह--

मैं आभारी हूं माननीय सदस्य पालीवाल जी का, माननीय गौरीशंकर जी का तथा अन्य सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने अनेक विन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि जहां तक हरिजनों का मामला है, अनुसूचित जातियों की व्यवस्था पहले थी वही अब भी चालू है, एम० एल० ए०, एम० पी०, नगरपालिका के सदस्य या कोई भी गजेटेड अफसर प्रमाण-पत्र दे सकता है । उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । पिछड़ी जातियों के लिए आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार स्तर से कम का अधिकारी नहीं दे सकता । इस प्रकार की व्यवस्था पहले भी थी ।

दशमोत्तर कक्षा से पूर्व के छात्रों के लिये यह छात्रवृत्ति देय नहीं होती है । प्लानिंग कमीशन के सामने यह बात आयी थी लेकिन उसकी सहमति नहीं मिल सकी ।

एक बात को माननीय सदस्यों ने अभी यह कही कि जोरो सेशन हो गया और प्रवेश देर से हुये । यह सही बात है कि प्रवेश देर से हुये, परीक्षायें देर से हुईं । उन बच्चों का नुकसान न होने पाये इसलिये यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ मार्च तक जितने छात्र भर्ती हुये हैं उनको स्कालरशिप मिल जाये और इसके लिये आदेश निदेशक को दे दिये गये हैं ।

यह भी सोचा गया है कि जो स्कालरशिप एकेडेमिक वर्ष के लिये है, सेशन देर से अगर शुरू हुआ है, तो उसका प्रभाव प्रतिकूल उस पर न पड़े । हम इस पर भी विचार करेंगे कि ३१ मई का जो प्रश्न उठाया गया है उसके अनुसार कार्यवाही हो । विद्यार्थियों का, इसमें शक नहीं कि संवैधानिक अधिकार है, उनको यह मिलना चाहिये । अगर किसी स्तर पर कोई भूल हुई है तो उसे देखा जायेगा । अगर कोई भूल पाई जाती है, तो निश्चित है कि तदनुसार कार्यवाही की जायगी ।

[श्री कैलाश नाथ सिंह---]

मेरा भी सम्बन्ध शिक्षा विभाग से बहुत ज्यादा है हरिजन, बैकवर्ड क्लास को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था अगर मनीआर्डर से की जायगी, तो किसी व्यक्ति को मनीआर्डर मिल पायेगा और किसी व्यक्ति को नहीं मिल पायेगा । आये दिन शिकायत मिला करेगी कि अमुक व्यक्ति का मनीआर्डर अमुक व्यक्ति ने ले लिया। छात्रों के नाम से पास-बुक खोली गयी है । तो उनके खातों में कालेज द्वारा पैसा जमा करा दिया जाता है । तो यह जो चेक की व्यवस्था और पास बुक में जमा करने की व्यवस्था है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है । मैं तो कालेज का स्वयं प्राध्यापक हूं । यह बड़ी अच्छी व्यवस्था है । एक बात हमारे देव बहादुर जी ने कहा था कि कम छात्रवृत्ति है, यह ठीक है कि छात्रवृत्ति कम है, पर यह भोजन वृत्ति नहीं है । यह छात्रवृत्ति इतनी है कि उनका सामान्य खर्च चल जाय । लेकिन यदि पढ़ाई की बात है, तो यह विचारणीय प्रश्न है, इस पर विचार किया जा सकता है । दूसरे भाई राम अधार जी ने कहा कि फार्म नहीं मिल पाता । इसमें भी कठिनाई है । ऐसा हम लोगों के कालेज में भी होता है । यह मैं विभागीय अधिकारियों से कहूंगा कि आगे से फार्म समय से मिल जायं ताकि जो छात्र क्वालीफाइड हैं उनके सम्बन्ध में कोई अन्याय न होने पाये और उनको छात्रवृत्ति समय से मिल जाय । जो बाबू लाल वर्मा जी कह रहे थे कि छात्रवृत्ति बाद में कट जाय और उसमें से पैसा पहले मिल जाय । मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि विद्यार्थी पैसा लेकर घूम भी सकते हैं और वह छात्रवृत्ति का पैसा उसके ऊपर खर्च नहीं हो पायेगा । वितरण की प्रणाली में तो सुधार होना ही चाहिए ।

श्री शम्भू नाथ---

अकेडेमिक कैरियर में कितनी बार सुधार करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह---

मान्यवर, अकेडेमिक व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। मैंने जो लाख में पड़ा था, वास्तव में वह संख्या ऐसी थी, वह साफ नहीं थी, वह करोड़ में होनी चाहिए। उसे संशोधित कर लिया जाय ।

श्री शम्भू नाथ---

अगस्त में ऐडमिशन होता है, अक्तूबर तक स्क्रूटिनी होती है, तो कम से कम पहली किस्त तो अक्तूबर तक दिला दिया जाय । इसके बाद दिसम्बर, जनवरी में दिया जाय ।

श्री कैलाश नाथ सिंह---

मान्यवर, यह बात ठीक है लेकिन कुछ प्राक्रियायें हैं जो कि पूरी करनी पड़ती हैं ।

श्री शम्भू नाथ---

वह तो मालूम है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह---

अक्तूबर में वास्तव में तीन महीने का समय बीत जाता है, यह व्यवस्था की जाय कि उनको पहली किश्त का भुगतान कर दिया जाय ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

ऐडमिशन का भी बता दें, मान्यवर ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

१०० विद्यार्थियों का जो देर से ऐडमिशन हुआ है इसमें मैं देख लूंगा कि इसमें क्या व्यवस्था हो सकती हो । अगर कुछ सम्भव है, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)--

उपाध्यक्ष जी, एक प्रश्न करना है माननीय शिक्षा मंत्री जी एक बात का जबाब आपने नहीं दिया । जब बाबा राम अधार जी ने कहा था कि जब हरिजन कल्याण समिति बना दी थी, तो वह भी स्पष्ट कर दिया जाय । अगर उसको भी साफ कर दें, तो अच्छा होगा । तो वहां के लोग डरते रहते हैं । काम करते हैं आफिस बाले और वह अपने मन से करते हैं तो इसको मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ? आप इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मान्यवर, जिला हरिजन समाज कल्याण समितियों में मुझे भी भाग लेने का मौका मिला है । मैं कोशिश करूंगा कि वहां समितियां कायम कर दी जायें जहां भंग कर दी गई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं । कल ११ बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
९ मई, १९७९ ई०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४६ पर)

"उत्पादन जन वितरण योजना की संक्षिप्त रूप-रेखा"

इस योजना का लक्ष्य उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक राहत देना है। योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि उपभोक्ता को उसके रोजमर्रा जिन्दगी के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धि उचित दाम पर करवायी जाय। ग्रामीण एवम् शहरी दोनों क्षेत्रों में एक ही व्यवस्था लागू करके अपेक्षाकृत गरीब एवम् दुर्बल वर्ग के लोगों को अधिक राहत पहुंचाना इस योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। शहर से लेकर दुर्गम एवं दूरस्थ अंचलों तक उपभोक्ता केन्द्रों की स्थापना करके उपभोक्ताओं को उनके आवास के निकट ही आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करा दी जायं इसलिये यथा सम्भव २००० तक की यूनिट पर एक उपभोक्ता केन्द्र खोलने का प्राविधान इस योजना में है। केन्द्रों के सहकारिता सेक्टर द्वारा खोले जाने के लिए योजना में बल दिया गया है। इस योजना में निम्नलिखित वस्तुओं के वितरण को प्रारम्भिक रूप में सम्मिलित किया जाना है :

(क) खाद्यान्न (गेहूं, चावल और मोटे अनाज)।

(ख) प्रोसेस्ड एडिबिल आयल।

(ग) साधारण (मोटा) कपड़ा।

(घ) मिट्टी का तेल और कोयला (सापट कोक)।

(ङ) चुने गये मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकि प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ.७६०..पर)

दिसम्बर, १९७८ तक व्यय का विवरण

क्रम सं०	कार्य	वर्ष वार व्यय रु० लाख					आरम्भ से कुल
		१९७४–७५	१९७५–७६	१९७६-७७	१९७७–७८	१९७८–७९ (१२/७८)	लाख रुपया
१	२	३	४	५	६	७	८
१	अनुसंधान, सर्वेक्षण कार्य	४.७५	३.७१	३.२५	११.९२	५.०३	२८.६६
२	भवन	..	०.९६	२.४९	६.४७	१०.२०	२०.१२
३	बांध का कार्य	..	..	..	..	१.७४	१.७४
४	सड़क निर्माण	०.५८	०.२२	२.६९	२.५०	५.५१	११.५०
५	भूमि का आगामी भुगतान	..	..	..	९४.८९	०.१९	९५.०८
६	मशीनों का क्रय व पुर्जे	६.२०	३.०४	२.२४	१३.०१	१९.६३	४४.१२
७	राज्य विद्युत् परिषद् का आगामी भुगतान	..	..	१५.८०	..	८.३१	२४.११
८	सिंचाई कार्यशाला का आगामी भुगतान	..	..	..	८८.४९	..	८८.४९
९	विविध	३.५१	२.९५	०.६७	०.५८	६.९४	१४.६५
	कुल योग ..	१५.०४	१०.८८	२७.१४	२१७.८६	५७.५५	३२८.४७

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६२ पर)

राज्य निधि से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड की रूपरेखा ।

१--प्रवक्ता वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड--

राज्य निधि से सहायता प्राप्त प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के रुपये ४००--७५० के वेतनक्रम के प्रवक्ताओं के स्थायी तथा दिनांक १-४-७५ को ३ वर्ष या उससे अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी पदों की सम्मिलित संख्या के दस प्रतिशत पदों के लिए दिनांक ४-३-७८ से रुपये ४५०--२५--५७५--द० रो०--३०--८५० के वेतनक्रम में सेलेक्शन ग्रेड इस शर्त के अधीन अनुमन्य किया गया है कि सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के फलस्वरूप प्रवक्ताओं के कुल पदों की संख्या में कोई वृद्धि न होगी ।

उपर्युक्त सेलेक्शन ग्रेड में सम्बन्धित प्रवक्ताओं का प्रारम्भिक वेतन, वित्तीय नियम संग्रह खंड-२, भाग २-४ के मूल नियम २२ के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेशों के पैरा-४ के साथ पठित मूल नियम २२(ए)(११) के सादृश्य पर निर्धारित किया जायगा । इस सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्तियां अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर की जायेंगी ।

सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने हेतु केवल उन्हीं पदों की संख्या आगणन हेतु मान्य होगी जिस संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किया है ।

किसी संस्था में सेलेक्शन ग्रेड तभी अनुमन्य होगा जब अर्ह प्रवक्ताओं की संख्या उक्त संवर्ग में कम से कम ६ होगी । इस आधार पर ६ से १५ तक अर्ह प्रवक्ताओं की संख्या पर केवल एक पद सेलेक्शन ग्रेड में अनुमन्य होगा । इसी प्रकार १६ से २५ तक दो, २६ से ३५ तक तीन सेलेक्शन ग्रेड के पद अनुमन्य होंगे ।

सेलेक्शन ग्रेड में वेतन निर्धारण का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को होगा ।

२--एल० टी० वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड--

उक्त श्रेणी के प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के एल० टी० ग्रेड रु० ३००--५५० के वेतनक्रम के सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को १-१०-७५ को स्थायी तथा १-४-७५ को ३ वर्ष या उससे अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी पदों की सम्मिलित संख्या के दस प्रतिशत पदों के लिए दिनांक १-१०-७५ से रुपये ३५०--१५--५००--द० रो०--२०--६००--द० रो०--२५--७०० के वेतनक्रम में सेलेक्शन ग्रेड इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया है कि इस सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के फलस्वरूप सम्बन्धित संवर्ग विद्यालय में ऐसे पदों की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी ।

उपर्युक्त सेलेक्शन ग्रेड में संबन्धित अध्यापकों/अध्यापिकाओं का प्रारम्भिक वेतन, वित्तीय नियम संग्रह खंड-२, भाग २-४ के मूल नियम २२ के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेशों के पैरा-4 के साथ पठित मूल नियम २२ (ए)(११) के सादृश्य पर निर्धारित किया जायगा । इस सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्तियां अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर की जायेंगी ।

सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने हेतु केवल उन्हीं पदों की संख्या आगणन हेतु मान्य होगी जिस संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किया है ।

किसी संस्था में सेलेक्शन ग्रेड तभी अनुमन्य होगा जब अर्ह अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या उक्त संवर्ग में कम से कम ६ होगी । इस आधार पर ६ से १५ तक अर्ह अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या पर केवल एक पद सेलेक्शन ग्रेड में अनुमन्य होगा । इसी प्रकार १६ से २५ तक दो, २६ से ३५ तक तीन सेलेक्शन ग्रेड के पद अनुमन्य होगें ।

सेलेक्शन ग्रेड में वेतन निर्धारण का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को होगा ।

३--सी० टी० वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड---

उक्त श्रेणी के प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सी० टी० ग्रेड (रु० २५०--४२५ का वेतनमान) के अध्यापकगणों को दिनांक १-१०-७५ को स्थायी पदों के दस प्रतिशत पदों के लिए दिनांक १-१०-७५ से रु० २८०--८--२९६--९--३५०--द० रो०--१०--४००--द० रो०--१२--४६० के वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया है कि सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के फलस्वरूप सम्बन्धित संवर्ग के कुल पदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी ।

(१) उपर्युक्त सेलेक्शन ग्रेड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन देय होगा :

(१) सेलेक्शन ग्रेड केवल स्थायी अध्यापकों/अध्यापिकाओं को अनुमन्य होगा ।

(२) इस संवर्ग में जो अध्यापक/अध्यापिका स्नातक हों और सी० टी० या टी० सी० (बेसिक) पास हो, उन्हें यह ग्रेड १० वर्ष की सेवा के उपरान्त दिया जा सकता है और जो अध्यापक/अध्यापिका इन्टर सी० टी० या इन्टर टी० सी० (बेसिक) पास हों उन्हें यह ग्रेड १५ वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के बाद ही अनुमन्य होगा ।

उपर्युक्त सेलेक्शन ग्रेड में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रारम्भिक वेतन, सिविल नियम संग्रह खंड-२, भाग २--४ के मूल नियम २२ के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेशों के पैरा ४ के साथ पठित मूल नियम २२ (ए)(११) के सादृश्य पर निर्धारित किया जायगा । इस सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्तियां अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी ।

सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने हेतु केवल उन्हीं पदों की संख्या आगणन हेतु मान्य होगी जिस संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किया है । किसी संस्था में सेलेक्शन ग्रेड तभी अनुमन्य होगा जब अर्ह अध्यापक/अध्यापिका की संख्या उक्त संवर्ग में कम से कम १० होगी । इस आधार पर १० से १५ तक अर्ह अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या पर केवल एक पद सेलेक्शन ग्रेड में अनुमन्य होगा । इसी प्रकार १६ से २५ तक दो, २६ से ३५ तक तीन सेलेक्शन ग्रेड पद अनुमन्य होंगे ।

पी० एस० यू० पी०--16 वि० सभा---3-5-80---850 (पी० डी०)